कार्यवाही विवरण

मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गौरमुड़ी, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant by installing new Iron Ore Beneficiation Plant [capacity-12,50,000 Tons/Year], new Iron ore Pellet Plant [capacity-9,00,000 Tons/Year], Expansion in DRI Kilns [Sponge Iron Manufacturing from 60,000 Tons/Year to 4,56,000 Tons/Year], Induction Furnace with matching LRF and CCM [MS Billets/Ingots manufacturing from 48,000 Tons/Year to 7,08,000 Tons/Year], New Rolling Mill (for Rolled Products manufacturing 6,60,000 Tons/Year], New Ferro Alloy manufacturing Unit 2x9 MVA (Fe-Mn - 50,400 TPA/Si-Mn - 28,800 TPA/Fe-Si - 14,000 TPA/Fe-Cr - 30,000 TPA/Pig Iron 50,400 TPA] WHRB Based Power Plant [from 4 MW to 34 MW], FBC Based Power Plant [from 4 MW to 24 MW] and New Fly Ash brick manufacturing unit [66,000 Nos. Bricks/day] की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 05 जनवरी 2022 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गौरमुड़ी, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant by installing new Iron Ore Beneficiation Plant [capacity-12,50,000 Tons/Year], new Iron ore Pellet Plant [capacity-9,00,000 Tons/Year], Expansion in DRI Kilns [Sponge Iron Manufacturing from 60,000 Tons/Year to 4,56,000 Tons/Year], Induction Furnace with matching LRF and CCM [MS Billets/Ingots manufacturing from 48,000 Tons/Year to 7,08,000 Tons/Year], New Rolling Mill (for Rolled Products manufacturing 6,60,000 Tons/Year], New Ferro Alloy manufacturing Unit 2x9 MVA (Fe-Mn - 50,400 TPA/Si-Mn - 28,800 TPA/Fe-Si - 14,000 TPA/Fe-Cr - 30,000 TPA/Pig Iron 50,400 TPA] WHRB Based Power Plant [from 4 MW to 34 MW], FBC Based Power Plant [from 4 MW to 24 MW] and New Fly Ash brick manufacturing unit [66,000 Nos. Bricks/day] की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 05.01.2022, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थल–राजा मैदान, ग्राम–देलारी, तहसील एवं जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक

14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं अर्जुन कुमार मालाकार, जनरल मैनेजर, एन. आर.. इस्पात एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड की ओर से माननीय अपर कलेक्टर श्री आर.ए. कुरूवंशी जी, एस.डी.एम. घरघोड़ा श्री ए.के. मार्बल जी, एवं एस.डी.एम. रायगढ., श्री वाई. के. उरवसा जी, छत्तीसगढ. पर्यावरण संरक्षण मण्डल. रायगढ़ छत्तीसगढ. से क्षेत्रीय अधिकारी श्री षितेष वर्मा जी एवं उपस्थित अन्य अधिकारिगण तथा पुलिस विभाग के अधिकारीगण, एवं मीडिया के प्रतिनिधियों तथा उपस्थित समस्त सम्मानित जन प्रतिनिधिनियों एवं नागरिकों तथा ग्रामवासियों का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस जनसुनवाई सभा में स्वागत करता हुँ, हमारे ग्राम द्वारा ग्राम गौरमुड़ी, तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.) में स्पंज आयरन उत्पादन इकाई (क्षमता–60000 टन/वर्ष) इण्डक्शन फर्नेस इकाई (क्षमता–48000टन/वर्ष) वेस्ट हीट रिकवरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई (क्षमता–4 मेंगावाट) तथा एफ.बी. सी. आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु संचालन सम्मति की वैघता 31.03. 2024 तक है। वर्तमान में हमारे द्वारा इकाई का क्षमता विस्तार प्रस्तारित है, जिसमें नई आयरन ओर बैनिफिकेशन इकाई (क्षमता– 12,50,000 टन/वर्ष) नई आयरन ओर पैलेट उत्पादन इकाई (क्षमता–9,00,000 टन/वर्ष) स्पंज आयरन उत्पादन इकाई में क्षमता विस्तार (क्षमता–60,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 4,56,000/वर्ष) इण्डक्शन फर्नेस इकाई क्षमता विस्तार (क्षमता–48,000 टन/वर्ष) से बढ़ाकर (क्षमता–7,08,000 टन/वर्ष), नई रोलिंग मिल इकाई (क्षमता–6,60,000 टन/वर्ष), नई फेरो एलॉय उत्पादन इकाई जिसमें (फेरो मैगनीज–50,400 टन प्रति वर्ष/सिलिको मैगनीज–28,800 टन प्रति वर्ष/फेरो सिलिकॉन–14,000 टन प्रति वर्ष/फेरो क्रोम–30,000 टन प्रति वर्ष/पिग आयरन–50400 टन प्रति वर्ष) के उत्पादन हेतु 9 एम.व्ही.ए. की दो सबमर्ज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वेस्ट हीट रिकवरी आधारिज विद्युत उत्पादन इकाई में क्षमता विस्तार (4 मैगावॉट से बढाकर 34 मेगावॉट) एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन इकाई क्षमता विस्तार (4 मेगावॉट से बढ़ाकर 24 मेगावॉट) तथा नई फ्लाई ऐश आधारित ईट उत्पादन इकाई क्षमता 66000 नग/दिन की स्थापना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु वर्तमान में उपलब्ध भूमि 21.31 हेक्टेयर (52.65 एकड़) भूमि तथा उसी से लगी हुई भूमि 48.46 हैक्टेयर (119.75 एकड़) कुल भूमि 69.77 हैक्टैयर (172.40 एकड़) में किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन

मंत्रालय, नई दिल्ली को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। वायु प्रदुषण की रोकथाम हेतु हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रस्तावित आयरन ओर पैलेट उत्पादन इकाई में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर, डब्लू.एच.आर.बी. युक्त डी.आर.आई. किल्नों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर, इन्डक्शन फर्नेस में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन प्रणाली, रोलिग मिल में उपयुक्त ऊचाई की चिमनी, सबमर्ज इलैक्ट्रिक फर्नेस में बैंग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन प्रणाली, तथा एफ. बी.सी. बॉयलर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर का लगाया जाना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलकट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलियन/घन से कम के अनुरूप होगी। जलप्रदुषण की रोकथाम हेतु वर्तमान में संचालित इकाईयों हेतु लगभग 260 घन मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जिसकी आपूर्ति भू–जल स्त्रोत द्वारा की जाती है तथा जल आहरण हेतु केन्द्रीय भु–जल मण्डल द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार 2800 घन मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी जिसे गेरवानी नाला अथवा शिवपुरी नाला से आहरण किया जावेगा। इस आशय में आवेदन जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित पैलेट उत्पादन इकाई, डी.आ.आई. किलनों इण्डक्शन फर्नेस इकाई तथा रोलिंग मिल में क्लोज्ड–सक्रिट कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा, जिसके कारण किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न निस्त्राव को ई.टी.पी. में उपचारित किया जावेगा तथा परिसर में ही पुर्नउपयोग किया जावेगा तथा विद्युत उत्पादन ईकाई में जल की खपत को कम करने हेतु एयर कुल्ड कंडैन्सर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिससे जल खपत में कमी आवेगी। घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उपचारित किया जान प्रस्तावित है, प्रस्तावित परियोजाना के बाद शुन्य निस्तारण की स्थिति बनाई रखी जावेगी। जिससे आसपास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। परिसर में लगभग 23.02 हैक्टेयर (56.89एकड़) भुमि पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है जिसमें वर्तमान में विकसित वृक्षारोपण सम्मिलित है। वर्तमान में परिसर में लगभग 12500 नग वृक्ष रोपित किए गए है। तथा भविष्य में 48500 नग वृक्षों का रोपण किया, हमारे द्वारा प्रस्तावित परियोजना में प्रदुषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझायें गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होगें। निवेदन है कि उपस्थित सम्मानीय जनसमुदाय हमारे पर्यावरण प्रिय परियोजना को अपना समर्थन प्रदाना करने की कृपा करें। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव,

विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 700–750 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 136 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. संतोष पण्डा, – अग्रवाल जी के सपरिवार कैसे कुशल है कैवसे कर्मठ है कि 2020 में उन्होने तीन जन सुनवाई की है साधओ नहीं सर्वस्त्र चंदनं न वनदंन ऐ किस पोजिसन से थे और उनका कर्म क्या था। उनका सोच कैसा है औ कैसे हैं कि भगवान उनको कितना बड़ा योगदान और कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे जैसे मनुष्य ओ भी हैं और इतना बड़े उद्योग को सोच रहें हैं चलाने के लिये सब पर्वत में मिट्टी नहीं रहता है सब हाथी पर मोती नहीं रहता है हर आदमी में सविता नहीं रहता है हर जंगल में चंदन नहीं रहता है। ये चारो गुण उस परिवार में है तब न भाई ये सोचे की मुझे यह काम करना है ऐसा व्यवस्था के साथ करने का सोच है तो एक साधु आत्मा को हम साधु रूप से स्वीकृत करेंगे तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से वह साधु ही निकलेगा अगरबत्ती से खुशबू ही निकलेगा मैं उनके बारे में ज्यादा क्या कहूं। आप उनको घर बुलाइये बाहर बुलाइये जो बात करना है करिये ऐसा नहीं लगता की ऐ इस उद्योग के फैक्ट्री के मालिक है जो सही रूप से बात करेगा वह सही तरह समझा को उनको भेजेगा। कोई परमिशन लेना नहीं है उनसे मिलने का कहीं पर कोई रोक नहीं है। ऐसे आत्मा को कैसे सिद्धी का प्राप्ति नहीं होगा आज वह उस मार्ग हैं तभी वह वहां पहुंच गये हम भी कुछ योग करते तो हम वहां पहुंच जाते यह असंभव नहीं है अहो भाग्य हमारा ग्राम गौरमुड़ी का जो एसे व्यक्ति का आगमन हुआ ज्यादा समय न लेते हुये मैं सब से आशा भी रखता हूं कि निर्विघ्न उनको स्वीकृत करता हूं। मैं इसको तहे दिल से स्वीकृत करता हूं। राजकुमारी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
2. रजनी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
3. लता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

4. फुलबाई, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
5. मायावती, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
6. रंजिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
7. पुनीमती, देलारी– मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
8. सुमती, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
9. काजल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
10. पुष्पा सिदार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
11. सुमित्रा, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
12. कांति भोय – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
13. केवड़ा, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
14. गौरी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
15. संतोषी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
16. ललिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
17. कमला, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
18. लीला, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
19. मंगलाई, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
20. गीता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
21. सुकमती, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
22. लता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
23. हेमलता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
24. रमिला, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
25. तेजराम गुप्ता – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। प्लांट को विस्तृत कर रहे है लोग बाहर से आयेंगे और कार्य करेंगे, मेरा निवेदन है कि जनता के हित में कार्य करते हुये विकास करें। मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
26. मिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
27. रमिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
28. मीना बाई – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
29. उर्मिला, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
30. उर्मिला, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

31. देवमति, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
32. सुलोचना – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
33. तुलमा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
34. सरिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
35. अन्नु – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
36. समराईबाई, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
37. मीना – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
38. अनिता – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
39. रमशिला – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
40. उर्मिला – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
41. सुमित्रा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
42. विजय, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
43. कुशुम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
44. अन्नु – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
45. फुलमती – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
46. विमला राठिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
47. रामाबाई, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
48. सिकंदर, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
49. उदेराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
50. संतराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
51. श्रवण – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
52. टिकाराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
53. सचिन गुप्ता – जन सुनवाई की व्यवस्था का विरोध करता हूं। विरोध करने का मेरा कारण है निजी कारण नहीं है मेरे ग्राम लाखा से रिलेटेड कारण है। पिछले जन सुनवाई में इस बार जो जनसुनवाई आपने आयोजित किया गया है बहुत ही सुसज्जित तरीके से किया है। बहुत अच्छा लगा जब मैं उस मुख्य द्वार से आया बकायदा मेरा नाम लिखा गया, स्क्रीनिंग किया गया, एक दो कैमरे में मेरा फोटो भी आया तो क्य मैं यह पुछ सकता हूं कि इस तरह की व्यवस्था सुनील इस्पात की जनसुनवाई में बंजारी मंदीर में क्यों नही थी यदि नहीं थी तो क्या मैं उसक जनसुनवाई का फर्जी मानू सीधी सी बात है मेरे गांव के बुजुर्ग मेरी गांव की महीला जिसके साथ छः महीना बच्चा उसके साथ सुबह आठ बजे शाम 5

बजे तक बैठा था। तो क्या पीठासीन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी उस महिलाओं की बात सुने उनकी समस्या सुने क्या क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिये पीठासीन महोदय क्षेत्रीय अधिकारी के लिये कोई भी संज्ञान होता है। इस व्यवस्था का विरोध है और विरोध होता रहेगा। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण का विरोध है। देलारी गांव के साथ लाखा गांव खड़ा है। इसके पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं एन आर ग्रुप के मालिक आदरणीय संजय अग्रवाल जी जनहीत में लगातार काम करते हैं। मैं उन्हें कोरोनाकाल से ओबजर्व कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा केस थे कोरोना काल में लगातार मौत हो रही थी 100 लोगों की मौत 150 लोगों की मौत लगातार हो रही थी सुनते थे उस मुख्यमंत्री सहायता कोश में 5 करोड़ रूपये जमा किये थे उन्होने जो जनहीत में कार्य किये उनका तहेदील से आभार है। तत्पश्चात् मैं यह भी कहना चाहूंगा की ग्राम देलारी में यहां 150 से ज्यादा फैक्ट्रीयां है हम हर जनसुनवाई में सुनते हैं कि एम्बुलेंस प्रोवाईड करा रहे हैं ई आई रिपोर्ट में यह भी लिख है कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा। पर अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। ग्राम पंचायत देलारी के पदाधिकारी सरपंच, पंच महोदय इन सबके सामने जब युवा समूह का जब बैठक हुआ तब यह बात सामने आई खुलकर ग्राम पंचायत ने यह बात हमको सिद्ध करके दिया ग्राम पंचायत देलारी में एक उच्च दर्जे का हॉस्पिटल निर्माण करके दे रहें हैं यह हमारे क्षेत्र के लोगों के लिये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल निर्माण होगा तो पूंजीपथरा से रायगढ़ के लिये निकलते हैं हॉस्पिटल के लिये हम ललाईत होते हैं। हमारे गांव के आस–पास बहुत सारे स्कूल हैं आदरणीय पीठासीन अधिकारी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहां का दर माइनस में जाता होगा। यहां का जो युवा आठवीं पढके निकलते हैं ओ इन्हीं के प्लांटों में ठेका में काम करते हैं पर ग्राम जूरी में इंगलिश मिडियम स्कूल क्षेत्र की जनता को जो प्रदान किया जा रहा है उसके लिये मैं उनका सादर साधुवाद करता हूं। हमारे क्षेत्र के जो बड़े–बड़े जन नेताओं ने जन हितैशी ने और बहुत सारे पंचायतों के सरपंचों ने वहां के पदाधिकारियों ने हम से यह सवाल किया क्या आपका जो विरोध था बंजारी मंदीर के द्वारा पे क्या वह खत्म हो गया है। तो उस क्षेत्र के सभी सम्मानीय नागरिकों जन नेताओं को यह आगाह करना चाहता हूं कि हम विरोध में नहीं थे ना हम समर्थन में थे। हम आंदोलन में थे और आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मांग खत्म नहीं होगा तो तेरह सूत्रीय मांग लेकर गांव के महीला बैठे थे। आज कल परसों कभी भी धारा 144 लागू हो सकता है क्यों कि रायपुर के बाद रायगढ़ सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनके उभर रहा है। तो 144 धारा लागू होने के अगले दिन ग्राम लाखा पुनः आंदोलन को बाध्य होगा उसका पूरा जिम्मेदारी प्रशासन का होगा। क्योंकि 15 तारीख को जनसुनवाई में बंजारी मंदिर के सामने सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसके पश्चात् भी पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी बाहर नहीं निकले उसके बाद एक तहसीलदार

महोदय गये उनको साथ एक एसडीएम मैडम भी थी उन्होने कहा कि आप हमें लगभग 15 दिन का समय दिजिये तो सम्मानीय अधिकारीगण आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 15 तारीख से 01 तारीख आपका 15 दिन समाप्त हो चुका है कंपनी के जो जी एम थे वहां के जो मैनेजर थे उन्होने भी यह कहा कि आप 15 दिन का समय दिजिये और यह बात उन्होने यह बात 19 तारीख को कहा तो उनको भी मैं यह बताना चाहूंगा कि उनका भी समय पांच तारीख को समाप्त हो रहा है और क्षेत्र का हीत का बात है ग्राम लाखा के हीत का बात है। उस दिन में भी हमने कहा कि हम सड़क पर बैठे हैं हमें आप अंदर कर लिजिये प्रदूषण से तो हम येसे भी मर रहे हैं। हमारा मांग क्या था केवल महीलओं के सुरक्षा के लिये बेटियों को बचाने के लिये बेटियों को पढ़ाने के लिये किसी के मृत्यु में आर्थिक सहायता के लिये इतना छोटा मांग को लेके हम बैठे थे। पता नहीं किस उद्योग प्रतिनिधि ने इनके कान में भरा की यह लोग विरोध में बैठे हैं। अगर विरोध में बैठे थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि विरोध कितना हुआ था। हम आंदोलन में बैठे थे और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जितने लोग भी समर्थन में आये थे उस दिन उनका मूल कुछ भी हो सकता है उस पर मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता तो वह वापस वह लोग उस आंदोलन में नहीं आ सकते क्यों अब उनकी भूमिका अलग हो गई। जब तक हमारी मांग पूरा नही हो जाती तब तक हम जिला प्रशासन एवं उद्योगों के उपर तुफान आने से पहले सन्नाटा के तरह मंडराता रहेगा। और जिस दिन कोरोना काल धारा 144 की निरस्तीकरण का आदेश आया उस दिन हम आंदोलन पर बैठेंगे तब आपका आव्हान करेंगे आपको दिया गया समय समाप्त होग गया है। केवल करोना को देखते हुये हम शांत बैठे हुये हैं तब तक बैठे रहेंगे जब तक कोरोना शांत नहीं होगा। पुनः मैं श्री संजय अग्रवाल जी का धन्यवाद देता हूं कि वह हमारे क्षेत्र के जल युग को देखते हूये, शिक्षा युग को देखते हूये बहुत अच्छा जनहित में वह काम कर रहे हैं। धन्यवाद।

54. त्रिवेणी, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
55. सुरेश, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
56. गौतम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
57. सीतादेवी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
58. पंण्डा राणा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
59. सरस्वती – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
60. रूकमणी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
61. गुरवारी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
62. राजेश्वरी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
63. शिवा देवी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

64. दीपिका, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
65. दादूलाल, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
66. रति गुप्ता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
67. दरशराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
68. परदेशी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
69. उर्मिला – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
70. देवंशी, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
71. फुलोबाई, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
72. विष्णुप्रिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
73. कुंदन बाई, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
74. प्रेमलता, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
75. महिमा, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
76. राजकुमारी, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
77. महेत्तर, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
78. किशोर, गेरवानी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
79. पद्म, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
80. सुनील गुप्ता, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
81. अभिषेक यादव, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
82. फुलमति, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
83. फुममति – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
84. उर्मिला, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
85. मौहावति, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
86. प्रेमशिला, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
87. लक्ष्मी, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
88. नैनमति, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
89. अहिल्या – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
90. विमल, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
91. कृष्णा, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

92. नवीन गुप्ता, लाखा –एन. आर. इस्पात का समर्थन करता हूं। समर्थन करने का कारण यह है कि ग्राम जीवरी में इंगलिश मिडीयम स्कूल, ग्राम देलारी में एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं इसी के कारण मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूं। और आशा यह भी करता हूं कि पॉल्यूशन कम से कम करें।

93. नानक, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

94. छाया, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

95. राधा, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

96. सुकमति, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

97. चन्द्रभानु, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

98. महेश, लाखा – मैं एन आर का समर्थन करता हूं समर्थन इस कारण करता हूं कि ग्राम देलारी में हॉस्पिटल बना रहे हैं जो ग्राम लाखा से नजदीक है।

99. दिनेश, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

100. राजेश कुमार, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

101. सिताराम, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

102. राजेन्द्र, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

103. सुनिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

104. नीकिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

105. सुमित्रा, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

106. सावित्री, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

107. आशिन, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

108. कन्या, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

109. फुलबाई, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

110. चतुरसाय, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

111. भोगीलाल, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

112. मुकेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

113. बलराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

114. उतराकुमार, मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

115. प्रमोद, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

116. हरि गुप्ता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

117. सिकंदर, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

118. सुंदरमणी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

119. गंगाधर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

120. अंकित – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

121. आशिष – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

122. संतोष, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

123. सुरजमती, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

124. सहनाज, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

125. सुकमती, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

126. गरिमा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

127. संतोषी, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

128. तिजा बाई, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

129. सुनाई – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

130. उमेश प्रधान, सराईपाली – मैं पूर्व सरपंच ग्राम सराईपाली और विगत कई पिढ़ी से इस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं आज उद्योग से हमको बहुत कुछ फायदा है। किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे गांव कोई बिमार हो चाहे स्कूल फिस के लिये चाहे धार्मिक कार्य हो। ऐसी सभी चिजों को सहयोग करते हैं और जैसे तालाब के लिये हो इसी के साथ मैं एन आर इस्पात का समर्थन करता हूं।

131. बोधराम, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

132. माधुरी, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

133. संतोषी, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

134. यादुलाल, हर्राडीह – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

135. चरण – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

136. आलोक, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

137. राजेश, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

138. विजय, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

139. राहुल, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

140. श्यामसुंदर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

141. सोनु देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

142. कुम्हार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

143. विदेशी, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

144. ललित, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

145. पुरूषोत्तम, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

146. श्रवण, हर्राडीह – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

147. जानकी सिदार, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

148. दासमती, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

149. कमला, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

150. लक्ष्मी बाई, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

151. राहुल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

152. अनिल, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

153. सुनल, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

154. सिद्धार्थ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

155. चनेस – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

156. अनिल, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

157. गणेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

158. चम्पा, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

159. मेघना – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

160. मिरा, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

161. प्रतिमा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

162. गुलापी, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

163. पुष्पा, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

164. विजय, नावापारा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

165. महेश, जिंवरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

166. संकेत – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

167. शिवनारायण – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

168. परमेश्वर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

169. निर्मल लकड़ा, – मैं तारिका तरंगीनी संघर्ष के माध्यम से मैं इस जनसुनवाई का दिल से विरोध करता हूं। इसको मैं खंडित करता हूं और मैं इसको मान्यता नहीं देता। प्रति जनसुनवाई पीठासीपन अधिकरी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल विषय ये फर्जी जनसुनवाई पर रोक लगाने एवं विरोध बाबत् यह इस तरह से फर्जी है कि ग्राम सभा आम सभा कुछ नहीं हुई है हमें कोई मालूम नहीं है। तारिका तरंगीनी संघर्ष

आज दिनांक 05.01.2022 ग्राम देलारी में होने वाले फर्जी जनसुनवाई बड़ा विरोध करते हैं हम यह पूर्व की तरह से फर्जी है। हमारा क्षेत्र पर्यावरण प्रदूषण से त्रस्त है जितनी फैक्ट्रीयां बनी है उतना ही हम परेशान है और इसका विस्तारीकरण हमसे नहीं सहा जाता है। लोग समय से पहले मर रहे हैं आप लोग मरते हैं नहीं मरते हैं आप लोग तो एसी में रहते हैं क्या मरेंगे। गंभीर बिमारियां घर–घर में बड़ रही है। पूंजीपथरा में कितने सारे लोग असमय ही मर जा रहे हैं हमसे छोटे–छोटे लोग मर जा रहे हैं बिमारियां घर में बड़ रही है फसल हम किसानों की चौपट हो रही है। इन उद्योगों से हमारा कोई विकास नहीं है। विका का नाम जो ले रहे हैं वह सब बकवाश है बेकार है हमारा विनाश है इसमें इस जनसुनवाई को रद किया जाये बिल्कुल पीठासीन अधिकारी से मेरा यह गुजारिश है कि ये जो जनसुनवाई किया जा रहे इसे मान्य नहीं दिया जाये रद्द कर दिया जाये ताकि जिंदगीयों को सुरक्षित किया जा सके हमारे शासन का सौदा नहीं हो महामारी में हमारे सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा संस्थान बंद हैं लेकिन कंपनी के क्षेत्र में भीड़ जुटाना गलत है। आप लोग कहां तक सहमत हैं आप लोग इस काविड के समय में कलेक्टर के आदेश का आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। कल लोकडाउन का किया और आज आप इस भीड़ में इस जनसुनवाई का आयोजन कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। मैं एन आर इस्पात का दिल से विरोध करता हूं।

170. रोहित कुमार, गदगांव – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
171. विश्वनाथ, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
172. अनिल कुमार, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
173. गोपाल, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
174. विमल, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
175. आनंद, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
176. संतोष, गेरवानी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
177. श्रुती सिदार, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
178. सुरेखा, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
179. सुनई, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
180. प्रभासिनी, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
181. निरंजन, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
182. गोविंद – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
183. रूपेश, गेरवानी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
184. अनिल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

185. विश्वकुमार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

186. साहेबराम, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

187. बेलसिंह, गौरमुड़ी –

188. रवि, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

189. जलान, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

190. चितरंजन, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

191. श्रवण, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

192. भारत, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

193. भगत, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

194. हेमंत, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

195. तरूण, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

196. अक्षय, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

197. उत्तम सिदार, गदगाव – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

198. उमेश, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

199. सुकलाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

200. संदीप कुमार, सराईपाली, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। समर्थन इसलिये करता हूँ कि आये दिन ये सहयोग करते है।

201. चमरू सिदार, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

202. नंदकुमार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

203. निकेतन, जिंवरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

204. भोजकुमार, जिंवरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

205. रमेश, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

206. लीलाधर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

207. रामु, राबो – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

208. हेमराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

209. रामप्रसाद, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

210. कृष्णा, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

211. बल्लू, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

212. दीपक, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

213. भगवानो, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

214. संतोष, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

215. लक्ष्मी राठिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

216. अहिल्या, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

217. कुमुदनी, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

218. जसमति, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

219. रतन कुमारी, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

220. हेमवती – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

221. विलासिनी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

222. भगवती, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

223. मनिषा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

224. चंद्रवती, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

225. गायत्री, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

226. परमानंद, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

227. जगमोहन – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

228. सुदामा, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

229. राजीव पण्डा, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

230. श्रुतीलाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

231. समारूराम, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

232. कमलेश, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

233. निरंजन – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

234. प्रदीप, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

235. सरोज, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

236. तोषराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

237. चंद्रशेखर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

238. बुंदमती, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

239. उमा बाई, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

240. मिरावती, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

241. सुखमति, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

242. सहोद्रा, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

243. धनवार, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

244. कोसाई – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

245. कमला, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

246. रत्ना, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

247. प्रदेश, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

248. शुभम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

249. सूरज – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

250. दीलीप – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

251. मितेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

252. गंगाधर, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

253. लोकसिंह – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

254. नरेन्द्र – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

255. सेवाराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

256. टेकलाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

257. घुराउ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

258. भुवनेश्वर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

259. कोमल प्रसाद – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

260. सुरेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

261. महेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

262. राकेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

263. लक्ष्मी प्रसाद – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

264. चन्द्रकुमार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

265. श्रीनिवास – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

266. भुरी बाई – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

267. लक्ष्मी, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

268. सकुंतला – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

269. अमृत – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

270. कौशिल्या – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

271. बेतबाई – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

272. सरिता – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

273. श्रीमती सिदार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

274. लता – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

275. लोचन, शिवपुरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

276. प्रकाश गुप्ता, देलारी – पीठासीन अधिकारी महोदय, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी महोदय, व्यवस्था में लगे पुलिस के सदस्य अधिकारीगण मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह परियोजना स्थापना एन आर इस्पात गौरमुड़ी पेशा क्षेत्र में स्थापित होना है जो पांचवी अनुसुचीत क्षेत्र में आती है केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के तहत् किसी भी कंपनी के ईआईए जमा करने के 45 दिवस के भीतर जनसुनवाई का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। जिसके लिये उक्त परियोजना के 10 किलोमीटर के क्षेत्र के ईआईए पर्यावरणीय रिपोर्ट जो संबंधीत ग्राम पंचायतों में भेजवाया जाता है। जिसका ईआईए रिपोर्ट मेरे ग्राम पंचायत देलारी में नहीं पहुंचा है। पीठासीन अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे ग्राम पंचायत तक ईआईए रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचा है मैं ग्राम पंचायत सचिव से कल ही फोन पर बात किया कि ईआईए रिपोर्ट की जानकारी यह मुझे जानकारी दी गई है तो किस आधार पर इस जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। यह सरासर इल्लीगल है यह नियम विरूद्ध है यह जनसुनवाई को निरस्त किया जाये यह तरख्वास्त है मेरा पीठासीन अधिकारी महोदय से मेरे सवाल का जवाब दें अन्यथा जनसुनवाई निरस्त किया जाये। ईआईए भेजी गई होगी लेकिन पंचायत में उपलब्ध नहीं है मैने सचिव से बात भी किया परंतु मुझे पास गांव के मेरे दोस्त से ईआईए की कुछ जानकारी मिली है उद्योग लगने वाले निकटतम जगह में सिर्फ एक देलारी में स्कूल है गौरमुड़ी में एक प्रायमरी स्कूल है उसका उल्लेख ईआईएक रिपोर्ट में नहीं है। फर्जी ईआईए के आधार पर यह जनसुनवाई क्यों कराई जा रही है ईआईऐ के रिपोर्ट व प्रचार प्रसार का किसी को कोई जानकारी नहीं मैं यह जनसुनवाई शुरूआत से बैठ के देख रहा हूं कोई अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा है उद्योग का नाम भी नहीं बोल पा रहा है और इतना की वह कहां से आया उसका नाम भी नहीं बोल पा रहा है। ये जो जसुनवाई होती है ईआईए रिपोर्ट के प्रचार प्रसार एवं इसके मुद्दे पर अपना विचार प्रस्तुत करना होता है ऐ तो कोई रायगढ़ इस्पात बोल रहा है कोई एन आर इस्पात बोल रहा है तो कोई गांव का नाम लेकर ही निकल जा रहा है इसका ईआईए रिपोर्ट जो बनाया गया है उसका किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए यह जनसुनवाई तत्काल निरस्त किया जाये। उक्त उद्योग से संबंधित ग्राम पंचायतों के सदस्यों से पूछा मौखित रूप से की एनओसी दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो उन्होने जवाब दिया की एनओसी नहीं दिया गया है तो जब तक एनओसी नहीं दिया गया तो किस आधार पर जनसुनवाई कराया जा रहा है या तो आपके पास जो एनओसी पहुंची तो वह फर्जी है। या सीधा–सीधा मान लिया जाये की फर्जी एनओसी के तहत् यह जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। और एक मुख्य बात है जो सराईपाली मेरा बगल का गांव है वहां के नवा जवानों ने तालाब की समस्या को लेकर आवेदन दिया था उसका आज तक काई कार्यवाही नहीं हुई है ऐसा क्यों लापरवाही कर रहे हैं। यह सीधा–सीधा समझ में आता है कि उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिये आप बैठे है। अनुच्छेद 21 अनुसार हर व्यक्ति अपना जीवन यापन स्वच्छंद रूप से कर सकता है परंतु इन उद्योगों के आने से जमावड़ा होने से अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम सराईपाली में ग्राम सड़क

योजना के तहत् सड़क का निर्माण किया गया है जिसमें बड़े-बड़े गाडियों का आवागमन है हम लोगों को रोड में चलने से भी डर लगता है। देलारी, शिवपुरी से गौरमुड़ी से स्कूली बच्चे जो जाते हैं हो सके कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिये मैं कई बार पुलिस विभाग में 2015 से पहले लोक सुराज जैस कई आयोजन होता था कई बार मैने शिकायत की थी की स्कूली समय में नो एन्ट्री लगाया जाये लेकिन आज तक उसमें कोई कर्यवाही नहीं हुआ है ये सिस्टम बैठी है उद्योगों को फायदा दिलाने के लिये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे रायगढ़ में यहां कि जनता अपना जीवन यापन स्वछंद जी सकेगी की नहीं। उक्त उद्योग प्रबंधन द्वारा गौरमुड़ी के रास्ता को रोक दिया गया है ओ एक हिटलर शाही की तरह है तानाशाही की तरह है वहां के किसान अपने जमीन पर खेती करने भी नहीं जा सकते आपके जिला प्रशासन के पास पर्यावरण के पास लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। फसलों को लेकर एवं रास्ता को लेकर लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आखिरकार जिला प्रशासन इस तरह अपनी मनमानी क्यों कर रही है। ईआईए रिपोर्ट में एक भी आंगनबाड़ी को नहीं दर्शाया गया है जबकी 10 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 70 आंगनबाड़ी केन्द्र होंगें एयर स्पेस के हिसाब से और 70 आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के स्वास्थ्य पर किस तरह से असर हो रहा होगा उद्योगों के प्रदूषण फैला रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं एक डस्ट माहौल बना हुआ है इस क्षेत्र में किन्तु लोग अपने जुबान पर नहीं ला रहे हैं। मैं बाहर देख रहा था कि कुछ लोग अपने लोगों को ला रहें है लाईन में लगवा रहे हैं उद्योग प्रबंधन के लोग भी लगे हुये हैं ऐसा क्यों लोग अपनी बात को क्यों अपने विचार को भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं क्यों पूरा सिस्टम उद्योगों को फायदा दिलाने के लिये बैठी हैं ये ढकोसला क्यों रखी गई हैं यहां एक दल है जो प्रदूषण के अधीन बाहर में उनकी भावनाओं को समझा जाए। यहां सब मुख बधीर हो के बैठे हुये हैं। इस क्षेत्र में जितने भी उद्योग स्थापित है यहां पर वह सब भू जल दोहन कर रहे हैं भू जल से अपना उद्योग चला रहे हैं जिस जमीन में अपने आप पानी निकलता था रबी की फसल होती थी आज उस जमीन पर खरीब की फसल भी नहीं उग पा रही है उतीन सूखी है जल स्तर नीचे जा रही है बड़े-बड़े लोग ग्लोबल वार्मिंग के विषय में चर्चा करते हैं धरातल स्थल पर क्या हो रहा है उसका किसी को कोई परवाह नहीं है एसी रूम में विचार करने से कुछ नहीं हो रहा है। पीठासीन महोदया अपको समस्या सुनने के लिये यहां भेजा जाता है लेकिन आपको लोग अपनी समस्या को नहीं बता पाते हैं दूसरे के हिसाब से लोग यहां बोलते हैं गाड़ी में ढोह ढोह करके लाया जाता है लाईन में लगवाया जाता है। मेरा एक और विषय है सराईपाली गांव का तालाब की समस्या है पर्यावरण अधिकारी के पास और जिला प्रशासन के पास भी ज्ञापन दिया गया है उसका आज तक निवारण नहीं हुआ है उस उद्योग के पास केवल एक नोटिस दिया गया है उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज बेबस है लोग उस तालाब में नहाने के लिये उन्हें कई प्रकार के बीमारियां हो सकती है। मेरे बगल के गांव सराईपाली, गौरमुड़ी में सिलिकोसीस हो गई है। सिलिकोसीस बिमारी से मृत हो चुके हैं कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं फिर भी इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि मौन धारण किये हुये हैं क्षेत्र के समस्या के लिये कोई किसी के पास नहीं जाते हैं मैं किसी के मन को ठेस पहंचाना नहीं चाहता मुझे यह दुख लगता है कि मेरा क्षेत्र किस तरह से मर रही है घुट घुट के जीने के लिये मजबूर है लोग यह वनवासी क्षेत्र है मेरा क्षेत्र यह उद्योग जिसका विस्तार होने वाला है इसके अंतर्गन 50 गांव आते हैं एयर स्पेस के हिसाब से उसमें आधे से ज्यादा गांव पेशा एक्ट के तहत् अनुसूचीत क्षेत्र में आती है जो जंगलों पर निर्भर है। उद्योगों के विस्तार से जंगलें कट गई आय के साधन के स्त्रोत घट गये यह औद्योगिकरण इस क्षेत्र को बर्बाद करके चले गई कई लोगों ने कहा है कि हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है लेकिन आप लोगों ने देखा है कि रोड का कितना विकास हुआ है। विकास के नाम पर केवल विनाश किया जा रहा है पर्यावरण को

लूट रहें है यह उद्योगपति प्रकृति को अंग्रेजों की तरह लूट रहे हैं भू जल दोहन कर रहे हैं गांव के कुऐं से पानी का उपयोग करते हैं सभी के घर में पानी के लिये काई उचित व्यवस्था नहीं है पुराने जमाने के हिसाब से कुंऐ का उपयोग कर रहे हैं वो भी सुख रहे हैं। यह परियोजना जिस क्षेत्र में लगने वाली है यह हांथी प्रभावित क्षेत्र है जिसे ईआईऐ रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है सिर्फ इतना लिखा गया है कि हांथी की आवाजाही है कुछ दिन पहले फोरेस्ट विभाग वाले रात में गये थे बताने की हाथी की आई है सतर्क रहें करके इस हांथी प्रभावित क्षेत्र में 40 लाख लगभग मुआवजा दे चुकी है ये ईआईए रिपोर्ट से गायब हो चुकी है और ऐसी ईआईए रिपोर्ट पर लोकसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इतने समस्याओं को लेकर मैं एन आर इस्पात का विरोध करता हूं यह स्थापना न हो और जो संचालित उद्योग हैं प्रदूषण न हो ग्राउंड वाटर उपयोग के संबंध में कार्यवाही हो।

277. नुतन प्रसाद, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
278. हेतराम, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
279. समुधा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
280. नत्थु, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
281. बंटी, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
282. नेहरू – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
283. मनोहर, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
284. निशा, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
285. गुलाबी, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
286. फुलबाई, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
287. मीना, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
288. अलविरा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
289. खीरमती – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
290. सोनी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
291. कुंती, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
292. लीलाम्बरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
293. सरिता – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
294. सावित्री, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
295. उत्तरा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
296. सुनिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
297. शांति, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
298. हेमबाई, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

299. सरिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
300. बसंत, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
301. करण सिंह, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
302. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
303. मुरलीधर, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
304. गंगाराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
305. संतोष, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
306. कुश कुमार, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
307. संजय, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
308. देव पटेल, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
309. अयोध्या – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
310. कृष्णा, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
311. बल्ला – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
312. फागुलाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
313. लेकेश्वर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
314. कांति राठिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
315. मंतराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
316. सरोज कुमार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
317. गोविंद – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
318. सागर, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
319. नत्थुराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
320. पंचराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
321. श्यामलाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
322. विजय – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
323. शंकर लाल, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
324. राधेश्याम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
325. मुकेश, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
326. अमित, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
327. दया, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

328. अक्षय, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

329. राजकुमार, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

330. राहुल, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

331. अभय – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

332. राधे – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

333. आकाश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

334. किरण – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

335. संतोष – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

336. सनी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

337. विवके – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

338. राजेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

339. दीपक – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

340. देवकुमार, जिंवरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

341. उचितराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

342. अंबा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

343. माननीय पीठासीन अधिकारी आज जो यहां एन आर इस्पात एण्ड प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–गौरमुड़ी, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के लिये जो जनसुनवाई रखी है। जैसा आप हमेशा करते आये हैं की प्रभावित लोगों को आप प्रताड़ित किया जाये प्रभावित लोगों तक संदेश ही न पहुंचाया जाये और बाहरी लोगों को लाकर यहां समर्थन कराया जाये आज भी आपने यहां वहीं किया है जितने भी गौरमुड़ी के प्रभावित पंचायत के लोग हैं उसके रास्ते इस उद्योग ने रोका हुआ है सराईपाली से लेकर गौरमुड़ी तक के रास्ते जर्जर हैं कई खेतों में किसान के जाने के रास्ते बंद है और ये सब प्रभावित लोग सुबह से बाहर बैठे इंतजार कर रहें है कि कोई अधिकारी आये और बात करे आपके व्यवस्था हमें यहां रोके हुआ है आपकी व्यवस्था के कारण हम अपनी बात यहां नहीं रख सकते क्योंकि हम विरोध करने वाले लोग हैं। हम अपने तरीके से यहां विरोध करेंगे हमारे लोग वहां पर जो भी आ रहे हैं पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं जो भी लोग यहां अंदर आ रहा है उसका पहचान पत्र जांच किजिये क्योंकि आपने नोटिफिकेशन पूरे भारत को नहीं दिये जो प्रभावित गांव के पंचायत के लोग हैं आपने केवल उनको ही नोटिफिकेशन दिया है। और कंपनी के लोग भाड़े में लोगों को लाकर देलारी पंचायत, गौरमुड़ी पंचायत, तराईमाल का आदमी बताकर कर समर्थन करा रहे हैं आपसे यह व्यवस्था नहीं हो सकती हम खड़े हैं यहां बाहर पर सुबह से की आप यह जांच कीजिये हमारी समस्याओं का सौदा ये प्रशासनिक व्यवस्था कराकर कर रहे

हैं हमारा आपसे यह निवदेन है कि लोग आपसे बाहर मिलना चाहते हैं क्योंकि हमारे लोगों को अंदर आने नहीं दिय जा रहा है कि यहां कंपनी को लोगों को छूट दी गई है सौ दो सौ रूपये में समोसा चाय लाकर लोगों से समर्थन करा दिया जाये और प्रभावित लोगों की बात आप नहीं सुनते वे लोग अपने साथ पोस्ट लेके आये हुये हैं ये बताने के लिये हम इतने प्रताड़ित है इन कंपनियों से हमें कोई सुविधा नहीं है इन कंपनियों से आज तक हमें कुछ नहीं आज तक मिला है बल्कि इनके प्रदूषणों से हमारे खेत खराब हो गये हमारे रास्ते खराब हो गये हमारा जो आपसी एकता भाई चारा ये खत्म हो रहा है। आपसे मेरा अनुरोध है यदि उनको नहीं आने देते हैं तो आप चलिये बाहर और आप चलकर वहां विरोध सुन लिजिये वहां विरोध करेंगे वहां हम सब बात करेंगें। चलिये मेरे साथ और दो भाई आये हुये हैं आपको बुलाने आये हुये हैं क्योंकि ये व्यवस्था हमको आने नहीं दे रही है ये व्यवस्था हमको विरोध नहीं करने नहीं दे रही है बाहरी लोगों को लाकर यहां समर्थन कराया गया है। यहां न तो आईडेंटीटी चेक कराया जा रहा है किनारे के रास्ते से लोगों को अंदर लाया जा रहा है इसलिये हम बाहर बैठे हुये हैं कि बाहर के लोगों को अंदर लाया जा रहा है हमारी ग्राम सभायें नहीं कराये आपने न लोक सभा न विधान सभा सबसे बड़ी है ग्राम सभा उस ग्राम सभा को 'उल्लंघन उस कानून का उल्लंघन आपने किया है आप अगर ग्राम सभा की अनुमति ले लेते तो हमें आज यहां बाहर नहीं बैठना पड़ता ओ गांव के लोग अपनी मांग रख लेते और वे लोग आपको बता देते हमारे गांव में उद्योग की जरूरत है या नहीं है पिछली जनसुनवाई में लोगों अपनी सब्जी भाजी सब लाके दिखा दी उसके बाद भी अरे इस विभाग को भारत के लोगों ने बनाया इसलिये है कि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे आप पर्यावरण को सुरक्षा देंगे और यहां आप खुद यहां पीठासीन अधिकारी बनकर बैठे हुये हैं पर्यावरण प्रदूषण की स्वीकृति मांग रहे हैं हम यहां पूंजीपथरा से यहां तक आये हुये हैं आके हमें यहां हांथ मुंह धोना पड़ा है चेहरे पर पूरा डस्ट रहता है चेहरे पर पूर कोयला रहता है येसा दिखता है कि हम खदान से निकलकर आये हुये हैं यह आप लोगों को दिखाई नहीं देता और नहीं दिखता है तो चलिये मैं दिखाती हूं आपको अपनी गाड़ी में बैठा पीछे बैठाकर रायगढ़ तक छोड़ कर आउंगी प्रदूषण मैं आपको दिखाउंगी की आपके चेहरे का क्या हाल होगा आप खुद समझ जायेंगे की प्रदूषण कितना है नालों के देखिये जिन नालों का पानी हम पिया करते थे उन नालों में हम पैर धोना भी पसंद नहीं करते हैं ये इतना प्रदूषित एरिया है लगातार विरोध करने के बाद भी और कल भी कलेक्टर साइब ने यह आदेश जारी किया है राज्य सरकार के आदेश पर की किसी भी तरीके की भीड़ नहीं जुटाई जायेगी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे स्कूल बंद होगी आंगनबाड़ी बंद होगी सारी शैक्षणिक संस्थानें बंद होगी फिर ये क्या एक कंपनी को एक उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिये जिला प्रशासन भी इतना बिक गया पर्यावरण संरक्षण बिक गया राज्य सरकार बिक गई कितना अन्याय करेंगे आज घर–घर में कैंसर के मरीज निकलकर आ रहे हैं ये

एरिया जो है सिलिकोसिस प्रभावित क्षेत्र है दमे के बिमारी से पिड़ीत एरिया है ये, ये बिमारियां आपको यहां दिखाई नहीं दे रही लोग बेमौत यहां मर रहे हैं कितने हत्याओं का बोझ हम अपने उपर लेकर चलेंगे आने से पहले आपको ये तो सोचना चाहीये की आप जिस कुर्सी पर बैठे वो एक संवैधानिक संस्था है इस देश की संविधान की शपथ लेकर आप इस कुर्सी पर बैठते हैं आर आज लोकतंत्र की हत्या आज कर रहे हैं कितना बड़ा पाप आप कर रहें हैं आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता लोगों को डराकर पुलिस बल को सामने कर लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं हमारी अनुसुचीत पंचायतों में थाने की व्यवस्था इसलिये है की इस क्षेत्र के लोगों के उपर आने वाली विपत्ति को कोई भी घटना घटे उन्हें कोई भी तकलीफ हो उसके रक्षा पुलिस विभाग करेगा राजस्व विभाग करेगा और आज वह कर क्या रहा है क्या कर रहे हैं अनुसुचित पंचायतों में क्या पुलिस विभाग को थाने को एसडीएम को तहसीलदार को तहसील कार्यालय को इसलिये अपनी जमीने दि है इसलिये आदिवासी पंचायतों में जमीने दी गई है की आप हमारे अधिकारों का हनन करेंगे हमारा शोषण करेंगे पुलिस की वर्दी दिखाकर हमें डरायेंगे आप से विनती है हमारी और बाहर हम सारे लोग खड़े हैं रोका किसलिये जा रही है खबर भी मिली मुझे की जब सारे समर्थन करने वाले लोग यहां समर्थन कर लेंगे तब उनको अंदर आने देंगे खबर मिल गई हमें वहां पर इसलिये यहां आये हैं आपको बोलने के लिये की आप चलिये आप बाहर ये व्यवस्था जो हमें रोकने के लिये बनाई जा रही है अब आप चलिये और हमारा विरोध वहां लिजिये चलिये आप जवाब दिजिये बोल दिजिये उनको हम पोस्टर के साथ आयेंगे हम ये भी बोलना चाहते हैं क्या आपने जिन पंचायतों को नोटिफिकेशन दिया है उन पंचायतों के अलावा भी बाहरी लोगों को यहां आकर आने की अनुमति है ऐसा कोई नियम है ऐसा कानून पर है क्या कि जहां आपने नोटिफिकेशन दी है उसके अलावा भी बाहरी लोग यहां कर समर्थन या विरोध करेंगे जवाब दे दिजिये। समझ गये की हमारी सांसों का सौदा की भातर कर सकता है हमें मारने का पूरा भारत ने ये बेड़ा उठाया हुआ है आप की दया से और पर्यावरण की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हम स्थानीय लोगों से क्यों छिपाई है हमें क्यों नहीं दी गई वो रिपोर्ट पर्यावरण की जो रिपोर्ट है वो भी तो हमें मालूम होनी चाहीये की किस लेबल पर है ग्राम सभायें आपने नहीं कराई क्या ग्राम सभायें कराना नहीं था इसमें पंचायतों की आईडेंटीटी तो बिल्कुल होनी चाहीये आप सांसे हमारी ले रहें और आप बोलते हैं कि यहां कोई भी आ सकता है पूरे भारत से कोई भी आ सकता है यदि आप हमारा विरोध वहां पर ले सकते हैं तो आप हमारे लोगों को वहां बोल दिजिये वहां व्यवस्था में जो भी है उनके बोल दिजिये वहां पोस्टर लेके आये हुये हैं पोस्टर सहित आपको विरोध देकर जायेंगे। उनको अंदर आने दिया जाये बोल दिजिये आ जायेंगे तो आप अपने व्यवस्था के लोगों को नहीं कहेंगे की हमारे लोगों को अंदर आने दें। मानीय पीठासीन अधिकारी आपने आदेश दे दिया है लेकिन पुलिस वहां आने नहीं दे रही है वो लोग कह रहे हैं की आपने आदेश दिया

ही नही है आप उन्हें आदेश दिजिये की उनको आने दे अंदर हम जो भी विरोध है लाये है अपने साथ में आप खेत किसका ले रहे हैं आप किसके रास्ते रोक रहे हैं आप किसके सांसों का सौदा कर रहे हैं या ओ लोग जो बाहर से आ रहे जिनके आई डी आप चेक नहीं कर रहे हैं वो बोलेंगे क्या इस प्रदूषण में इस प्रदूषण में मरेगा कौन इस क्षेत्र का आदमी गौरमुड़ी का आदमी, तराईमाल का आदमी, सराईपाली का आदमी, बाहरी लोग बता रहे हैं की मैं इस गौरमुड़ी का हूं, तराईमाल का हूं, सराईपाली का देलारी का हूं ये नहीं देखते की वह झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है और हम कह रह हैं की परी तरीके से राज्य सरकार का आदेश है की आप भीड़ नहीं कर सकते इसके बाद भी आपने हर जनसुनवाई एन एच 49 में की है गुपचुप तरीके से लोगों को भाड़े में लाकर के समर्थन करने पर कामयाब हो रहा है और हमें अपने तरीके से विरोध से रोका जा रहा है जो प्रभावित लोग हैं उनको ही विरोध के लिये रोका जा रहा है और आप जो गलत करें संवैधानिक व्यवस्था को ताक पर लगा दें लोकतंत्र की हत्या कर दें ये सही है ये कानून और प्रशासन के नियम है हम पूछ रहें की आप हमें एक नोटिस दे दिजिये की हम अपने बैनर पोस्टर के साथ जनसुनवाई में नहीं आ सकते हम कोई डंडा नहीं ला रहे हम यहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध देकर जायेगें और आप यदि कहें कि हम अपना बैनर पोस्टर नहीं ला सकते तो ऐसा कोई नियम नहीं लिखा हुआ है तो आप हमें यह रिटन में दे दिजिये पीठासीन अधिकारी महोदय हम नहीं आयेंगे। पर अगर नहीं है तो हमें आप अनुमति दिजिये पुलिस प्रशासन को अनुमति दिजिये की हमें वह अंदर आने दें। जो लोग आये हैं वो भाड़े पर आये हुये हैं साहब जरा तो साचिये की लोगों की जिंदग यहां कैसी होगी। थोड़ा सा तो उपर वाले से भय खाइये साहब कैस जियेंगे संवैधानक कुसी पर बैठकर इनके सांसों का सौदा क्यों कर रहे हैं। कुछ तो इनकी बातें सुन लिजिये।

344. राजमणी, लाखा– मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
345. जवाहर, लाखा– मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
346. जय यादव, लाखा– मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
347. सोहन, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
348. दया, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
349. स्वराज, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
350. लक्ष्मी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
351. अनुप, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
352. गौतम प्रसाद, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
353. अमर, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
354. जमुना बाई, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

355. विचित्र राम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

356. अनंतराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

357. मुकेश अग्रवाल, गेरवानी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। पर्यावरण प्रबंधन को बनाये रखे।

358. नरेश, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

359. प्रेम चौहान – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

360. रामकुमार, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

361. रविश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

362. सुरेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

363. खुशीराम, गेरवानी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

364. अमित, बरपाली – जहा दिल्ली में 400 रहता है तो हमारे यहा 350 रहता है इसलिये मैं एन.आर. का पुरजोर विरोध करता हूँ।

365. पूजा साहू – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

366. सोना चौहान – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

367. उमा चौहान – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

368. उद्धव प्रसाद – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है क्योंकि ये सब में 1 नंबर के है ये जो भी बोलते है तत्काल करते है।

369. सुरेन्द्र भोय, सराईपाली– कुछ समय पूर्व यहां पर बताया जा रहा था यह जनसुनवाई बंजारी प्रांगण में एन आर इस्पात के द्वारा कराया जा रहा है आने जाने का रास्ता नहीं है और जितने भी लोगों को यहां लाया जा रहा है भाड़ा से लाया जा रहा है। ये बिल्कुल निराधार गलत है क्योंकि हम यहां पंडाल के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं अपने आधार कार्ड लेकर बैठे हैं यहां जो 07 किलो मीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड है गेरवानी से सराईपाजी रोड यह कंपनी के द्वारा ही रिपेयरिंग किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व यहां जो सराईपाजी से राबो तक जो रोड है उसे कंपनी के द्वारा ही किया गया है। हमने निवेदन किया की जिस क्षेत्र में यह उद्योग स्थापित उस क्षेत्र में जनसुनवाई होनी चाहीये ताकि उस क्षेत्र को जो प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र को लोग वहां आ सके और अपनी समस्याओं को बता सके। और जो हमारे संजय अग्रवाल जी हैं हर क्षेत्र में चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या कोई भी फंक्शन हो स्कूल से संबंधित हो स्वास्थ्य से संबंधित हो वह हमेशा यह कार्य के लिये तत्पर रहते हैं सहयोग करते हैं हमने एक बार उनसे निवेदन किया था कि इस क्षेत्र में एक इंगलिश मिडियम स्कूल खोला जाये तो ताकि इस क्षेत्र के जो गरीब दूखी लोग हैं बच्चे हैं वो पढ़ लिखकर बड़े और आगे

बड़े ऐसी हमने उनको बोला था हम इस मंच के माध्यम से उनकी बात को सुनेगें हमारी क्षेत्रवासियों की मांग है और यह खोला जायेगा। इस क्षेत्र में जो राबो डेम जो जिंदल तक डेम वहां से बरपाली तक रोड के दोनों साईड पेड़ पौधे लगाये गये हैं ये सब कितना अच्छा लगता है हरियाली है बरपाली से गेरवानी तक रोड के दोनो साईड पेड़ पौधे लगाया जाये हरियाली हो। आने जाने वाले लोग धूप के समय में गर्मी के दिनों में बैठ सकें आराम कर सकें यह कार्य को करें कम से कम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें ताकि इस क्षेत्र के प्रभावित लोग गरीब दुखी जनता उनका इलाज हो सके

370. रोहित, सराईपाली – इस क्षेत्र में एन.आर. ग्रुप ऐस ग्रुप है जो इस क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करती हैं। कोई गरीब का शादी होता है तो 5–10 हजार का मद्‌द करता है, कोई बीमार हो, गाड़ी की आवश्यकता हो एन.आर. ग्रुप उनको मद्‌द करता है। मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
371. उच्छबदास, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
372. बलराम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
373. बंशीलाल, जिंवरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
374. मनोज साहू – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
375. परस, लाखा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
376. अजय, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
377. गोपाल, बासनपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
378. मोहन, बासनपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
379. लक्ष्मी राठिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
380. सुमती – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
381. तिजा बाई – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
382. सुमती – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
383. भुरी चौहान – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
384. लीलावती, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
385. ललिता, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
386. चमेली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
387. सुनिता – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
388. लीलावती, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
389. जानकी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

390. अभिनव, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। इस प्लांट से हमको क्या लाभ मिलने वाला है बताओ, यहा सुबह और शाम को पानी मारना चाहिये, यहा के पत्ता में बहुत डस्ट है, केंदु सभी लोग खाते है उसमें भी डस्ट आ जा रहा है, महुआ में भी डस्ट है, तालाब में भी डस्ट है, डस्ट को बंद करो।

391. चंद्रो, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

392. सौरभ, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है और यथासंभव प्रयास करें कि क्षेत्र में डस्ट और जितने भी प्लांट से निकलने वाली डस्ट को कम करें और गांव के हित के लिये विचार करे।

393. जितेन्द्र मालाकार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

394. प्रकाश कुमार, उज्जवलपुर – फीर से कोरोना काल की लहर चलने वाली है जब पुरा देश में कोरोना आया था तो कोई भी भुखा नहीं सोया और इन उद्योगों ने हमें काम दिया। कोई भी संस्था से हमे प्रमाण–पत्र दिया जाता है तो वो सरकारी नौकरी में काम आती है। मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

395. सुमंत – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

396. सुमित राम – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

397. प्रदीप – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

398. भोजकुमार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

399. खीरसागर मालाकार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। एन आर इतने सारे काम करता है कि गिनाना मुश्किल होगा। ईआईए रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें प्लांट के क्षमता विस्तार करने के लिये उल्लेख किया है क्षमता विस्तार के साथ साथ मजदूरों का भी उल्लेख किया है जहां–जहां विस्तार होना है उद्योग का वहां के लोगों का भी विकास होना निश्चित ही है। यह मंच बहुत छोटा पड़ रहा एन आर के ख्याती के गिनाने में एन आर का हृदया बड़ा है एन आर नाम दो शब्दों का है लेकिन ऐ दस एकड़ का जमीन हमारे तराईमाल में एनआरव्हीएस करके एक उद्योग है मैं एक किलोकमीटर दूर मेरे घर से मैं उस गांव के ग्राम पंचायत का एक वरिष्ठ पंच हूं मैं इनके पास गरीबों की मदद के लिये जाते रहता हूं मैं एक बार भी खाली नहीं लौटा और उद्योग के विस्तार से जो कम्यूनिकेशन है मिन्स ट्रांसपोर्टिंग में भी वृद्धि होगी अभी एन आर ग्रुप जो गौरमुड़ी में है मैं कहना चाहूंगा गौरमुड़ी के गांव के कुछ व्यक्ति छत्तीसगढ़ी में कहूं तो ये फंद करने बैठे हुये हैं उनका कहना है कि उनको रोड चाहीये रोड देने के लिये तैयार है मैने सुना लेकिन वह रोड मांग रहे हैं फैक्ट्री के बीचों बीच से ये संभव नहीं है मैं छाती चिर के मां और बाप की सेवा नहीं कर सकता दोनों भुजाओं से सेवा

कर सकता हूं ये फंद वाली बात हो गई गौरमुड़ी वालों की तो मैं गौरमुड़ी वाले भाईयों को कहना चाहूंगा एन आर कोई संजय अग्रवाल विजय अग्रवाल उनके बेटे शुभम अंकित ऐ कोई मंगल ग्रह से नहीं आये हैं ये लोग हमारे ही छत्तीसगढ़ के आदमी है बसन सराईपाली के आदमी है छत्तीसगढ़ी भाषा भी जानते हैं इन लोगों से तो मौखिक छत्तीसगढ़ी में भी बात किया जा सकता है प्लांट के तीरे तीरे रस्ता चाहीये कहें तो मुझे विश्वास है कि किसी भी चीज के लिये नहीं बोलेंगे अभी अभी ये लोग तराईमाल में एक ट्रामा सेंटर खोल रहें हैं एक ट्रामा सेंटर और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द खोलना चाहते थे मैं तराईमाल सराईपाली का विधायक प्रतिनिधि हूं विधायक के साथ में तमनार सीएमओं के पास में गये हमने कहा कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर दिजिये वहां कि आबादी ज्यादा है सीएमओ साहब का कहना था कि पहले 09 किलोमीटर की दूरी पर सराईपाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में असुविधा होगी हम लोग नहीं खुलवा सकते मैने संजय भैया से कहा संजय भैया बोले मैं देखता हूं करके और अपने प्लांट के सामने ट्रामा सेंटर खोल रहे थे लंब संब 10 तो नहीं 8 फूट तक ईंटा टूट गया था उसका तो फिर गांव वालों के विकास के लिये फिर गांव के एक दम नजदीक में गांव से जुड़ी हुई कोई जगह उन्हीं से मांगते हैं मैने अपनी पैतृक कब्जा भूमि जो शासकीय भूमि थी उसको दे के 16 बेड का बहुत ही बढ़िया ट्रामा सेंटर लगा दिया। स्वास्थ्य के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बढ़िया काम किये मैं स्कूल क शाला प्रबंधन समिति हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में हूं मैने कहा कि भैया यहां आर ओ की व्यवस्था कर दिजिये तत्काल ओ जगह को देखने गये संजय अग्रवाल और शुभम दोनों गये और देख के आये और यहां आरओ लगा देते हैं अभी जस्ट की बात है तीन दिन पहले की बात है बारिश हो रही थी मैने कहा भैया एकदम गरीब लोग मैं राशन दुकान चलाता हूं तो राशन दुकान पर निराश्रित जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहते हैं जो अपंग अपाहिज रहते हैं उनकी एक सूची बनाया और संजय भैया को वाटह्सप किया उनकी तबियत खराब थी मैने कहा भैया इन इन जनों को कंबल देना है तो मै तो नहीं कर सकता प्रबंधक को बोलता हूं जाकर ओर वहां आयेंगे तत्काल शाम को यहां कंबल पहुंचा दिये थे जिसको दो तीन हम पंचों गांव के लोगों को बुलाकर एकदम निराश्रित लोगों का कंबल बांटे थे। मैं व्यक्तिगत काम के लिये मेरी बड़ी मम्मी खत्म हो गई थी तो दाह संस्कार के लिये उस जगह की साफ सफाई के लिये जेसीबी मांगने गया था तो रात के तीन बजे ये अपना जेसीबी प्लांट से निकालकर दिया। उसमें कालीदास की पंक्ति याद आती है कि महाराज सिकन आज से दो हजार वर्ष पूर्व महाराज सिकन जंगल पर शिकार करने के लिये गये शिकार पर उन्होने शकुन्तला पर मोहित हो गये और उनके पास एक रात रूके और उनको गर्भवती कर दिये और वहां से लौट आये वहीं शकुन्तला सात महीने बाद उस राजा के दरबार में दो बजे सबसे अंतिम प्रतिहारी से पूछा कि क्या ये राजा कर्ण का घर है तो उसने कहा कि हां यह राजा कर्ण का ही घर है तो उसने

कहा कि मुझे मिलना है जो आज संभव नहीं होता तो उस प्रतिहारी ने कहा कि इस घंटा को बजाइये और राजा तुरंत बाहर आ जायेगा। उसी तरह संजय अग्रवाल जी का वहीं कथन है की मिट यूअर एनीटाइम दो बजे राज को भी घंटा बजाइये रात के दो बजे भी वह फोन उठायेंगे और समस्या का समाधान करेंगें। मैं मांगा हूं गरीबों के लिये दलितों के लिये निसहायों के लिये मांगा।

400. डमरूधर, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

401. पलसिंह – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

402. अरूण, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

403. मानव – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

404. सुमित कुमार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

405. अजय, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

406. मिथलेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

407. रोहित सिदार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

408. राजू, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

409. लक्की, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

410. डालेश्वर, भैसगड़ी – यहा आने वाले को गेट में खड़ा कर दिया गया है मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

411. भरत लाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

412. कमल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

413. विक्रम् सिंह यादव – यहा आम जनता आये हुये है और सभी समर्थन कर रहे है। हम पढ़े–लिखे होने के बाद भी सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है रायगढ़ जिले में एक ही पॉवर प्लांट है जिंदल पॉवर, जो बाहर की कंपनी है और आज यहा एक और एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर के नाम से यहा विस्तार किया जा रहा है जो यहा छत्तीसगढ़ की कंपनी है। यहा सभी कंपनी लोगो को रोजगार दे रहे है और परिवार चला रहे है मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

414. सुरेश, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है क्योंकि गरीब व्यक्ति भी उनसे बात कर सकता है और बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है।

415. अरविंद – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

416. कमलेश – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

417. सरोज, पाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

418. गोवर्धन, पाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

419. अर्जुन, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

420. बिहारी, पाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

421. भुवनेश्वर, पाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

422. अर्जुन – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

423. गौरीशंकर, पाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

424. राजेन्द्र गुप्ता, – कलेक्टर साहब के निर्दश के बारे में मैं पुछना चाहता हूँ। हमारे कपिल मछवारा समति में 198 सदस्य है। संस्था में मत्स्य पालन के लिये सरकार हमे राशि उपलब्ध कराती है और सभी का रोजी–रोटी जलासय से चल रहा है। यहा उद्योगो की गतिविधिया है जो विस्तार हो रहा है अच्छी बात है।

425. ललित सिदार – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

426. बुद्धदेव – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

427. संजय कुमार – एन.आर. कंपनी के मालिक सभी प्रकार के सहयोग करते है चाहे वह आर्थिक मामला या सामाजिक मामला हो। सराईपाली रोड की थोड़ा व्यव्स्था करें, ड्यूटी जाने में कठिनाई होता है। मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

428. आकाश केशरी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगो को रोजगार दिया जाये।

429. मोतीलाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

430. दुर्गेश कुमार, सराईपाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

431. रामकृष्ण – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

432. दुर्गेश, बरलिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

433. रविशंकर यादव, लैलूंगा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

434. कैलाश यादव, लाखा – मैं विरोध करता हूँ क्योंकि यहा प्रदूषण बहुत हो रहा है। यहा प्लांट बसाने से रोजगार मिलेगा बोलते है तो रायगढ़ में जाकर बैठाओं वहा बहुत बेरोजगार बैठे है। ग्राम गौरमुड़ी में क्या समस्या है उनको सुने और अमल करें।

435. द्वारिका सिंह, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

436. गंगाप्रसाद, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

437. विजय, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

438. राजकुमार, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

439. मानसिंह, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

440. अहिल्या सिदार, गौरमुड़ी,– विरोध।

441. फुलकुंवर – विरोध करती हूं।

442. यशोदा – विरोध करती हूं।

443. रूकमणी – विरोध करती हूं।

444. सुकमती – विरोध करती हूं।

445. यशोदा – विरोध करती हूं।

446. लक्ष्मीकांत दुबे – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। आज की इस जनसुनवाई में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि उचित निर्णय करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं जिला प्रशासन को और पीठासीन अधिकारी परम आदरणीय कुरूवंशी साहब जी पर्यावरण अधिकारी परम आदरणीय वर्मा सर जी और जो भी प्रशासनिक अमला जो यहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं इस बात की बधाइयां देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पहले बंजारी धाम को दलाली का अड्डा बना दिया था और यह पहली जनसुनवाई है जब से मै देख रहा हूं कि दूसरे स्थान पर है। लगातार मैं सुन रहा था लोगों की प्रतिक्रया आ रही थी की लोगों की दलाली करना बंजारी धाम पर बंद करो। विरोध का भी आप लोगों ने सामना किया है और आप लोगों को पता था कि आज की स्थिति क्या होगी और मजबूरनवश आप लोगों को स्थान परिवर्तन करके इस ग्राम में जनसुनवाई आयोजित किया जा रहा है। मैं आज के इस जनसुनवाई का पुरजोर विरोध करता हूं क्यों कि रायगढ़ जिला अति प्रदूषित हो गया है तथा इस क्षेत्र में किसी भी नये उद्योग की स्थापना और विस्तार की क्षमता विस्तार की कोई गुंजाईस नहीं है ये कोई जनसुनवाई नहीं है बल्कि उद्योग के पक्ष में उद्योगपतियों की सुनवाई है मैं निवेदन करूंगा की इस तरह की जनसुनवाई जो पूर्व से उद्योगों के पक्ष में सुनियोजित है पुलिस जो धन बल प्रशासनिक व पुलिस दम पर डर का माहौल बनाकर संपन्न कराया जा रहा है इस जनसुनवाई को अभी यहीं पर निरस्त किया जाये। मैं अपनी बात रखते हुये कहना चाहूंगा आज की यह जनसुनवाई इसलिये भी निरस्त किये जाने योग्य है क्यों कि वर्तमान समय में कोरोना जैसी बिमारी फैली हुई है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे रायगढ़ जिले में लगातार कोरोना के मरीज बहुतायत संख्या में निकल रहे हैं इस बिमारी के बचाव के उपाय श्वसन स्टेज शासन के नियमानुसार 6 फिट की दूरी व मास्क लगाना है किन्तु इसका भी ध्यान नहीं रखते हुये जिला प्रशासन नियमों को ताक पर रखते हुये जनसुनवाई आयोजित कर रहा है और संपन्न करा रहा है क्यों कि यह जनसुनवाई उद्योगपतियों और जिला प्रशासन के मिलीभगत से हो रही है एक ओर जिला प्रशासन आदेश जारी करता है कि वैवाहिक कार्यक्रम, अंतिम संस्कार व दशगात्र जैसे कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे नववर्ष सामूहिम कार्यक्रम होटल, ढाबा, कॉलोनी और जो धार्मिक

स्थल पर कार्यक्रम थे उसको कलेक्टर साहब ने तत्काल निरस्त कर दिया किन्तु दस हजार के संख्या में जो जनसुनवाई आयोजित की जा रही है ये दोहरा चरित्र कलेक्टर साहब का जिला प्रशासन का इस क्षेत्र की जनता देख रही है। कलेक्टर साहब को इस क्षेत्र की जनता से कितना प्यार है ये बताने की जरूरत नहीं है ये खुली आंख से देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस कहां पर सोशल डिस्टेंस है इतने सारे पुलिस फोर्स लगाके रखे हैं आप लोग सोशल डिस्टें नहीं बना पा रहें हैं मैं यह बार–बार हर जनसुनवाई में कहता आ रहा हूं की एनसीसी के एनएसएस के स्काउड गाईड के बच्चों को लगाइये सर उन लोग इनसे अच्छा सोशल डिस्टेंस बना सकते हैं क्या मतलब है सोशल डिस्टेंस नहीं है अगर कोरोना का विस्फोट होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये जिला प्रशासन का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है एक ओर वैवाहिक कार्यक्रम अंत्योष्ठी कार्यक्रम में 100 व्यक्तियों के शामिल होने का आदेश जारी किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर उद्योगपतियों के साथ हजारों लोग दस हजार के संख्या में लोगों को शामिल कर जनसुनवाई कराकर कोरोना जैसी बिमारी को बढ़ाने का कार्य जिला प्रशासन ने किया है ठेका ले लिया है उद्योगपतियों से आज की जनसुनवाई इसलिये भी निरस्त किये जाने योग्य है क्यों कि यह जनसुनवाई जिला प्रशासन व पुलिस बल के दम पर अपने पक्ष में कराये जाने की चाल से जो कि पूर्व से सुनियाजित है अभी जो घटना होने वाली है जो भी दर्शक है जो भी वक्ता हैं उनको मैं बता दे रहा हूं जैसे मैं अपनी बात को व गंभीर समस्या को थोड़ी देर बोलूंगा वैसे ही उद्योगपतियों के एजेंट पीछे से बोलेंगे की हमें भी बोलने का मौका दो हमें भी बोलने का मौका दो उसके बाद पीठासीन अधिकारी पर्यावरण अधिकारी हमारे सम्मुख बैठे हुये हैं वो कहेंगे की जल्दी जल्दी अपनी बात रखिये सबको अपनी बात रखने का मौका दिजिये और उसके बाद तहसीलदार साहब आ जायेंगे प्रशासनिक टीम आ जायेगी पुलिस बल आ जायेगा और एसडीएम साहब आ जायेगें और मुझे बोलेंगे यहां से चलिये दूसरे को बोलने का मौका दिजिये मतलब पूरा दादागीरी कर देगें यहां पर और कोई चोरीछूपे नहीं सार्वजनिक मंच में हो रहा है यहां पर अभी मैं बाहर विडियो बना रहा था साहब लोग मेरे से गुस्सा हो जा रहे थे अरे भैया ये सार्वजनिक जगह है मैं क्यों नहीं विडियो बनाउंगा मतलब आप कोरोना फैलाइये तो कुछ नहीं हम कुछ विडियो खिंच दें तो आपत्ति है। उसके बाद बोलेंगे बहुत देर हो गया चलिये चलिये और दबाव बनायेंगे और मुझे अपनी बात रखने का पूरा अवसर तक नहीं दिया जायेगा। क्योंकि यह पूर्व से सुनियोजित है कि विरोध करने वालों को कैसी हटाया जायेगा इससे पूर्व भी मैं दो तीन जनुसनवाई में आया हूं चूंकि इससे पहले मैं जनसुनवाई में नहीं आया हूं चिंता तो थी दूसरी में प्रयास किया हूं लगातार क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है प्रदूषण का जो स्तर है बेरोजगारी की जो समस्या है जल जंगल जमीन जो समाप्त हो रही है उन सबको देखते हुये मुझे लगा की इस विषय पर भी बोलने भी प्रयास करना चाहीये इसमें लगा हुआ हूं उद्योगपतियों के एजेंट प्रशासनिक अमला व पुलिस बल

उद्योगों के लिये काम कर रहे हैं और विरोध में अपनी बात रखने वाले वक्ता इस तरह यह बल लगाकर जनसुनवाई को सफल बनाने का प्रयास है सूत्र बताते हैं कि इसके लिये व हर जनसुनवाई के लिये पहले से ही लेन देन हो जाता है और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस विभाग संबंधीत विभाग एवं उद्योपतियों के एजेंट के रूप में काम करने वाले लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार ले देके अपने पक्ष में कर लिया जाता है और जनसुनवाई सफल कर लिया जाता है क्यों कि मैं समझता हूं कि यहां जितने बल की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा आप देखिये साहब ट्रैक्टर में कैसे लोड करके बड़े वाहनों में लोड करके छोटे छोटे बच्चे एस साल दो सल तीन साल को लाया जा रहा है। मेरे पास विडियो भी है नंबर दिजिये मैं भेज देता हूं सर तो क्या इससे कोरोना नहीं फैलता है सर पिछली जनसुनवाई के बारे मैं बता रहा हूं पिछली जनसुनवाई में मैं उपस्थित हुआ था और अपना विरोध दर्ज कराया था मैंने देखा की प्रभावित क्षेत्र की लाखा के ग्रामवासी हजारों के क्षेत्र में महिला, पुरूष, बुजर्ग और बच्चे सभी मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गये थे और विभिन्न वर्गों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध कर रहे थे। विरोध का स्वर इतना था कि मुख्य पीठासीन अधिकारी और पर्यावरण अधिकारी को मुह छूपा कर मुख्य द्वारा को छोड़कर पीछे के रास्ते से अंदर घुसना पड़ा था। दूसरा मुख्य द्वार पर जो रजिस्टर नाम व पता दर्ज करने हेतु रखा गया था समर्थन व विरोध करने हेतु रखा गया था वह भी वहां से हटा दिया गया और बल्कि पीछे अवैध तरीके से नाम दर्ज कराकर भेजा जा रहा था साहब आपको पता चलता न की बाहर क्या हो रहा है अगर नहीं होता है तो अवगत करा रहा हूं कि इसकी पूरी जानकारी लिजिये और पर्यावरण मंत्रालय को, मुख्य सचिव को, केन्द्र सरकार को भेजते रहिये, एनजीटी को भेजते रहिये और अवैध तरीके से लीपापोती करके जनसुनवाई को संपन्न करा दिया गया था। वहीं एक पिछली जनसुनवाई में एक ग्रामीण महीला थाना प्रभारी सिंह साहब के साथ पहुंची मेरे को नहीं पता साहब को पता होगा कि महिला बोल रही थी कि लाय समय तो बोले रह की गाड़ी लाय ले जाय बर रिही कहां है तुंहर गाड़ी साहब कितना देर तक हमन बाहर में खेड़े रबो तुंहर गाड़ी नी आइसे इस बात को बोलने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि उस महिला की बातों को और दूसरे विभाग से मैं पूछने की कोशिश करता हूं तो कम से कम उनको यह बता दिजिये साहब गांव गांव में प्रशासन स्तर पर एक कार्यक्रम करके कि ये जो जनसुनवाई है जो जिला प्रशासन का कोई कार्यक्रम नहीं है और भीड़ जिला प्रशासन या पुलिस बल या प्रशासनिक अमला नहीं करता है उद्योगपति करते हैं ताकि उनके यह रहता है कि पूरी व्यवस्था खाने पीने का आने जाने का व्यवस्था यहीं लोग करते हैं और इनको परेशान करते हैं इनको भी परेशान होना पड़ता है चूंकि भोली भाली जनता है इस क्षेत्र के लोग आदिवासी बाहुल्य है अशिक्षित है तो वास्तव में जो स्थिति है उसके बारे में पता होना चाहीये आज मैं जिला पर्यावरण अधिकारी को भी बधाई देना चाहंगा की पिछली जनसुनवाई में मैने पूर्व में किये गये शिकायत का

उल्लेख किया था कि शहर के स्टेडियक तरण ताल का वायु मापन मशीन का डिस्प्ले बोर्ड कई महीने से बंद है चूंकि मैने पिछले जनसुनवाई में अवगत कराया था कि साहब दो तीन महीने से लगातार जा जाक मैं देख रहा हूं कि दो–दो तीन–तीन दिन के गेप में जागरूक करने के लिये वायु गुणवत्ता बताने के लिये लगाया है ओ बंद है हालांकि मुख्यमंत्री जन दर्शन में मेरी शिकायत की थी और पर्यावरण अधिकारी ने जिस दिन मैने विरोध किया उसके दूसरे दिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया लेकिन अपने बचाव में उन्होने दो लाईन लिख दिया कि विद्युत अवरूद्ध होने के कारण समय–समय पर डिस्प्ले बोर्ड बंद हो जाता है साहब मैं पूछना चाहता हूं कि ऐ कैसा विद्युत अवरोध है जो मशीन लगभग तीन महीना चार महीना से बंद है ऐसा विद्युत अवरोध तो नहीं होता है एक दिन दो दिन समझ में आता है सर तीन–तीन महीना चार महीना बंद हो जाता है सर तो इसके उपर गंभीर पूर्वक विचार करेंगे सर और दूसरा जो डिस्प्ले मशीन है उसको प्रोपर चलायेंगे और सर जो दूसरा डिस्प्ले मशीन है जो वायु गुणवत्ता के लिये वो सौजन्य से किसी कंपनी के द्वारा लगाया गया है। तो साहब जो प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग है ओ बतायेगा मैं कितना प्रदूषण फैला रहा हूं तो उसमें कितनी सच्चाईयां है उसको जांच करो कर सर। कुछ दिन पूर्व दैनिक अखबार पत्रिका में प्रकाशित खबर के बारे में जानकारी देना चाहूंगा समाचार का शीर्षक था क्रशर संचालकों को पंद्रह दिन की नोटिस देकर भूला पर्यावरण विभाग खबर था कि जिले में मनमानी करने वाले क्रशर संचालकों के खनिज विभाग की तरह पर्यावरण विभाग की मेहरबानी बरस रही है इसके पीछे कारण यह है कि विभाग द्वारा बिते 25 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था नोटिस में अव्यवस्था दूर करने के लिये 15 दिवस का समय दिय गया था ताकि इस अवधि में क्रशर संचालक अपनी अव्यवस्था सुधार लें नोटिस की मियाद समाप्त होने क बाद नोटिस की मियाद समाप्त होने के बाद विभागीय अधिकारी झांकने तक नहीं गये उल्लेखनीय है कि मैं यह जो समाचार पत्र में लिखा उसे ही पढ़ रहा हूं अपने मन से कूछ नहीं बोल रहा हूं उल्लेखनीय है कि गुढ़ेली क्षेत्र में क्रशर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं स्थिति यह है कि कहीं गहराई से अधिक खनन किया जा रहा है तो कहीं बिना ढंके ही परिवहन किया जा रहा है इस बात कि शिकायत आये दिन विभागीय अधिकारी को मिलती है मिल रही शिकायत के बाद बीते 25 नवंबर को विभागीय टीम निरीक्षण के लिये गुढ़ेली गांव पहुंची थी इस दौरान श्री श्याम लाईम्स, बालाजी लाईम्स, मां चन्द्रहासिनी लाईम्स, आर के लाईम्स, श्री राम लाईम्स, गायत्री इण्डस्ट्रीज, मां काली लाईम, छत्तीसगढ़ मिनरल्स, गढ़ोदिया लाईम्स सहित अन्य क्रशरों का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान व्यापक पैमाने पर खामियां उजागर हुई ऐसे में क्रशर संचालकों को नोटिस पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किया गया नोटिस में अव्यवस्था दूर करने के लिये 15 दिनों का समय दिय गया था यह अवधि 10 दिसंबर तक समाप्त हो गई लेकिन 29 दिसंबर बीतने के बाद जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ उसके बाद भी संबंधित अधिकारी क्रशर को झांकने तक नहीं

गये। पर्यावरण विभाग के द्वारा नोटिस तो जारी किया गया बकायदा इसके लिये डेडलाईन तय की गई लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं की गई एसे ही सवाल उठ रहे हैं की पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को पर्यावरण को लेकर कितनी चिंता है यहीं कारण है कि नोटिस जारी करने बाद उसे भुला दिया जाता है। इसके परिपेक्ष्य में पर्यावरण अधिकारी एस. के. वर्मा जी ने जो प्रेस में बाईट दिया था उसमें कहा था निरीक्षण के दौरान खामियां मिली है खुद पर्यावरण अधिकारी ने बताया था कि निरीक्षण के दौरान खामियां मिली थी और उसमें सुधार करने के लिये 15 दिनों का समय दिया गया था और कार्य की व्ययस्तता की वजह से दुबारा निरीक्षण नहीं हो पाया जल्द ही टीम निरीक्षण के लिये पहुंचेगी। इस समाचार के संबंध में कहना चाहूंगा की नोटिस तो बहुत ज्यादा शिकायत होता है तो आप लोग अपनी खानापूर्ति के लिये कार्यवाही करते हैं नोटिस जारी करते हैं 15 दिन 10 दिन का समय देते हैं और एक–एक करके कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पाती तो उसके बाद जब प्रेस में दबाव बनाया जाता है प्रशासन के उपर तब आपको लोग फिर से खानापूर्ति के लिये फिर से कार्यवाही करते हैं या मामला जैसे भी सलट जाता है साहब इतने उद्योग हैं यहां अगर एक दिन में एक उद्योग को नोटिस जारी किया जाये तो पूरा साल लग जायेगा कार्यवाही तो दूर की बात है। एक और पत्रिका में प्रकाशित समाचार हैडिंग अवैध खनन रोकने के बजाय वाहनों पर कार्यवाही कर पीठ थप थपा रही माईनिंग अमला माईनिंग के अधिकारी हों तो सुने अपनी व्यवस्था को दूरूस्त करें गुढ़ेली में चल रहा पत्थर का कालाबाजार अवैध खनन को दि जा रही है खुली छूट राजनितीक विभागीय संरक्षण से नहीं होती बड़े तस्करों पर कार्यवाही इसमे समाचार पत्र में गुढ़ेली टिमरलगा में पत्थर का कालाबाजार चल रहा है। यहां अर्से से अवैध खनन एवं परिवहन हो रहा है हालात यह है कि यहां अवैध खनन को खुली छूट दी गई है इसलिये बड़े तस्कर पोकलेन व जेसीबी लगाकर काम करते हैं यह अवैध खनन दिन के उजाले में होता है लेकिन विभागीय अधिकारी कार्यवाही के लिये पहुंचती ही नहीं है कार्यवाही नहीं करते हुये इन्हें संरक्षण दिया हुऐ हैं गुढ़ेली व टिमरलगा क्षेत्र में प्रतिदिन अवैध तस्कर लंबे समय से सक्रिय हैं जो अवैध खनन कर रहे हैं गुढ़ेली में पत्थर के कई खदान संचालित हैं इसमें कई तो अवैध खदान संचालित है जो तीन बड़े तस्कर है उनका खदान तो गुढ़ेली गांव की बस्ती समाप्त होने के बाद ही शुरू हो जाती है यह पत्रिका में प्रकाशित समाचार है। खास बात यह है कि जिन खदानों को खनन के लिये लीज है वह पोकलेन व जेसीबी के माध्यम से खनन करवाते हैं इसी तरह अवैध खदानों में भी पोकलेन व जेसीबी का उपयोग किया जाता है। यह तस्कर बिना भय के खनन करते हैं बताया जाता है कि इस अवैध खनन के लिये कई बार शिकायत की गई लेकिन विभागीय अधिकारी कार्यवाही के लिये वहां तक जाते ही नहीं यही कारण है कि पत्थर का अवैध करोबार विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है वहीं विभाग के द्वारा पत्थर पर कार्यवाही की बात करें तो अवैध रूप से परिवहन करने वालों पर

ही कार्यवाही करती है और यह कार्यवाही जुर्माना तक ही सीमित रहता है क्षेत्र में अर्से से संचालित अवैध खदान यह भी समाचार है यह भी समाचार है गुढ़ेली में मौजूदा समय में पांच अवैध खदान संचालित हो रहे हैं इसमें तीन तो बड़े तस्कर है जो लंबे समय से तस्करी कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कुछ छोटे तस्कर भी हैं जो बड़े तस्करों के आड़ में अपना काम शुरू किये हुये हैं इसके बाद भी विभाग के द्वारा किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं किया जा रहा है हर दिन 150 से 200 वाहनों का टारगेट सूत्रों क माने तो हर दिन लगभग 150 से 200 ट्रैलर पत्थर तस्करी का टारगेट रखा गया है इसे प्रतिदिन पूरा भी किया जा रहा है यह अवैध तरीके से निकाले गये पत्थर आस–पास के क्रशरों में खपाये भी जा रहे हैं इसके उलट विभागीय अधकारी एक दो वाहनों पर कार्यवाही कर के पीठ थप थपाती है। हो चुके हैं हादसे गुढ़ेली में कुछ खदान वैध भी हैं लेकिन इन खदानों के द्वारा खनन के मापदंड का पालन नहीं किया जाता वहीं बेतरतीत तरीके से खुदाई की जाती है इसके विपरीत जो अवैध खदान है अपने मर्जी के मालिक हैं जहां तहां अवैध रूप से खनन किया जाता है जिससे इस क्षेत्र में बड़े–बड़े गढ़ढे भी हो गये हैं। अखबार में प्रकाशित एक और समाचार के बारे में बताना चाहूंगा हेडिंग था रायगढ़ बना तस्करगढ़ जिले के चारों ओर लगातार हो रही तस्करी एक भाग में गांजा दूसरे में रेत तीसरे में मवेशी और चौंथें में कोयला और जिला प्रशासन अपनी पीठ थपथपाती है औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान बना चुका रायगढ़ अब तस्करगढ़ बन गया है। मतलब यह है कि जिले के चारों ओर तस्करी हो रही है एक ओर गांजा तस्करी के लिये मजबूर हो गया है तो दूसरे क्षेत्र में रेत की तस्करी हो रही है तीसरे क्षेत्र में मवेशी तस्करी का उद्योग बना हुआ है चौथे क्षेत्र में कोयले की जमकर तस्करी हो रही है पुलिस के अलावा खनिज विभाग के अधिकारी कर रहे हैं कुछ कार्यवाही कर रहें हैं लेकिन यह तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है क्यों कि ये केवल खानापूर्ति एवं दिखावा मात्र है तस्करी का गलियारा उड़ीसा बॉर्डर से लगा सरिया और बरमकेला थाना गांजा तस्करी का गलियारा बना हुआ है जिले में उड़ीसा से आने वाला गांजा इन दिनों इस क्षेत्र में होकर ही जिले में प्रवेश करता है जो पकड़ में आता है या कोई शिकायत होती है तो उजागर हो जाता है तो उसको पकड़कर उस पर कार्यवाही कर ली जाती है नहीं तो वह जिस ठिकाने पर उसे पहुंचना रहता है उस ठिकाने पर वह पहुंच जाता है और तो और पुलिस ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह दो मामले गांजे के पकड़े हैं एक से 230 किलो दूसरे से 140 किलो और ये लगातार जारी है। रायगढ़ जिला प्रदूषण की गंभीर समस्या से जुझ रहा है जिसे कोई टाल नहीं सकता इसके लिये काई दस्तावेज कोई विशेष ज्ञान विज्ञान की प्रक्रिया की भी कोई जरूरत नहीं है। और जिसकों लगता है जिस प्रशासनिक अधिकारी को अगर जिस विभागीय अधिकारी लगता है प्रदूषण नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में ये तस्करगढ़ नहीं बन रहा है या अपराध नहीं हो रहा है तो आकर खुले मंच पर समर्थन करें लेकिन मैं तो जो देख रहा हूं इसलिये मैं विरोध करता हूं आप खुली आंख से

किसी भी पेड़ पौधे, नदी तालाब, जलाशय, खेत खलिहान, खुले मैदान, नदी के तटों, स्कूलों यहां तक की घरों के आंगन छतों में और घर के कमरों के अंदर खुले आम काले डस्ट काले–काले राखों की परतें धुल धुंआ और फ्लाई ऐश की बात ही न कहिये और रायगढ़ की धरती पर चारों दिशाओं में पर बिना किसी डर और नियम कानून के परवाह किये बगैर मनमाने ढंग से फ्लाई ऐश डम्प किये जा रहे हैं। आपको ऐसा दिख जायेगा जैसी की बारूद की ढेर पर रायगढ़ शहर बसा हुआ है और शासन प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है इसे कोई भूल ही नहीं सकता और कोई सच्चा इंसान इंकार नहीं कर सकता की कोरोना के शहर से थर थरा गया था राज्य में भी मौतों की संख्या में रायगढ़ ने नाम कमाया था विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट यह कह रही है जहां जहां प्रदूषण का खतरनाक स्तर रहा वहां कोरोना कहर और मौतों की संख्या ज्यादा रही क्यों कि वहां प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन की कमी रही कोरोना से इंसान को इंसान होने की इंसान को प्रकृति से जुड़े रहने की और प्रकृति की रक्षा करने की सबसे बड़ी शिक्षा दी है और कड़ी सबक भी सिखाई है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कलेक्टर साहब ने मैं 10, 15 दिन की बात कर रहा हूं जबसे कोरोना बड़ रहा है आप लोगों ने देखा होगा की 10,15,40 फिर 100 हो गया और मेरे ख्याल से कल 141 कोविड मरीजों की पहचान की गई है जब आंकड़ा बड़ रहा था लोगों को खुशी हुई की जिला प्रशासन इस विषय पर गंभीर है। उन्होने तत्काल नववर्ष के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया स्थानीय लोगों ने भी उनका समर्थन किया क्यों कि वह स्वास्थ्य से जुड़ा था मौत का मामला था और ये जो कोरोना की भयावह स्थिति बढ़ रही थी इसलिय लोगों ने इनका समर्थन किया जिला प्रशासन का और जो भी कार्यक्रम आयोजित किये थे उसे निरस्त कर दिये कल रात को एक गाईड लाईन फिर आया की कोई भी सभा कोई भी सामूहिक कार्यक्रम अंत्येष्टी और वैवाहिक कार्यक्रम में 100 व्यक्ति से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते सभा नहीं होगी रैली नहीं होगी धरना प्रदर्शन नहीं होगा सर ये जो जनसुनवाई हो रही लगभग 10 हजार लोग यहां है ये किस नियम के तहत् हो रहा है इस क्षेत्र की जनता जाननी चाहती है क्या इस जनसुनवाई में कोरोना नहीं फैलता और अगर इससे कोरोना फैलता उद्योगों से रायगढ़वासियों रायगढ़ जिले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो मैं दावा करता हूं सर मैं इस क्षेत्र की आदिवासी जनता को लकर इस क्षेत्र को जो लोग हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं जो बेरोजगार है रोजगार तो मिल नहीं रहा है तो मैं सबसे बड़ा उद्योग लगाउंगा और उस उद्योग का अनुमति मांगना चाहता हूं और वो उद्योग रहेगा महुआ दारू का जब आप लोगों को लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है कोरोना से कोई मतलब नहीं है पॉल्यूशन दिख नहीं रही है बेरोजगारी दिख नहीं रही है जो तस्करी हो रही ओ दिख नहीं रही है तो सर मुझे प्रोसेस बता दिजिये तो मुझे एक महुआ दारू का एक प्लांट लगाना है उस प्लांट में कुछ प्रदूषण नहीं होगा जो पी रहा ओ तो खुद जाके मरूंगा करके और सर मुझे लगता है कि 60 परसेंट जो बेरोजगारी

ओ मैं खत्म करके दिखाउंगा और उसमें जो दलालों का काम होता ओ खत्म हो जायेगा एक नंबर दारू चलेगा और जो महूआ है उसे पूरे प्रदेश में फेमस करूंगा पूरे प्रदेश में उसकी सप्लाई होगी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है सर जो थोड़ा सा महूआ दारू बनाते हैं उसको जो टिम है जिला प्रशासन है तुरंत पकड़ लेते हैं उनकी खबर मिल जाती है लेकिन उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं जो वहां पर हादसे होते हैं उसमें कई–कई दिन लग जाता है कार्यवाही होने में यह सीधा है कि प्रशासन की मिलीभगत है या प्रशासन हराम का पैसा ले रहा है। ये जनता के लिये काम नहीं कर रहे हैं उद्योगों के लिये काम क़र रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा इन बुनियादी जरूरतों पर अपने जिले को तौल कर देखें तो हार नागरिक यह कहेगा की इस शहर का कुछ नहीं हो सकता यहां सबको कोयला और खनिज दिखता है पूरा स्थानिय प्रशासन एवं रायगढ़ जिला इसी चस्पे से रायगढ़ जिला को देखता है 60 साल पहले इस जिले में जो विकास होने थे वो हो चुके तबके सेठ दानवीर थे आज के लुटेरे पिछले साठ सालों में इस जिले में ऐसा क्या आयेगा जिसमें उसको गुरूर हो 25 साल पहले औद्योगिकरण का जो दौर शुरू हुआ था अगर वह शुरू नहीं हुआ होता तो आज इस जिले की तासीर कुछ और होती औद्योगिक नगरी के रूप में विकसीत होने से रायगढ़वासियों के मन एक आशा बनी हुई थी जिले के औद्योगिकरण होने के साथ–साथ तेजी से विस्तार भी होगा विकास भी होगा किन्तु लेकिन ये सारे दावे जमीनी हकीकत की पोल खोलती है विकास के नाम पर विनाश के सारे रास्ते खोल दिये पहले जिले में उद्योगों के नाम पर सिर्फ राईस मिल, हालर मशीन, आटा चक्की और तेल मिल आदि के उद्योग थे क्या जमाना था जब वनोपज व लघु वनोपज पर रायगढ़ का वनांचल व आदिवासी वर्ग लगभग चार पांच महीने तक का रोजगार अर्जित कर अपना परिवार चला लेता था तेन्दूपत्ता, महुआ, डोरी, आम, चिरौंजी, बेर, मक्कया, सराईबीज, इमली, मुंगफली से ग्रामीण व आदिवासी अपना अर्थव्यवस्था को संभाले रखते थे कृषि उत्पादन में धान कुछ मात्रा में साग सब्जियां उत्पादित होती थी पहले बिना डस्ट के साग सब्जी फल मिल जाता था। यहां कि जनता बहुत खुश थी दो टाईम का सबका खाने का जोगाड़ हो जाता था दिनभर मेहनत करते थे काई बिमारी नहीं थी सर यहां और आज ये प्रशासन अपने लोग ड्राई फूड खा रहे हैं काजू किशमिश खा रही है और यहां की जनता को धुल और राखड़ खाने के लिये बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा वो जो चाय कॉफी फल फूल और तमाम प्रकार की जो मिठाईयां कलेवर जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं मैं पुनः निवेदन करूंगा की दलाली करना छोड़ दें हरामखोरी का खाना छोड़ दें और जिस चीज का पैसा लेते हैं जनता के टेक्स का पैसा मिलता है उसका निर्वहन किजिये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किजिये लगातार उद्योग के स्थापना और विस्तार के बाद तो उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ के इस अंतिम छोर पर बसे जिले को अपना चारागाह समझ लिया यहां प्रचुर मात्रा में कोयले की खदाने भी निकल आई जिससे 25 साल पहले औद्योगिकरण का जो दौर शुरू हुआ अगर वह न

शुरू हुआ होता तो आज लगातार उद्योग के स्थापना और विस्तार के बाद तो उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ के इस अंतिम छोर पर बसे जिले को अपना चारागाह बना लिया है। उद्योगपति चाहे जिस गांव जिस दिशा में उद्योग लगाले अपनी स्वेच्छा अनुसार औद्योगिक नियमों अधिनियमों का पालन सुनिश्चित कर लें यहां औद्योगिक कानून और पर्यावरणीय कानून लागू नहीं होता। स्थानीय लोगों को रोजगार के नाम पर मात्र लॉलिपॉप और झूनझूना पकड़ाया जाता है यहां जो मैं बोल रहा हूं उसका लिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करूंगा जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है खेती किसानी पूरी चौपट हो गई है पर्यावरण से पूरी तरह से बलात्कार किया जा रहा है प्रदूषण ने क्षेत्रवासियों का जीना हराम कर रखा है औद्योगिक बिमारियां निःशुल्क प्राप्त हो रही है पेयजल पर औद्योगिक घरानों का एकाधिकार हो चुका है भूमि के तज पाताल बन चुका है प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से लूट खसौट डकैती हो रही है जंगल जल जमीन मुद्रा राक्षसों के जागीर बन चुके हैं दूसरे प्रांत के लोगों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है आदिवासी व निर्धन तपता किसान ग्रामीण अपने आप को लूटापिटा महसूस कर रहा है। सड़क दुर्घटना में रायगढ़ जिला देश का सबसे भयावह शहर बन चुका है देखते ही देखते इंसान का शरीर यहां लोथड़ों में तब्दील हो जा रहा है सड़के रक्त रंजित हो जाती हैं लाशों का हादसों के डगर पर खूनी लाशों का मंजर जारी है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन उद्यागों की जनसुनवाई जरूर होती है कुल मिलाकर औद्योगिकरण से रायगढ़ जिले ने कुछ पाया तो नहीं बल्कि रायगढ़वासी अपने ही जमीन अपने ही शहर में अजनबी व बेगाने बनकर रह गये हैं प्रशासन ने भी उद्योपतियों का साथ देने का पूरा ठेका ले रखा है क्यों कि इन्हें दो साल तीन साल यहां रहना फिर ये चले जायेगें इतना पीठ इतना पीठ की कहीं पर जाओ अपना जीवन चैन से यापन कर लो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर सरकार ईमानदार नहीं है प्रशासन गंभीर नहीं और सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन नहीं कर रहे हैं यह सामाजिक जनजीवन एवं मानवीय मूल्यों के लिये खतरनाक है जशपुर जिले को छोड़कर कहीं भी एक भी विधायक व सांसद ने विरोध नहीं किया है यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि यह ये आखिर किसके प्रतिनिधि हैं बिना विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधि के सहमति से जनसुनवाई कराना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता है हजारों लोगों को जान को खतरे में डालकर एक उद्योगपति के पूंजी को बचाना क्या ये जनसरोकार विकास की अवधारणा या किसी सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहीये एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनसामान्य के सामाजिक सरोकार जनजीवन मानवीय मूल्यों व संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा सरकारों की प्राथमिक एवं नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहीये शायद आवारा पूंजीवाद ने सभी गलों में पट्टा डालकर अपनी चौखट पर नतमस्तक कर दिया हैं ये सब समाज के लिये कदापी हितकर नहीं है। रायगढ़ जिले में सत्तादल के विधायक हैं उनमें से एक युवा मंत्री भी हैं

और ताकतवर पार्टी से सांसद महोदया हैं रायगढ़ जिले से प्रदूषण मुक्त करने के लिये उनका क्या प्रयास है वे इस उद्योग के स्थापना एवं विस्तार का समर्थन करते हैं या विरोध यह भी साफ होना चाहीये ताकि इस क्षेत्र की जनता इस चुने हुये क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों के असली रूप को पहचान सको और आने वाले समय में उनको सबक सिखा सकें। रायगढ़ जिले के प्रदूषण का स्तर डेंजर जाने में हैं चिकित्सकों ने कई बार चिन्ता व्यक्त की हैं स्वास, दमा, टीबी, लिवर, हृद्य रोग व कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बड़ रही है। खांसने पर कण के काले काले कण कण के कलर ही बदल गया है अब काले काले कण सीने में काले डस्ट पाये जा रहे हैं वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं समाचार पत्रों एवं मिडिया कर्मियों ने अपनी रिपोर्ट एवं चिंता से शासन को अवगत कराया है परंतु पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण से मुक्ति के उपायों की जगह उन्हीं दोषी उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार की जनसुवाई को कराने के लिये प्रशासन ने अपनी पूरी ताकतें झोक दी है। सवाल यह भी उठता है कि सरकार कीसकी है या सरका है या नहीं ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का ज्ञान नहीं है उनके पास तो सबसे ज्यादा तथात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेज हैं। उनके पास अपराधों एवं गुनाहों की पूरी सूची है और शासन प्रशासन के पास पूरी सूची है लेकिन प्रमुख सवाल यह है कि उनको सजा या दण्ड कौन देगा क्योंकि सबके सब बिके हुये हैं जनता फरियाद कर सकती है अपनी समस्याओं को गिनवा सकती हैं जो बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रही है। जतना शासन व प्रशासन से बार–बार निवेदन कर रही है की खतरनाक प्रदूषण से समूचा जन जीवन खतरे में पड़ गया है। बूढ़े बच्चों व आने वाली पिढ़ियों के जनजीवन कि लिये खतरा बन चुका है लोगों के जन जीवन को बचा लिजिये बहुत सारे पशु पक्षी पलायन कर चुके हैं जल स्त्रोत बर्बाद खेत खलिहान चौपट हो रहें हैं अब रायगढ़ में काई भी उद्योग की स्थापना एवं क्षमता विस्तार की अनुमति दिया जाने की कोई गुंजाईस नहीं है। मै यह कहना चाहूंगा सर की ये जो एन आर इस्पात की जो जनसुनवाई है उसकों तत्काल निरस्त किजिये और जनता की राय को लेकर एक रिपोर्ट भेजिये और उस पर लिखिये की यहां की जनता मरने के लिये मरने के लिये मजबूर है। और एनजीटी खुद एक टीम बनाकर यहां जो वास्तविक जो स्थिति है उसका अध्ययन करे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे मैं मरे हिसाब से तो मैं यह कहना चाहूंगा की इस क्षेत्र में और भी नये उद्योग की स्थापना और क्षमता विस्तार की काई आवश्यकता नहीं है। प्रदूषण मुक्त जिला बनाने एवं स्थानीय लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिये ईमानदारी पूर्ण सत कदम उठाया जाये और दोषियों पर कड़ी से कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। पर्यारवरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक व्यापक कानून है केन्द्र सरकार पर्यावरण सुरक्षा के गुणवत्ता व संरक्षण सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारण करने औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंध करने दुर्घटना से बचने के लिये सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने तथा

हानिकारक तत्वों का निपटान करने प्रदूषण के मामलों की जांच एवं शोध कार्य करने प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण करने प्रयोगशालाओं का निर्माण तथा जानकारी एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया है। किन्तु इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है कागजों तक ही सिमट कर रह गया है अगर वास्तव में इस दिशा में प्रयास होता धरातल पर भी लोगों यह दिखाई देता किन्तु यह जानते हुये शहर में प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है इस क्षेत्र में उद्योगों का ग्राफ इतना बढ़ गया है की इसके दुष्प्रभाव से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है बावजूद इसके नये उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार की अनुमति देना जनसुनवाई आयोजित किया जाना मेरे समझ से परे है और इस क्षेत्र की जनता से परे है। छत्तीसगढ़ में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ने की स्थिति को लेकर पंडिर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहीर की है प्रदेश की जनता एवं जीव जंतुओं के लिये यह हवा खतरनाक साबित हो रहा है यह कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है पंडिर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रसायनशास्त्र के शाखा के अध्ययनशाला के आंकड़े बता रहे हैं कि हवा में पीएम 2.5 की मात्रा निर्धारित मानकों से सात से आठ गुना तक बढ़ गया है। पीएम 2.5 का आंकड़ा 450 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब तक दर्ज किया गया है ये सामान्य से कई गुना ज्यादा होने के चलते बहुत घातक है पंडिर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रसायनशास्त्र के एचओडी प्रोफेसर परवेज के मुताबिक हवा में खतरनाक रसायन का एवरेज 145 से 150 माइक्रोनगाम तक पहुंच गया है। और मैं यह भी बताना चाहूंगा की जो वायु गुणवत्ता मापन हेतु जो मशीन लगाया गया है जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है वो पूरी तरह से फर्जी है और जिसको फर्जी नहीं लगात है वह ऑनलाईन यहां पर जायें बाहर में और चेक कर लें और मिलान करले तो मैं यहां तुरंत बोलना छोड़ दूंगा ये पूरी तरह से फर्जी है। क्योंकि वो एक निजी कंपनी के द्वारा जो प्रदूषण उत्सर्जन के श्रेणी में जो आते हैं उनके द्वारा लगाया गया है। दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगा आप लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं कि सर क्या राज्य सरकार के पास अपने विभाग का बोर्ड लगाने का भी फंड नहीं है। यातायात विभाग सबसे ज्यादा वूसली करता है छोटे वाहनों से मास्क के नाम से दो पहिया में तीन सवारी या तरह तरह के आपकों बतायेंगे प्रदूषण फैला रहो हो प्रदूषण संबंधी जांच नहीं कराये हो वो विभाग जो इतनी वसूली करके जो राजस्व में जमा कर रहा है उसके पास अपने विभाग का बोर्ड लगाने तक का पैसा नहीं है उस विभाग का बोर्ड भी एक निजी कंपनी के सौजन्य से लगा है। जानकारी है और अगर जानकारी तो प्रशासन के अनुमति से ही लगा होगा नहीं तो उखाड़ के फेंक देते क्या सर आपने राज्य सरकार को अवगत कराया की हमारे पास विभाग का बोर्ड लगाने का फंड नहीं है और इसलिये आप लोगों को एक उद्योग से बोर्ड लगाने का परमिशन लेना पड़ रहा है उसका सहायता लेना पड़ रहा है क्या विभाग के पास बोर्ड लगाने का पैसा नहीं है और अगर नहीं है तो मैं तो यह कहूंगा उस विभाग ने उस उद्योग को दिया वैसे हम यहां दो दो रूपया चंदा करेंगे और दस हजार लोग बीस

हजार इकट्ठा कर के देंगें कलेक्टर कार्यालय में बोर्ड लगायेंगे सौजन्य उन दस हजार लोगों का नाम लिखकर वहां पर बोर्ड लगायेंगे। मैं पहले एसपी एक जन जागरूकता कार्य करना चाहता था इसके लिये पुलिस सहायता का टोल फ्री नंबर लेना चाह रहा था तथा एक पोस्ट लगवाना चाह रहा था जिसमें एसपी साहब का तहसीलदार साहब का एसडीएम साहब का महिला हेल्पलाईन पलिस विभाग का संबंधित थाना क्षेत्र का बोर्ड लगाने का प्रयास करूंगा लेकिन आज तक मुझे अनुमति नहीं मिल पाई तो ये जो उद्योग वाले कागज लगाते हैं उसमें इतना फास्ट कार्य कैसे होता है उसको मैं जानना चाहता हूं। उद्योग विभाग में एक आवेदन लगाया था कि रायगढ़ जिले में कितने उद्योग हैं उसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं मिला है। मैं इस क्षेत्र को लोगों को बताना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले में कुल 538 उद्योग संचालित हैं और इसमें 193–195 कुछ उद्योग हैं जो प्रदूषण उत्सर्जन की श्रेणी में आते हैं और अधिकांश उद्योग तमनार, घरघोड़ा और पंजीपथरा क्षेत्र में स्थापित है। यहां सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं किया जा रहा है बाहर छोटे बच्चों को भी दांव में लगा दिया जा रहा है समर्थन के लिये गाड़ियों में भर भरकर लाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रायगढ़ जिले में कोरोना ना फैले पिछले 10 दिन में जो आंकड़े थे कई बार टॉप में तीसरे नंबर पर भी रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं और इस क्षेत्र के वासियों के हित की दृष्टि से आप सबका कोरोना टेस्ट करा दिजिये उसके बाद ही घर भेजिये क्योंकि कोरोना का जो विस्फोट होने वाला है सर ओ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यहां वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान था क्या आप लोग चाहते हैं की कोरोना में भी प्रथम स्थान में रहे। आप लोग तो दूर मास्क लगा बैठे हैं यहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है इस भीड़ में जाओ और मरो पता नहीं प्रशासन को इसमें क्या मिल रहा है। रायगढ़ जिला अति प्रदूषित हो गया है राखड़, धुल, डस्ट से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है इस संबंध में कई बार शिकायतें और जांच हुई जांच में स्वयं माना की यह क्षेत्र अतिप्रदूशित है उसके बाद भी जिला प्रशासन इन उद्योगों को मैं सभी उद्योगों का विरोध कर रहा हूं सभी उद्योगों को अनुमति दे रहे हैं और एक बात और बताईये की कितने उद्योगों की गुंजाईस और है तो मैं दूसरे प्रदेश में जो उद्योगपति हैं उनसे भी संपर्क करूंगा और कहूंगा की यहां आके प्रदूषण फैलाइये रायगढ़ में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आपके पास यदि कोइे आंकड़े नहीं है या अनदेखी कर रहे हैं तो आप लिख कर दे दिजिये लोगों को की इस प्रशासन के उपर विश्वास नहीं रह गया कोई स्पेशल टीम गठित करे और उस क्षेत्र का मौका निरीक्षण करें और रिपोर्ट संबंधित विभाग को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभाग को भेजे। बताना चाहूंगा की उद्योगो के स्थापित होने के बाद भी स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिला रोजगार कार्यालय रायगढ़ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से वर्ष 2020 तक 220563 लोगों का बेरोजगारों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन हुआ है। और वर्ष 2001 से वर्ष 2020 तक कितने लोगों को रोजगार मिला

636 तो 220563 बेरोजगारों में से 636 लोगों को रोजगार देकर ये प्रशासन पीठ थपथपा रही है अरे चुल्लु भर पानी में डूब मरो और ये शासकीय प्रशासनिक आंकड़ा है। रोजगार कब मिलेगा यहां 538 उद्योग लग चुके हैं खाली प्रदूषण फैलाने के हैं यहां पर केवल 636 लोगों को रोजगार दिला रहे हो जिला रोजगार अधिकारी को एक बात कहना चाहूंगा कि जिला रोजगार अधिकारी एक काम करो केलो नदी में डूब मरो। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी है समय–समय पर जिला रोजगार अधिकारी नोटिस क्यों नहीं भेजते हैं इनसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगते हैं यहां 30, 31 तारीख को एक रोजगार मेला लगाया जो वेकेंसी निकला था उसमें एक भी उद्योग का नाम नहीं है। दूसरा मैं यह कहता हूं कि यह जनसुनवाई निरस्त करने के के लिये कहता हूं कि उद्योगों से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों को यहां बुलाइये वो अपना स्पष्टीकरण दें बतायें क्षेत्र की जनता के लिये क्या कर रहें हैं उद्योग के लिये क्या कर रहें हैं। मैं जल संसाधन विभाग का आंकड़ा बता रहा हूं जल संसाधन विभाग में 31 मार्च 2021 तक की स्थिति में कई करोड़ों की वसूली किया जाना बाकी है। अगर वो डर रहें वसूली करने से तो वो लोगों के साथ आयें जनता के साथ आयें हम मदद करेंगे यदि यह नहीं कर सकते वो अपने पद का त्याग करें अपनी कुर्सी को छोडें वहां से और जब किसी विभाग से जाके पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि कार्यवाही हो रही है। आपने किसी अधिकारी को देखा जिसने गरीब जनता के लिये लड़ा हो। मैं और बताना चाहूंगा की सीएसआर मद में और जीर्णोद्धार उस पर भी मैं जानकारी प्राप्त करना चाहा क्या –क्य कार्य हुआ है कितना व्यय हुआ है प्रशासन ने मुझको कोई जानकारी नही दी बल्कि प्रशासन ने एक और नियम बता दिया की इस नियम के तहत् जानकारी बताना पाना संभव नहीं है। इस क्षेत्र की जतना यह जान सके की सीएसआर मद से और डीएमएफ मद से जो खुले आम प्रशासनिक संरक्षण के साथ जो प्रदूषण फैला रहा है वो हमारे क्षेत्र के लिये क्या काम कर रहा है। सर तालाबों के बारे में आपको बताउंगा गांव तो मुझे ज्यादा आईडिया नहीं है लेकिन मैं जो जितना गांव घुमा हूं वहां की तालाब की स्थिति को मैं देखा हूं पानी जो तालाब की स्थिति है वो बहुत खतरनाक है और मैं निश्चित ही 101 परसेंट यह कहूंगा जो उस तालाब के पानी में नहायेगा वो निश्चित ही किसी न किसी रोग से पीड़ित होगा आप लोग भी देख रहे होंगे की इस क्षेत्र में जो धुल राखड़ उड़ रहा है वो अलग बात है कि वो चश्मा आप लोगों का अलग है जिस चश्में से आप लोग देख रहे हैं यहां लो लोग समर्थन में हैं उनको भी दिखता है और जो विरोध में है उनको भी दिखता है। जो विरोध करने आये हैं मैं उनक सम्मान करता हूं कि कम से कम इस क्षेत्र की जनता जाग गई है लेकिन जो समर्थन करने ओय उनसे मैं दण्डवत प्रणाम करता हूं हांथ जोड़कर आग्रह करूंगा की इस क्षेत्र के लिये अब समर्थन करना बंद कर दें चंद रूपयें के लिये बिकना बंद कर दें क्यों कि ये जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण का शिकार हर एक प्रशासनिक अधिकारी और इस क्षेत्र की जनता है

जिम्मेदार और सबको यह भोगना पड़ेगा बहुत दुख हो रहा है यह कहते हुये कि अगर कोई हादसा होगा यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो समर्थन में चंद रूपयों में बिक कर आयें हैं उनके घर में भी यह हादसा होगा। और जो अधिकारी जो भी बिके हुये हैं उनके परिवार के लोग भी इस हादसे में मरेंगे और उस समय आपको पछतावा होगा कि आपके परिवार वालों का आपके बच्चे का आपने कितने में सौदा किया। अगर आप दो सौ में बिके तो आपने 200 में सौदा किया दस हजार में बिके तो आपने सौदा दस हजार में किया और अगर एक लाख में बिके तब भी मैं यह कहूंगा की आपकी औकात यही है। मैं और एक निवेदन करना चाहूंगा कि सर आप एक और गाईड लाईन जारी करिये की यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी लोग भी है, कई लोग शिक्षा विभाग से हैं, कई लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं उन लोग भी बोलते हैं कि आप लोग अच्छा काम करते हैं यहां का जीना मुश्किल हो गया है और उन लोग बोलते हैं कि हम लोग सामने आके समर्थन या विरोध नहीं कर सकते लेकिन आप लोगों के साथ हैं तो या तो उनको भी इस मंच में बुलाया जाये कि आप लोग अपनी बात को रखिये यह कंपलसरी हो अधिकारी और कर्मचारी भी अपने बात को यहां पर रखेंगे उनका भी समर्थन और विरोध यहां पर दर्ज होना चाहिये और अगर वो नहीं भी आ पाते हैं तो यहां पर इतने प्रशासनिक अमला है एसडीएम साहब है तहसीलदार साहब हैं पर्यावरण अधकारी है टी आई साहब हैं बहुत सारे लोग हैं सर ओ विरोध या समर्थन क्येां नहीं करते क्या उनको किसी प्रकार का दबाव है वो भी तो देख रहे हैं सर इस क्षेत्र में कितना प्रदूषण फैल रहा है कि उनको दिखाई नहीं देता सर ये और यह भी बतायें कि बाहर कितने लोग विरोध करने आये ये सब जानकारी भी सार्वजनिक होना चाहीये जिला जनसंपर्क अधिकारी कलेक्टर साहब दो लाईन बोलते हैं तो तुरंत वह सब अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि कलेक्टर साहब ने ये किया ओ किया हिरो बना देते हैं क्या ये प्रेस विज्ञप्ति सभी अखबारों में जारी करेगा कि कल 04 जनवरी 2022 को जिला प्रशासन द्वारा कोविड निर्देश जारी किया गया है और उस नियम शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ये पूरे अखबारों में छपना चाहीये ये जिला जनसंपर्क अधिकारी को सार्वजनिक करना चाहीये काई अगर अखबार में नहीं छाप रहा है तो वो मेरे को भेजे फेसबुक से भेजे हम लोग उस पेज से शेयर कर लेगें। ये रिपोर्ट उनको देने की जरूरत है ये रिपोर्ट उनको देने की जरूरत है कि कैसे नियमों को ताख पर रखकर के ओ यहां आते देखते क्षेत्र की लोगों को पूछते की उनकी समस्या है, सड़क की स्थिति को देखते बातते देखते धुल डस्ट उड़ते रोड नहीं बना है मर रहें हैं औद्योगिक हादसा हो रहा है। लेकिन वो कोई काम नहीं करते उनकी भी मजबूरी है सर अगर वो लिखना चाहेंगे तो उनकी या तो फिर ट्रांसफर कर दिया जायेगा। लेकिन ये निर्देश जारी होना चाहीये की जिला जनसंपर्क अधिकारी मंत्री लोगों का कार्यक्रम होता है कलेक्टर साहब जहां उपस्थित रहते हैं वहां अनिवार्य रूप से टाइम में पहूंचते हैं और पूरा कवरेज करते हैं समाचार का येसे

ही जनसुनवाई में भी पहुंचे और पूरी रिपोर्ट कवरेज करें और वास्तविकता से लोगों को अवगत करायें। कई लोग यहां बता रहें है कि मुनादि नहीं हुआ है तो ये सब उनकी जारी करने का काम है तो उस क्षेत्र की जनता क्या कर रही है प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रही है। ये काम कौन करेगा सर बताईये उसी के लिये तो उनको पैसा मिल रहा है ना जनसंपर्क विभाग को और अगर नहीं कर सकते हैं तो रायगढ़ में जन संपर्क विभाग को बंद कर दिजिये जिला रोजगार अगर लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहा है तो रोजगार दिलाने के लिये कि ओ स्थानीय बेरोजगारों का पंजीयन करे और योग्यता के आधार पर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये तो मैं कहता हूं कि जिला रोजगार अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर बांधे और भागे यहां से उनकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर अरे आप कितना तनख्वाह उठा रहें है यहां से जनता का टैक्स खा रहे हैं और आप जनता का काम नहीं कर पा रहा है बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और पता नहीं 15, 20 साल कार्यरत हैं यहां पर उसके बाद भी लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहा है। तालाब के बारे में बता रहा था मैं आपसे इस क्षेत्र का जो तालाब है बोरवेल हैं जल के जो स्तर है उसके बारे में जो जानकारी हैं ग्रामवासी बहुत अच्छे से बतायेंगे हम लोगों की बात अगर झूठ लगती हैं तो आप भी हमारे साथ चलिये इस जनसुनवाई के खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल में रायगढ़ तक गांव का निरीक्षण करेंगे और हर तालाब का निरीक्षण करेंगे और जब आप अपने घर में पहुंचेंगे जनता इन अधिकारियों में मुंह में कालिक बाद में पोतेगी लेकिन ये जो प्रकृति है वो अपना रूप देखा देगा मैं सुना हूं की कुरूवंशी सर अच्छे इंसान है पर्यावरण अधिकारी भी सरल स्वाभाव के हैं और इसलिये मैं फरियाद लेकर आया हूं लेकिन सर मैं निवेदन कर सकता हूं इस क्षेत्र की जो पीड़ीत जनता है ओ आपको एक रूपया भी नहीं देगी लेकिन जो आशीर्वाद देगा न सर आपका परिवार आपके बच्चे इतने आगे बढेंगे सर मैं दावे के साथ कहता हूं की जो बिकने वाले अधिकारी है जो दलाल हैं ओ आपके बच्चों के भी पता है जो दलाली कर रहा है पैसा ले रहा है उसकी बात कर रहा हूं सब अन्यथा नहीं लेगें भावनओं को ठोस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ओ अधिकारी कर्मचारी जो सौदा कर रहा है इस क्षेत्र की जनता का उनके बच्चे भी देखते हैं कि मेरा बाप कहां से कमा के ला रहा है और बच्चे भी अगर समझदार न निकले तो ऊपर वाला भी जरूर देखता है और ऊपर वाले की जब लाठी चलती है न सर तो अच्छे अच्छों की निकल जाती है। आप हर क्षेत्र का निरीक्षण करिये आप जब बोलेंगे हम वहां उपस्थित होंगे बोरवेल का निरीक्षण किजिये स्कूल का निरीक्षण किजिये उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का निरीक्षण किजिये की वो कितना डस्ट झेल रहें हैं। पिछली घटना में उद्योग था रूपानाधाम राजेश त्रिपाठी जी ने लाईव भी चलाये थे की इस उद्योग के द्वारा खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है उस पर कुछ कार्यवाही हुई क्या सर एक राजेश गुप्ता करके हैं सामाजिक कार्यकर्ता उनकी भी धन्यवाद करता हूं उन्होने भी लाईव चलाया था जब प्रशासन

सब देख रहा है एक आईटी सेल होता है उनका भी यह काम है कि यह सब रिपोई वह सार्वजनिक करें कोई व्यक्ति यदि फेसबुक पर कुछ लाईन गलत लिखे तो तुरंत नोटिस आता है उसके पास कि आपने इस नियम के तहत् ये ये उल्लंघन किया है और वह उद्योग जो खुले आम उल्लंघन करता है प्रशासनिक संरक्षण जिनको है उनको कभी नोटिस नहीं आता मैं निवेदन करूंगा उस विभाग से तो वह विभाग भी उस पेपर कटिंग को या जो भी सोशल मिडीया में जो पोस्ट हो रहा है। सर भारत के अनुच्छेद 21 कहता है कि क्षेत्र की जनता को शुद्ध पानी शुद्ध हवा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जिला प्रशासन को भी राज्य सरकार के आदेश का पालन करना है भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है उनका पालन करना है लेकिन आप लोगों ने मरने के लिये छोड़ दिया है मै तो कहता हूं कि आपने अनुच्छेद 21 जो मूल अधिकार है उस मौलिक अधिकारों का भी आप लोग हनन कर रहे हैं और तो और लोगों को फैलने के लिये और कोरोना में मरने के लिये कर दिया है। तालाबों की सूची इकट्ठा किया था नगर निगम के क्षेत्र करीब 50 तालाब है, 538 उद्योग हैं सर इस क्षेत्र में यदि एक उद्योग एक तालाब ले लेता है तो उस तालाब का जिर्णोद्धार हो जायेगा। रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण कराया जाये तो फंड नहीं है मैं लिखता हूं कि तालाब है मेरे क्षेत्र में उसका सौंदर्यी करण कराया जाये शासन को 140 लाख का टेंडर भेजा गया है प्रस्ताव जैसे ही आ जायेगी बना दी जायेगी ये उद्योग क्या करेंगे सर खाली प्रदूषण फैलायेंगे क्या इनको जारी क्यों नहीं करते मुझे याद है सर जब कटारिया सर थे कितने सही थे कितने गलत थे यह मैं नहीं कह सकता लेकिन अपने पद का सदुपयोग किये और दो तीन तालाबों की स्थिति को सुधारे थे जिसमे रायगढ़ का गणेश तालाबा और जयसिंह तालाब उसकी स्थिति सुधारे थे। और 21 तालाबों की लिस्ट जारी किये थे और हर उद्योग को कहा था कि इनका जिर्णेद्धार करें लेकिन उद्योगों के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया। कटारिया सर के कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ उसमें हर निजी स्कूलों में 25 परसेंट गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना थी और वह योजना आज भी संचालित हैं उसमें एक उद्योग प्रबंधक आये थे जिंदल के ही उन्होने बोला था की साहब हमारे क्षेत्र में जो हैं गरीब बच्चे नहीं मिल रहे हैं साहब तुरंत बोले उस समय शायद ट्रायबल वाले राजपूत साहब उनको बोले की आप आदिवासी क्षेत्र में जाइये और 25 परसेंट बच्चे वहां भेजिये। पोटाकांप गया था सर उस प्रबंधक का तो हमें ऐसी ही तेज तर्रार अधिकारी चाहीये। मैं यह देखता हूं सर यहां कि विरोध करने वाले के साथ अलग व्यवहार होता है और समर्थन करने वाले के साथ अलग। दूसरा मैं दूखद बात यह बाताना चाहूंगा की इस क्षेत्र के लोग। तमनार ब्लॉक के भूजल स्तर में भारी गिरावट भू जल का दोहन हो रहा है तमनार क्षेत्र में अगर अधिकारी को पता नहीं तो इसको रखिये और कार्यवाही करिये। भूजजल का दोहन हो रहा है और 38 गांवों में भूजल स्तर 150 फीट से नीचे उतर गया है और रिपार्ट यह कहती है कि

आने वाले समय में वहां के लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होगा। आदरणीय बजरंग अग्रवाल लिखते हैं अपने फेसबुक पोस्ट कि आदरणीय एस पी साहब नवदुर्गा उद्योग में 04 मजदूर गायब हो गये 01 मजदूर की मौत हो गई किन्तु अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ यह गरीब आदमियों के खिलाफ अन्याय है। आपसे निवेदन है कि तत्काल प्रबंधन के उपर एफ आई आर दर्ज करें और उद्योग प्रबंधन को गिरफ्तार किया जाये पर्यावरण मित्र रायगढ़। सर जो आई टी सेल है जो साइबर सेल है पोस्ट पर कार्यवाही करते हैं मैं पूछना चाहूंगा की यह कटिंग उस विभाग के पास पहुंच रहीं है कि नहीं पहुंच रही है। और नही पहुंचती है तो स्पष्टीकरण दिजिये कारण बताओं नोटिस दिजिये एक हफ्ते का समय दिजिये और ओ स्पष्टीकरण दें आपने जो कार्यवाही की है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उस विभाग को उसी का पैसा मिलता है जानकारी एकत्रित करने का इनका एक और मुद्दा है आदरणीय बजरंग अग्रवाल जी का औद्योगिक एक्ट 1948 धारा 7ए 2बी 2 डी औद्योगिक हादसों में मौत होने पर प्रबंधन के उपर सात साल का सजा होने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक किसी के उपर सजा नहीं हुई मजदूरों को एक डेढ़ लाख रूपये किमत दी जा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा सर की बढते कोविड मामलों को संज्ञान में लेते हुये प्रस्तावित जनसुनवाई को प्रशासन बंद कराये इस क्षेत्र में परम आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, रमेश अग्रवाल जी लगातार प्रयास करते हैं और वो इस मामले से जिला प्रशासन को अवगत करायें है कोविड फैलने की फुल संभावना है आप खुद बोल रहें है या ऐसा कोइ आदेश बता दिजिये जिसमें जनसुनवाई में कोरोना नहीं फैलता। सड़क हादसों के रिकार्ड ने तोड़ा पिछले साल का रिकोर्ड 362 दिन भीतर 358 की मौत वर्ष 2021 में 362 दिन में 358 मौत हुई इन सबका जिम्मेदार कौन है यही दलाल ये बिकाउ जो अधिकारी हैं। इस पर क्या कार्यवाही हुई सर बताईये सड़क हादसा रोकने के लिये विभाग क्या करता है। बहुत सारे अपराध हो रहें हैं कई मामले ऐसे हैं जिनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होता है। जिस फूर्ति के साथ जिस स्पीड के साथ जिस मनोबल के साथ ये विरोध करने वालों के साथ हावी होते हैं वो समर्थन करने वाले को नियम सिखाये तो समझेंगे दबंग व सिंघम हैं मरी नजर में तो भिगी बिल्ली है। ऐस बहुत सारे प्रकरण है जिसमें तहसीलदार पटवारी आरआई ने दूसरे के से नामांतरण कर दिया। दूसरा एक रायगढ़ अंचल में प्रकाशित समाचार का में प्रकाशित था की मुर्दे की जमीन को भी छिनने के लिये लगे हुये हैं फर्जी दस्तखत के मामले में राजेश जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं जनता पूछ रहीं सवाल। इस तरह यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर वास्तव में जो कंडिशन है उसको बताना चालू करदे तो जो अति है उद्योगों की ओ समाप्त हो जायेगी। रसूकदारी भारी पुलिस पर राजेश जिंदल पर क्यों नहीं दर्ज है मामला। इसकी जानकारी कौन देगा इसमें लिखा है आदमी को जिंदा बताकर हड़प ली मुर्दे की जमीन इसकी कार्यवाही कौन करेगा जिला जनसंपर्क अधिकारी क्यों नहीं पूछते इसमें की क्या कार्यवाही हुई कलेक्टर साहब उस पर नोटिस

जारी क्यों नहीं करते स्पष्टीकरण कौन नहीं मांगते उससे। ये जो लोकसनुवाई होती है ये सुनियोजित तरीके से होता है। सुरेन्द्र चौहान पत्रकार हैं ये अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं एक मंत्री चार सुपर विधायक और एक सांसद एक सवाल रायगढ़ जिले के कारखानों में कितने स्थानिय लोकल छत्तीसगढीयों को रोजगार दिया जायेगा।

447. रजनी देवी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

448. रूकमणी, गौरमुड़ी – विरोध है।

449. अनुसुईयां, गौरमुड़ी – हम लोग पानी में डस्ट खा रहे है।

450. देवनाथ सिंह, गौरमुड़ी – मैं जनसुनवाई को असंवैधानिक मानता हूं। क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है ओ अनुसूचित क्षेत्र है और उसका जो जनसुनवाई हो रहा है वो देलारी में हो रहा है मैं यह पूछना चाहूंगा की आप लोग किस तहर आयोजन कर रहे हो उपर से कोरोना की मार इतनी पड़ रही है। कलेक्टर साहब का आदेश आता है उन्हीं के कर्मचारियों के द्वारा शासकीय प्रशासन द्वारा कोरोना की गाईड लाईन का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका जवाबदार कौन है एन आर इस्पात उद्योग विस्तार कर रहा हैं समस्याऐं बहुत सारी है हमारी मैं आपके सामने सभी समस्याओं को आपके सामने रखता हूं हमने इन समस्याओं से कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है अभी तक उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एन आर इस्पात उद्योग के विस्तार के लिये हमारा जो रूड़ीमाल है जिस रास्ते से हम मुख्य मार्ग तक जाते थे जिस मार्ग में देलारी के बीच उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। इस बारे में हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हूई है तहसीलदार पटवारी इस बारे में बोल रहे हैं कि आदेश नहीं आया है उपर से हम कहां जायेंगें। और प्रदूषण की तो बात ही नहीं करो पता नहीं प्रदूषण विभाग क्यों बना है हर जिले में ये पूरा देश का सवाल है कहीं उद्योग के बारे में कोई गलत बात दिख ही नहीं रहा है सब क्लीयर है उनके अनुसार पानी भी क्लीयर है हवा भी क्लीयर है सर हम सभी इसी पृथ्वी में जी रहें हैं प्रदूषण कहां जायेगा। आस–पास के गांव वालों ने समर्थन कर दिया मैंने देखा बहुत दुख हुआ सर ये मामला किसी एक गांव का नहीं है आज हम भुगत रहें हैं रायगढ़ प्रदूषण में टॉप पर चल रहा है किसी अच्छी बात होता तो मैं रायगढ़ प्रशासन का धन्यवाद भी करता पता नहीं अधिकारी क्या कर रहें हैं कलेक्टर साहब क्या गाईडलाईन चला रहें हैं क्या कर रहे हैं काम सर मैं आपको अपने गांव में आमंत्रित करता हूं एक बार वहां आकर प्रदूषण देखिये सर वहां का पानी पहले कितना साफ हुआ करता था बचपन के दिनों में जब वहां उद्योग नहीं लगाया गया था जो उद्योग लगा हुआ वो गाईड लाईन का पालन तो करें। खुले आम हवा छोड़ रहे हैं जब भी देखे यहां अपनी चिमनी से जहरीला धुंआ छोड़ रहे हैं प्रदूषण विभाग कर क्या रहा है वहां वो तालाब का पानी छुने लायक नहीं है सर गांव में सुबह आदत होता है कि दतौन लेके जाते हैं वहां दतौन करते हो आज एक

भी इंसान उसे छूना नहीं चाहता है। संक्रमण फैल रहा है पहले गावं के लोग स्वस्थ्य हुआ करते थे आज कल छोटे से गांवों में नई नई विदेशी बीमारियां आ रही हैं कोई टीबी से मर रहा है किसी हार्ट अटैक आ रहा है पहले हमको लगता था ये बड़ी बडी बीमारियां हम लोगों के लिये तो नहीं है। लेकिन आज हर तरफ ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही है की कहीं न कहीं उद्योग जिम्मेदार है पर्यावरण संरक्षण विभाग जिम्मेदार है तभी हम भुगत रहें हैं ऐसा। और भी समस्यायें हैं हवा तो जहरीली है ही है पानी भी जहरीला है वातावरण पूरी तरीके से दूषित हो चुका है कंडीशन आप देख रहे हैं छुपाना चाहें तो छूपा सकते हैं पर हम अपनी समस्याओं को रखेंगे आपके सामने जैसा की भैया ने बोला मैं धन्यवाद देता हूं भैया का और अतिक्रमण ग्राम सभा का न तो सहमति है न गांव वालों से पूछा जा रहा है ये सब सांठगांठ है सर उद्योग प्रबंधन और प्रशासन के बीच न तो गांव वालों से पूछा जा रहा है की उस शासकीय जमीन में आपका कुछ उपयोग है जरूरी काम करवा सकते हैं सामुदायिक भवन बन सकता है राज्य सरकार से भी मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि इस मामले में चल क्या रहा है और शासकीय जमीन बांटते जा रहे हैं उद्योगपतियों को तो हम रहेंगे कहां। और रही बात रास्ते की इन लोगों ने तो खेल ही कर दिया है सर किसान हितैशी बोल बोल के मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप किसकों किसान हितैषी बोल रहे हो हम वहां पे आदिवासी किसान है बहुत सारे किसान है लगभग 50 प्रतिशत किसान है अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं पढ़ाई का खर्चा उसी से उठा रहे हैं ये कैसा है कि खेत में जाने के लिये हमारे पास रास्ता ही नहीं है कहां से जायें हैलीकाप्टर से उड़ के जायें क्या कौन देगा हमको रास्ता हम वहां खोजते हैं तो वहां प्राइवेट जमीन है इधर सरकारी जमीन है उसका परमिशन लेके आओ हम कैसे खेती करें ट्रैक्टर नहीं जा रहा है। रबी फसल लेट चल रहा है क्यों हम सब इधर व्यस्त हैं खेत नहीं जा पा रहें हैं राज्य शासन का भी इस ओर ध्यानाकर्षित करना चाह रहा हूं एक योजना मुझे याद आ रही है राज्य सरकार की दसो ओर विकास योजना सर आप लोगों की भी पता होगा खेत जाने के लिये अपको पक्की सड़क मिले गांव में पक्कीसड़क सड़क ही नहीं है भाई कहां से जायें पक्की सड़क तो दूर की बात है मैं जानना चाहता हूं कि जिला प्रशासन इस विषय पर चुप्पी क्यों साधी है न खेती किसानी के लिये जा पा रहे हैं एक रास्ता दे रही है जो पता नहीं कितना किलोमीटर जाता है। गाय बैल घुसता हे खेत में तो जाते तक फसल खत्म हो जायेगा सर। सर आप बोल रहे हो कि पर्यावरण का मुद्दा रखें लेकिन हम आपके माध्यम से समस्या पहुंचाने चाहते हैं अगर आप समझ रहे तो हम आपका स्वागत करते हैं। सभी जगह हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हें हमें पुलिस प्रशासन अंदर नहीं आने दे रही है हमारे पोस्टर में क्या दिक्कत है भाई मैं सोचा यह हथियार तो नहीं है। वो बोल रहे हैं पोस्टर एलाव नहीं है लिखित में दो हमारी समस्या को हमने पोस्टर में लिखा हुआ है। हमें जो विरोध का तरीका आता है वह संवैधानिक है लीगल है अगर ये असंवैधानिक

है तो मैं आपसे लिखित में जवाब चाहूंगा। हम आदिवासी किसान भी हैं बहुत नारा चल रहा है कि आदिवसी लोगों का मदद किजिये आप खेत छिन रहे हो आप उनके जीने का सहारा ही छिन रहे हो आप शुद्ध जल शुद्ध हवा की बात हो रही है आप तो उनसे खाना भी छिन रहे हो ये किस तरह का प्रशासन है भाई और ये क्या व्यवस्था है कि यहां न तो काई आई डी चेक हो रहा है काई भी अंदर आ रहा है। काई भी समर्थन और विरोध दर्ज करव सकता हैं क्या आपको समस्या केवल उन्हीं लोगों से हैं जो विरोध कर रहे हैं। यहां कोई भी बोल देगा कि मैं गौरमुड़ी का हूं, तराईमाल का हूं, देलारी का हूं, शिवपूरी का हूं, सराईपाल का हूं तो आप मान जाओगे। हमारी समस्याओं को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। भोले भाले लोग हैं सर खेती बाड़ी करके हमारा गुजारा कर रहे हैं और पैसे का लालच नहीं है हमें आपसे बन सके तो हमारी बात पहुंचा दिजिये हमें खेती बाड़ी करना है संविधान में लिखा है शुद्ध पानी शुद्ध हवा हम लोगों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है उद्योग खुले आम धज्जियां उड़ा रहें है यहां। क्लीयरेंस पर क्लीयरेंस मिल रहा है उनको उद्योग का विस्तार हो रहा है हमारे गांव में और रोजगार के साधन हैं केन्दु हो गया महुआ हो गया सब पेड़ां का कटाई हो जा रहा है उसकों रोकने वाला कोई नहीं पर्यावरण विभाग क्या इसलिये बैठा है क्या ये क्या कार्यवाही हो रहा है। जो रोजगार के साधन थे ओ आप हमसे छिन रहें हैं उद्योग पतियों को दे रहे हैं। हम अपनी बातों का उपर पहुंचाना चाहते हैं सर मैं चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग अपने दायित्वों को कर्तब्यों को बिना बोले निभायेगा मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक कोई एक्शन हो कि प्रशासन उद्योगपतियों पर निगरानी रखती हैं प्रतिबंध लगा सकती है और क्या कुछ कानून है पर्यावरण संरक्षण के नाम पर की सिर्फ यह कागजों पर है। पर्यावरण संरक्षण की यहां धज्जियां उड़ रही है और आप बोलते हैं कि हमें यहां और समस्याऐं नहीं सुननी है। आज ताबाल पूरा खराब है पेड़ के पत्ते भी काले हो चुके हैं आप बच्चों से भी पूछेगें तो बतायेंगे की पत्ते काले होते हैं। तो किस बात का यह पर्यावरण संरक्षण विभाग है ये किस बात की जनसुनवाई है हमारी समस्या हैं इसलिये हम आपके सामने है। हमें उम्मीद है आप हमारी बातों को उपर तक पहुचाने का काष्ट करेंगें।

451. राकेश, नहरपाली – हमारा भी गांव 10 किलो मीटर के अंदर के दायरा में आ रहा है। सर बहुत सारी समस्यायें हैं। इस प्लांट का जिसके लिये यह जनसुनवाई हो रही है उसका मैं विरोध करता हूँ। सर इस क्षेत्र के जो किसान है पहले साज से बोलते थे खेत जाहूं मोर छाती हावे मेल जाहूं मै वहां दान दाना हरियाली हावे। तो सर ओ चीज तो आप शासन के द्वारा छिनवा ले रहे हो भू अर्जन करके जो बससे बड़ा घोर अन्याय है जनता के साथ। सर आज के नेता हम युवा पिढ़ी के हैं और आप इस प्लांट को देखिये ये किस प्रकार से प्रदूषण फैला रहा है। रायगढ़ लगभग 600 छोटे बढ़े उद्योग हैं जिससे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। 600 प्लांट पूरा रायगढ़ जिला को जकड़ कर रखा है जिस रस्ते से आये होंगे

सर आप सब चीज देख कर आये होंगे आप सबचीज जानकर अनजान बैठते हैं। हो सकता है आपके उपर भी किसी का दबाव होगा बिल्कुल होगा भाई आप भी किसी के नीचे हैं। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की हमारे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा नहीं है जो आदिवसी क्षेत्र से जो लोग आते हैं ओ समझ पाते की इसका हमें समर्थन करना है या विरोध करना है। जो समर्थन करते है वो अगल बगल गांव से हैं। पहला कारण यह है कि मेसर्स एन आर इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड पूर्व में ही आठ मेगावाट विद्युत उत्पाद कर रहा है जो 23 मेगावाट तक बढायेगा जिसमें कोयला का उपयोग करेगा कोयला में 35 से 50 परसेंट फ्लाई ऐश होती है कोयला में से कार्बन डाई ऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड, सल्फर डाई ऑक्साईड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साईड एवं पीएम 2.5 उत्सर्जित होता है। जो पर्यावरण एवं मानव जीवन के लिये बहुत ही हानिकारक है। हमारा रायगढ़ जिला मकड़ी की जाल बन गया है हर तरफ बड़े बड़े टॉवर पॉवर प्लांट जितने भी पॉवर प्लांट हैं यहां सबने मकड़ी का जाल बिछाकर रख दिया है टावर के जरिये जिससे हमारे क्षेत्र के अनेक जानवर व पक्षी भी खत्म हो रहें हैं इनका ख्याल कौन करेगा। ढिमरापुर रोड का हाल येसा है कि यदि मैं नहरपाली से रायगढ़ जाता हूं तो व्हाईट शर्ट पहनकर तो वह काला हो जाता है। आप लोग सबचीज जानते हुये भी अनजान बने हूये हैं आपको जतना की भलाई करनी ही नहीं है आप तो दो साल तीन साल नौकरी करेंगे और भाग जायेगें यहां से लेकिन हमें तो यहीं ही जीना है। ये क्षेत्र पहले प्रकृति के गोद में फला फूला करता था जो आज उद्योगपतियों के द्वारा तहस नहस हो रहा है। उक्त प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में पूर्व से ही प्रदूषणकारी नलवा, सिंघल, अंबिका, नवदुर्गा, अंजनी इस प्रकार से 20 से 22 प्लांट है जो कि पहले से ही यहां प्रदूषित कर रहे हैं प्रदूषण से अनेक प्रकार का बिमारी भी है क्षेत्र में पूरा प्रदूषण फैलेगा जिससे क्षेत्र में लोगों को दाद खाज खुजली केंसर दमा श्वांस लकवा एवं अनेक प्रकार की संबंधी बिमारी होगी। ईआईए रिपोर्ट के अनुसार मात्र 03 किलोमीटर की दूरी पर माता बंजारी है 07 किलोमीटर की दूरी पर पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल सिंघनपुर है एवं 07 किलो मीटर के दायरे में पवित्र स्थल राम झरना है। आज रायगढ़ को प्रदूषण के कारण देश और विदेश में भी जाना जाता है। कलाकारों के कारण बिल्कुल नहीं जाना जाता है जबकि यहां बड़े बड़े कलाकार भी हैं। सर आज हमारापूरा भारत खत्म होने के कगार पर है सिर्फ प्रदूषण के कारण सर जब ये प्लांट नहीं था तब भी हमलोग अपना जीवन यापन अच्छे तरीका से करते थे। मैं पेशे सर एक साउंड इंजीनियर हूं मेरा खुद का रिकार्ड स्टूडियो है कभी आके विजिट करियेगा एक करोड़ के ऑफिस में बैठता हूं सर क्योंकि चलता हूं मैं बाईक पर क्योंकि जनता के लिये मुझे जनसंपर्क बनाना है। आप लोग एसी गाड़ि में बैठ कर आयेंगे और जायेगें तो कैसे प्रदूषण पता चलेगा आप लोगों को। कितना प्रदूषण फैला रहा यह प्लांट इस प्रकार से 20 से 25 प्लांट इस क्षेत्र में। समुद्र 75 परसेंट हिस्सा ऑब्जॉर्ड कर लिया है जो जितना कचड़ा है। अब बारी है जंगल का और जंगल

खत्म मतलब इंसान को जीवन भी खत्म हो जायेगा धीरे–धीरे जानवर ऐसे ही मर रहे हैं हमारे क्षेत्र में पहले अनेक प्रकार के पक्षी मिलता था आज कल नहीं दिखते हैं हमतो आवाज उठाऐंगे चाहे रायपुर जाना पड़े चाहे दिल्ली जाना पड़े दिल्ली से बढ़े तो आप भी नहीं हो वहां तो हमारी बात को सुनना पड़ेगा। कोरोना को लेकर मेरे पास भी न्यूज आया है दो चार तीन से न्यूज चल रहा है अगर आप चाहते तो इस लोकसुनवाई को आप बंद कर सकते थे लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको प्लांट वालों को समर्थन देना है भाई आप प्लांट का विरोध करिये। मेरा इतना ही कहना है सर की इस प्लांट को यहां नहीं बैठने दिया जायेगा। अगर आप यहां अप्रूवल देंगे तो मैं हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा सर क्योंकि हमारा क्षेत्र सभी उद्योंगों के कारण प्रदूषित हो रहा है सर ऐतिहासिक भूमि सिंघनपुर की बात रामझरना जो कि प्रभु रामचन्द्र जी का साक्षात् की रामचन्द्र वहां आये थे अपने समय में माता सीता जो प्यास लगा धनुष बाण चलाकर वहां से पानी निकाले हैं अभी भी वहां पानी लिकलरहा है सर उसी बगल में बिलासपुर गांव भी है सर जो इस प्लांट से प्रदूषित हो रहा है। आज बहुत सारे प्लांट लगे हैं किसी को रोजगार नहीं मिला है क्योंकि वह लोकल लोगों को नहीं रखेंगे क्यों कि उनको पता है अनेक प्रकार का प्रोटोकाल उसको झेलना पड़ेगा इस कारण लोकल को नहीं रखते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी वहां से बुलाते हैं। सर हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा पर्यावरण लेकिन आयेंगे यहां काम करने के लिये बाहर के लोग ये जनता के साथ सरासर अन्याय है सर इसमें आप लोगों का भी हांथ रहता है सर क्योंकि आप ही लोग अप्रुवल देते हैं सर इस प्लांट का हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर हमें जीने दिजिये मैं सुना हूं यहां प्लांट वाले स्कूल बनवा रहा है कुछ नहीं बन रहा है सर शासन के तरफ से भी एक हॉस्पिटल बन सकता है सर स्कूल बन सकत है। आप लोग कभी नहीं चाहते कि एक गरीब जनता अच्छी जिंदगी जिये अगर चाहते तो इतना सारा प्रदूषण नहीं होता इन पर कार्यवाही करते। प्रशासन सिर्फ हमारे रायगढ़ जिला में बदनाम है सर क्योंकि प्रदूषण यहां सबसे ज्यादा है सर। मेरे को सर सिंघनपुर गुफा उसे बचाना है रामझरना को भी बचाना है जो गरीब जनता है उसकों भी बचाना है आप लोग सबचीज जानते हूये भी आंख भी बंद कर दिये साथ ही साथ मुंह भी बंद कर दिये हो आप लोगों का सिर्फ कलम जनता है दस्तखत कर अप्रूवल दे देतो हो। मुझे सब पता है सर दिल्ली में पांच साल रहा हूं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय कहां है वहां भी मैं जाउंगा सर। हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार की परेशानी है आप पर्यावरण का थोड़ा निरीक्षण करिये सर प्रदूषण पर रोक लगाइये सर। आप पर्यावरण विभाग है सर कि जो प्लांट खुल गये हैं उनको आप यह तो आदेश दिजिये की सर ग्रीन बेल्ट बनाये निर्धारित क्षेत्र में इनको 35 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट बनाना है यह लिखा रहता है सर लेकिन वह बिल्कुल नहीं बनता है सर इसलिये प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है सर इसलिये अनेक प्रकार की बिमारियां हो रही है सर आये दिन हमें यह न्यूज के माध्यम से देखने के लिये मिलता है सर

यहां एक्सीडेंट हो गया चार युवक खत्म हो गये ये जो प्लांट का गाड़ी चलता है सर इसी के लिये रोड पूरी तहर से क्षतिग्रस्त है रोड बर्बाद है सर हमारा रायगढ़ जिले का रोड पूरी तरह से बर्बाद है सर। खरसिया से रायगढ़ देख लिजिये ढिमरापुर रोड देख लिजिये प्रदूषण के लिये कोई कदम उठाइये सर अगर नहीं कर सकते तो जो हमारे जैसे निःस्वार्थ भाव से एनजीओ के लिये काम करते हैं उनको आप जिम्मेदारी दिजिये। सीएसआर फंड रहता है सर ओ क्षेत्र के विकास के लिये रहता है कोई भी उद्योग आता है तो सीएसआर फंड का निर्माण होता है जिससे क्षेत्र के लोगों का विकास हो पाये जिसमें चिकित्सा का सुविधा, शिक्षा का सुविधा अनेक प्रकार का सुविधा रहता है सर सीएसआर फंड का 50 प्रतिशत भाग का प्रभावित क्षेत्र में खर्चा किया जाये यह लिखा रहता है। इतने उद्योग हैं यहां आज किसी भी सीएसआर फंड का पैसा किसी भी गांव के विकास के लिये नहीं लगा है सर सीएसआर अगर चाहता तो जो आज प्रदूषण हो रहा है उसे रूकवा सकता है करोड़ों रूपये आती है सर मैं जनता को बता देता हों जिसमें करोड़ों का पैसा शासन को जाता है कलेक्ट्रैड को जाता है नहरपाली जेएसडब्ल्यू का जो पैसा ओ भी कलेक्ट्रैड में जाता है सर जिसका 50 प्रतिशत पैसा जो प्रभावित गांव उसके लिये खर्चा करना रहता है सर लेकिन ओ बिल्कुल नहीं हो रहा है सर जनता को पूरा चोदू बना रहे हैं सर रोड में बहुत ज्यादा प्रदूषण है सर रायगढ़ जिले में जो प्रदूषण हो राह उसको शासन को प्रशासन को अच्छी तरह से पता है सर मेरा विनम्र निवेदन है सर इसके बारे में कोई कार्यवाही किया जाये। जितने भी प्रभावित गांव है वहीं के लोगों को रोजगार दिया जाये उस क्षेत्र के लोगों को नौकरी दिया जाये।

452. सुभाषिनी, गौरमुडी – विरोध करती हूं।
453. सुमित्रा, गौरमुड़ी – विरोध करती हूं।
454. निर्मला, गौरमुड़ी – विरोध करती हूं।
455. कमला, गौरमुड़ी – विरोध करती हूं।
456. सौरभ – विस्तार परियोजना की एन.आर. की जनसुनवाई दिनांक 05.01.2022 का विरोध करते है। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा नये साल एवं मृत्यु, सामूहिक कार्यक्रम, मीटींग एवं गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जो कि 05 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में 20 ज्यादा प्रभावित गांवों की हजारेां की संख्या में ग्रामीणों द्वारा परियोजना के विषय में अपनी बात कहने के लिये बुलाया गया है जो कि कोरोना गाईड लाईन के खिलाफ है जनसुनवाई के प्रक्रिया के कारण इस क्षेत्र में कोरोना व्यापक फैलने की आशा है जिससे कोरोना जैसे महामारी से जनहानी हो सकती है। केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के तहत् किसी भी कंपनी के आवेदन जमा करने के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन राज्य सरकार द्वारा करवाया जाना चाहीये अगर किन्हीं परिस्थितियों पर राज्य सरकार

जनसुनवाई का आयोजन नहीं करवाता उन परिस्थितियों में केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय एक समिति गठन करेगा जो संबंधित कंपनी के जनसनुवाई का आयोजन करेगा। इस कंपनी के द्वारा जो आवेदन जमा किया गया है जो कि वह एक वर्ष पूर्व जो कि 365 दिवस से ज्यादा का समय हो चुका है इसलिये यह जनसुनवाई केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 का उल्लंघन है इसलिये इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये। तीसरा बिन्दु आज कि होने वाले जनसुनवाई का जो भी ईआईए है इसमें जो भी जानकारियां लगाई गई है वह अन्य कंपनियों की ईआईए की रिपार्ट लगाई गई है जो कि करीब 5–6 साल पुरानी है इसलिये केन्द्रीय जलवायु परिवर्तन विभाग नई दिल्ली के आदेशानुसार किसी भी कंपनी के जनसुनवाई में 03 साल पूराने डेटा का उपयोग कर सकता है परंतु ईआईए में जो भी जानकारी दी गई है वह 2011 जनगणना के अनुसार है इसलिये यह जनसुनवाई अवैध व इलिगल है इसलिये आज की जनसुनवाई का हम विरोध करते हैं। चौथा बिन्दु यह प्रभावित क्षेत्र हांथी प्रभावित क्षेत्र है जहां हाथियों के द्वारा आस–पास के ग्रामीणों के खेतों का नुकसान एवं कभी–कभी गर्मियों में जंगलों में मानव क्षति भी पहुंचाई जाती है जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में रायगढ़ वन विभाग द्वारा साथ हाथीयों के भोजन एवं रख रखाव के लिये 40 लाख रूपये से ज्यादा का खर्च किया जाता है इन परिस्थितियों में इआईए के अंदर इसका विवरण दिया गया है तैयार किये गये दस्तावेज में नहीं दिखाई देती है जिसमें यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र में बनाई गई ईआईए को वास्तव में नहीं रखती केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के नियमों का सीधा ये उल्लंघन है इसलिये इस जनसुनवाई को निरस्त कर जमीनी स्तर पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। पांचवा क्षेत्र में कोयला खदान, पावर प्लांट एवं स्थानीय उर्वरकों के लिये चलने वाले ट्रकों से जो दूर्घटना होती है उसका विवरण इन दस्तावेजों में नहीं है। आने वाले समय में जब कंपनी का विस्तार होगा एवं नई कंपनियों का विस्थापन होगा जिससे सड़कों पर व्यापक पैमाने पर दबाव बढ़ेगा जिससे दुर्घटना में व्यापक रूप से दुर्घटना में बढोतरी होगी दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं कराया गया है की प्रशासन द्वारा होने वाली दूर्घटना को कैसे रोका जायेगा जबकि सड़के दो लाइन की वाहन क्षमता विस्तार को देखते हुये फोर लाइन बनाने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में चलने वाले वाहनों से दुर्घटना को रोका जा सकता है। छठवां इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रायमरी, मिडील, हायर सेकेण्डरी 40 से ज्यादा स्कूले हैं जहां कभी भी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है। जिससे यह पता चल सके कि रायगढ़ जिले की तमनार विकास खण्ड के अंदर औद्योगिकरण की वजह से आम जनमानस में स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा जो कि इस क्षेत्र में सिलिकोसिस जैसे गंभीर बिमारियां पाई गई है जिसका इआईए रिपोर्ट अध्ययन रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। सातवां 10 किलो मीटर के क्षेत्र में 70 से ज्यादा आंगनबाड़ी है जहां एक वर्ष से तीन वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं लेकिन अब तक किसी का स्वस्थ्य परीक्षण

नहीं करवाया गया है। जिससे यह पता चल सके की आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य का जीवन पर प्रभाव किस तरह से पढ़ सकता है। जबकि देखा यह गया है कि इस क्षेत्र में इस्नोफिलिया, दमा, टीबी, केंसर, शरीर में चर्म रोग जैसे बीमारी पाई गई है इनके लिये न तो किसी कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कैम्प का आयोजन नहीं कराया गया है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आठवां जिंदल औद्योगिक पार्क पूंजीपथरा में जहां 30 अधिक छोटे उद्योग स्थापित हैं वहीं पर जिंदल इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित है जहां सैकडों की संख्या में अध्ययन करते हैं जिनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है इस्नोफिलिया, दमा, टीबी, केंसर, शरीर में चर्म रोग पाये गये हैं जिसका अध्ययन पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा किया गया है और सरकार को यह सुझाव भी दिया गया है कि यहां से यह उद्योग बंद कर दिये जायें या तो ओपीजेआईटी इंजिनीयरिंग कॉलेज को स्थानांतरिक कर दिया जाये जो कंपनी और प्रशासन द्वारा अब तक नहीं किया गया। नवां यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पेशा एक्ट कानून लागू होता है पेशा एक्ट कानून के तहत् बिना ग्राम सभा के सहमति के बगैर किसी भी उद्योग एवं गतिविधियां संचालित नहीं किया जा सकते। परंतु शासन द्वारा पांचवी अनुसूची पेशा एक्ट कानून के नियमों का सीधा उल्लंघन किया जाता है। और ग्राम सभा को मिले अधिकारों का सीधा–सीधा उल्लंघन किया जाता है। दसवां क्षेत्र के 10 किलो मीटर के अंदर केलो डेम, राबो डेम, बिलासपुर डेम स्थापित है जिसमें जल प्रदूषण का आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया गया है जबकि केवल डेम से रायगढ़ शहर के नीचे बसे गांव के लोग जल का निस्तारण करता है प्रदूषण के वजह से लोगों के शरीर में खाज, खुजली का लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया है एवं जलगुणवत्त का अध्ययन भी नहीं किया गया है। आशा है कि जल प्रदूषण के संबंध में पहले अध्ययन कराया जाये जिसमें लोगों के जन जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जा सकता है। ग्यारहवां जिले में औद्योगिकरण होने के कारण रायगढ़ जिले में अपराधों में व्यापक पैमाने पर बढ़ोतरी हूई है। इसका मूल वजह दूसरे राज्यों से काम करने वाले आने वाले जो आस–पास के गांवों के मकान में किराये में रहकर कार्य कर रहे हैं जिनके द्वारा गंभीर अपराध किया जाना गया है जिससे इस क्षेत्र में अपराधों में व्यापक पैमाने पर बढोतरी हुई है इसके लिये अध्ययन नहीं किया गया है। बारहवां रायगढ़ जिले में औद्योगिकरण होने के बाद भी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार का अवसर नहीं मिला रायगढ़ जिला रोजगार कार्यालय का अध्ययन करें 220563 बेरोजगार रजिस्टर हैं जबकि रायगढ़ जिले में तीन हजार करोड रूपये से ज्यादा का पूंजी निवेश औद्योगिकरण के नाम से किया गया है। इस पर स्थानीय लोगों व प्रशासन को विचार किया जाना चाहीये की स्थानिय लोगों को उद्योगों में कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तेरहवां रायगढ़ जिले का औद्योगिकरण होने के बाद महिओं को रोजगार का अवसर न मिलना जबकि इस क्षेत्र में काफी महीला तकनीकी क्षेत्र

से हैं प्रत्येक युवतियों को देखा गया है बीए बीएसी, एमएससी, इंजीनियरिंग जैसे उच्च शैक्षणिक योग्यता रखती हैं इसके बाद भी रायगढ़ जिले का दुर्भाग्य की बात है कि उद्योगों में महीलओं को रोजगार मिल पाना जिस पर एक अध्ययन की जरूरत है। जिससे स्थानीय युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके जिससे रायगढ़ जिले के युवाओं का रोजगार को लेकर पलायन को रोका जा सके। चौदह क्षेत्र में निवासरत् कृषि, पशुधन से जीवन यापन करते हैं औद्योगिकरण से जंगलों में मिलने वाला तेन्दूपत्ता, महुआ, डोरी, चिरौंजी, हर्रा, आमला, बेहरा विलुप्त हो गय है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर में आदिवासी समुदाय के लोगों का जीवन व्यापक खतरे में पड़ गया है। इसलिये आस–पास के स्थानीय आदिवासी समुदाय परिवारों के प्रति प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उलब्ध कराया जाये। मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूं।

457. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – आज इस जनसुनवाई के माध्यम से पीठासीन अधिकारी महोदय जो एक कानुन के परिपालन के लिये इस जनसुनवाई को करवा रहे है ऐसा जिला प्रशासन का कहना है, क्योंकि जनसुनवाई की प्रक्रिया उद्योग स्थापना, विस्तार के लिये जनसुनवाई की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया के लिये कानुन अलग से बना हुआ है। मैं आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय से ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की अधसूचना 14 सितम्बर 2006 में विशेष रूप से उल्लेखित है कि जो संबंधित उद्योग है और वो जिस गांव की जमीन पर है जिसके रकबे पर उसका विस्तार होना है या स्थापना होना है उस ग्रामपंचायत में ही उसकी जनसुनवाई हो। अभी तक जिला प्रशासन ऑख बंद करके इस क्षेत्र की जनसुनवाई को बंजारी धाम में करवाती रही जो नियमों का उल्लंघन होता रहा परन्तु जब नियमों में सुधार होने की बात आई तो ये गांव गौरमुड़ी का प्लांट है एन.आर. इस्पात उसकी जनसुनवाई उसके ग्रामपंचायत सराईपाली में हो या उसके आश्रित ग्राम गौरमुड़ी में हो लेकिन ये देलारी में हो रहा है। देलारी रायगढ़ ब्लाक में आता है सामान्य क्षेत्र में और गौरमुड़ी और सराईपाली अनुसूची 05 में है। अनुसूची 05 के उद्योग की जनसुनवाई सामान्य क्षेत्र में किस प्रावधान के तहत् किया जा रहा है ये पेशा के नियमों का उल्लंघन है और जिस गांव में जनसुनवाई हो रहा है या होना था तो सराईपाली में ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित होना था और जिला प्रशासन को उनसे अनुमति लेनी थी कि हम आपके ग्राम में जो आपके पंचायत के अंतर्गत स्थित है उसमें जनसुनवाई करवाना चाहते है और जब ग्रामसभा जिला प्रशासन को अनुमति देती तब जिला प्रशासन को इस जनसुनवाई करवाने की आवश्यकता महशुस होती तब वो अधिकार उनके पास होता। ये पूर्णतः जनसुनवाई असंवेधानिक है रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह जी उद्योग की दलाली में इतने मस्त है कि आंख बंद करके अपने नीचे के अधिकारी को आदेश कर रहे है। पीठासीन अधिकारी महोदय आप पेशा क्षेत्र में स्थित कंपनी की जनसुनवाई यहा किस अधिकार से कर रहे है, यहा की जनता आपसे यह प्रश्न कर रही है और कानुन

का उल्लंघन जिला प्रशासन द्वारा कल की तारीख में 04.01.2022 में सामान्य प्रशासन के सचिव डॉ कमलप्रित सिंह जी का जो पत्र है आप सब तक पहुंच गया है, वो जनता के पास भी है फिर भी आप ये जनसुनवाई करवा रहे है। मैं यहा उपस्थित पीठासीन अधिकारी के अलावा जितने न्यायिक पद में है एस.डी.एम. साहब है, तहसीलदार साहब है, पुलिस विभाग के अधिकारी है उनसे मैं अब निवेदन करूंगा कि ये सुनियोजित षड़यंत्र रायगढ़ कलेक्टर, पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी और इस कंपनी के मालिक प्रबंधन के लोग एक सुनियोजित षड़यंत्र कर कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिये इस जनसुनवाई को करवा रहे है इनके उपर में मान्नीय एस.डी.एम. साहब और इस क्षेत्र के तहसीलदार साहब तत्काल इनके उपर अपराधिक प्रकरण दर्ज करे और इन अपराधियों को गिरफतार करवाये जो मंच में बैठे है, जो कानुन का उल्लंघन कर रहे है उसमें भीमसिंह जी की भी गिरफतारी जरूरी है। जनता को आप मुर्ख नहीं बना सकते, अगर भीमसिंह जी खरीदे गये है तो आप लोग भी खरीदे गये है और आप ऐसी मनमानी करने के लिये आ गये। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये संविधान के पॉचवी अनुसूची क्षेत्र में है मैं पुलिस के अधिकारी से निवेदन करता हूॅ कि मैं मौखिक रूप से जो अपराध पंजीबद्ध करने के लिये कह रहा हूॅ उसको संज्ञान ले, अपराध दर्ज करे और यहा पर पुरा प्रशासनिक अमला जो जनसुनवाई को करवा रहा है उनको तत्काल अपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफतार करें। उनके उपर सुनियोजित षड़यंत्र करने का, अवैधानिक तौर पर लाभ पहुंचाने का, पेशा कानुन के उल्लंघन का अपराध दर्ज हो और साथ ही साथ फर्जी ई.आई.ए. को आधार मानकर आज ये जनसुनवाई हो रही है उसे जो रायगढ़ में कमेटी है उसने जांच ही नहीं किया है उसे पढ़कर नहीं देखा है, पीठासीन अधिकारी महोदय यह दावा नहीं कर सकते कि मैने ये ई.आई.ए. रिपोर्ट को पढ़ा है और पढ़ा है तो बताईये मैं प्रश्न करूंगा आपसे कि कौन से क्या–क्या आंकड़े है जो जन–जीवन को प्रभावित करते है और क्या चिजो को छोड़ा गया है। यदि वो अपूर्ण है और विधिसंवत तरीके से ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है तो आपको ये जनसुनवाई करवाने का अधिकार नहीं है। आप इस क्षेत्र की रक्षा करे, आप कानुन का पालन करे और इस मंच को त्याग करे और तत्काल इस जनसुनवाई को स्थगित करने का आदेश जारी करें, आप जब तक ये आदेश जारी नहीं करेंगे। अगर रायगढ़ के कलेक्टर को कानुन का उल्लंघन करने का छुट है तो मुझे भी मेरे संविधान ने सड़क का मार्ग दिया है मैं भगत सिंह के देश का हूॅ, मैं गांधी जी के देश का हूॅ, अगर आप कानुन का उल्लंघन कर रहे है और आपकी गिरफतारी नहीं होगी तो मैं यहा पर धरना दूंगा और जो गांव वाले विरोध में आये है और ये जब तक धरने में रहेंगे मैं तब तक धरने में रहूंगा। मैं जनसुनवाई की प्रक्रिया पुरी नहीं होने दूंगा। आप मुझे करवाईये गिरफतार, पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है जो रक्षा करते है इन सबको गिरफतार करवाईये, अगर गिरफतार नहीं करवाते है तो गौरमुड़ी के लोग आज यही धरना देंगे, कल रात में हम मीटिंग करके आये है, एक निर्णय लेकर आये है कि जब

तक हम अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ नहीं लेंगे या हम जेल जायेंगे या हम जीत कर जायेंगे। आपसे मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप यही पर इस जनसुनवाई को स्थगित करें। पुलिस प्रशासन के लोग देख रहे है कि पर्यावरण विभाग के कर्मचारी की जान से कैसे खेला जा रहा है ये जो बैठे है एक फीट का भी डिस्टेंस नहीं है, कहा है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं होना है, सारे सभा रद्द कर दिये गये है। यहा पीठासीन अधिकारी को क्या कल के पत्र के अलावा राष्ट्रपति या पर्यावरण मंत्रालय ने अलग से पत्र दिया है, मुझे इस सार्वजनिक मंच पर गौरमुड़ी की जनता ने बुलाया मैं उनको सुझाव देता हूँ कि आपके पास संवैधानिक अधिकार है इस आपके आत्म भूमि में आपके जन्म स्थल में जिला प्रशासन का गुंडा अगर इस जनसुनवाई को करवा रहा है तो यहां गांधीवादी तरीके से धरना दे और जब तक ये निरस्त नहीं होता है यहा से ना हटे। यहा के प्रदूषण की जो स्थिति है क्या ये ई.आई.ए. रिपोर्ट में अंकित है, क्या इस क्षेत्र में जो रायगढ़ जिले में जो सड़क दुर्घटनाए हो रहीं है, जो जल स्त्रोत, प्राकृतिक स्थल जो उजड़ गये है, जो तबाह हो गये है वो ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं है और आप अनुसूचित क्षेत्र की जनसुनवाई सामान्य क्षेत्र में कर रहे है और वो भी जो वायु क्षेत्र में जो 10 किलोमीटर का रेडियस है वहा चुनी हुई गांव की सरकार है, नगर की सरकार है, निगम की सरकार है आपने उसे ई.आई.ए. रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाया है ये चुने हुये सत्ता दल और विपक्षी दल और जनता का भी अपमान है, जो भी विरोध में आये है पीठासीन अधिकारी के कोई भी कार्य को पुरा होने ना दे, ये अंतिम समय में जो भी कार्य करेंगे आप लोग यहा धरना दीजिये, ये संवेधानिक अधिकार है आपका धरना प्रदर्शन। अगर ये कानुन का उल्लंघन करने के लिये इस जगह को चुने है तो हम अपने संवेधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये अपने जीवन की लड़ाई को शांति पूर्वक यहा लड़ेंगे, गांधी वादी तरीके से आज धरना दिया जायेगा मेरी बात से जो समर्थन है वो हाथ उठाये और तैयार रहे धरने में बैठने को और देखते है कौन कंपनी का मालिक यहा इन अधिकारियों को लेकर आया हैं। आप भीम सिंह के उपर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाईये, आप अपराधी का साथ दे रहे है। मुझे यहा से कोई नहीं हटा सकता गांधी वादी तरीके से मुझे संविधान ने अधिकार दिया है धरना प्रदर्शन करने का उस अधिकार का उपयोग मैं आज यहा करूंगा और इन गांव वालों को आस्वस्त किया हूँ कि मैं आप लोगो के साथ हूँ आपको जहा जाना पड़ेगा मैं पहले जाउंगा, लाठी–डंडा–गोली चले मैं खाउंगा मैं देखू मुझे और गांव वालो को कैसे गोली मरवाते है। आप सम्मानित पद पर हैं और आपका सम्मान तब है जब आप कानून का सम्मान करेंगे आप कानून का दुरूपयोग करेंगे तो आप अपराधी हैं। अपराधी अपराधी होता है, आप निरंतर अपराध कर रहें हैं ये अपराध करने का आपके पास लाईसेंस है अलग से। आप जब अपने अनुबंध पत्र मे दस्तखत किये हैं तो सिर्फ सेवा शर्तो के लिये वो भी इन नागरिकों का इन जनता का कि उस सेवा शर्तों के कंडिका को मुझे पढ़कर सुनाना पड़ेगा आपको याद दिलाना पड़ेगा।

माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, इस क्षेत्र के थाना निरीक्षक से अनुरोध है कि इन अपराधियों से इस स्थल को खाली करवाया जाये और इस गैर कानूनी जनसुनवाई को बंद करवाया जाये और आप असमर्थ हैं तो आपकी असमर्थता आकर बता दें कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते कि जनता पर सिर्फ बल प्रयोग कर सकते हैं आपका बल प्रयोग भी हम स्वीकार करेंगे। आप देश की रक्षा के लिये समाज की रक्षा के लिये आपका अमला बना है सेना बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और पुलिस हमारी रक्षा कर रही है। आज इस महामारी अधिनियम के भीषण काल में रायगढ़ जिला तीसरे नंबर पर है, कल की गणना 141 की है क्या पीठासीन महोदय के पास ऐसा कोई व्यवस्था की जिन–जिन गांवों से या जहां जहां से लोग आय हैं उन सबका आप यहां स्वास्थ्य परीक्षण करायें और अगर उस क्षेत्र मे निकल रहा है तो इसकी जवाबदेही आपकी है। ये छोटे कर्मचारी गुलाम आदमी है आप दोनों तो डस्टेंस बना लिये हैं इनकी क्या गलती है। छोटे कर्मचारी, पुलिसवाले, आम जनता क्या मरने के लिये पैदा हुई है प्रशासनिक अमला, न्यायिक अमला और राजनैतिक दल के नेता आज कांग्रेस सत्तारूढ़ है हमारे कांग्रेस के साथी लोग आते हैं उनको ये प्रदूषण नहीं दिख रहा है यहां के विधायक को प्रदूषण नहीं दिख रहा है। इस एन.आर कंपनी के कार्यप्रणाली को मैं बताता हूं अभी मैं गौरमुड़ी गांव आया था और गौरमुड़ी ग्राम के लोग मुझे बताये महाराज हम लोग 50 वर्ष से इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एन.आर. इस्पात दीवाल खड़ी कर बंद कर दिया है और छोटे झाड़ के जंगल जिसको शासन ने हमे दिया था उस पर भी उसकी निगाह है तो उस निगाह का परीणाम आपको बताता हूँ एक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया हमारे नायब तहसीलदार महोदय जो इस क्षेत्र के है उनका एक पत्र आया उन्होने पेशा एक्ट को पालन करवाने ग्राम गौरमुड़ी को लिखा की आपकी लगभग 61 एकड़ जमीन को एन.आर. इस्पात को देना है आप अपनी सहमति और आपत्ति एक सप्ताह के अंदर दर्ज करे वो पत्र हमारे तहसीलदार साहब एन.आर. के एक कर्मचारी के हाथ से भिजवाये, उनके पास डाक की व्यवस्था नहीं है, मै उदाहरण दे रहा हूँ आपको प्रशासनिक अमला कैसे गुलामी झेल रहा है उसका मैं बोल रहा हूँ वो तहसीलदार महोदय पत्र पकड़ा दिये और यहा के सरपंच महोदय को पकड़ा दिये मैं सरपंच जी से पुछा, सरपंच जी वहा उपसरपंच जी भी थे, उपसरपंच जी मेरे को बुलाये थे कि गांव वालों के साथ अत्याचार हो रहा है आज पता नहीं उनका समर्थन है या विरोध ये उनका व्यक्तिगत मसला है उन्होने बताया की ये पत्र आपको डाक से मिला, बोले नहीं मेरे को एन.आर. कंपनी का एक साहब टाईप का है कर्मचारी वो बाई हैण्ड लाकर दे दिया है और उनके जवाब तैयार करके जब तहसीलदार महोदय के पास भेजा तो तहसीलदार बोले नहीं इसमें पावती नहीं मिलेगी आप लोग मेरे खिलाफ शिकायत करने आये हो मैं इसको कैसे लू, ये ऐसे तहसीलदार है। आपके पास विचार करने के लिये पर्याप्त समय है, हम यही भण्डारा करेंगे, यही खायेंगे, यही प्रसाद पायेंगे, यहा से हटाने का

अधिकार आपको नहीं है, यहा से हटाने का अधिकार हमको है, हम आपको यहा से हटा कर जायेंगे और देखते है आपको हटाने के लिये कौन रोकता है। आप मुझे और जनता को बता दीजिये कि आपने देलारी को कैसे चुना, गौरमुड़ी का उद्योग के लिये आपने देलारी को चुना, आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, कैसा करते है आप। मैं कलेक्टर साहब को गाली दिया तो आप बोलते है नहीं दीजिये, आपके पास अधिकार है एफ.आई.आर. दर्ज करीये, वो प्रशासनिक पद में है ना, मैं यहा के मुख्यमंत्री को भी गाली दे रहा हूँ, राष्ट्रपति को भी दे रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायधिशों को गाली दे रहा हूँ। अगर न्यायपालिका जिंदा रहता तो आपके जैसे अपराधि यहा बैठे नहीं रहते और जनता अगर जागृत रहती जो बिचारे 200–500 के लालच में, आपका कैमरा बाहर लगा है, जनसुनवाई के बाहर लगा है कि भेड़–बकरी जैसे नागरिकों को किस ट्रेक्टर में, किस गाड़ी में कैसे ला रहे है क्यों नहीं लगा है। मुख्य मार्ग पर आपका कैमरा क्यों नहीं लगा रहा है जो जनसुनवाई की रिपोर्ट में सम्मिलित हो। आज इस क्षेत्र की जनता और मैं स्वयं हम पुलिस के शरणागत है कि पुलिस हमारे साथ न्याय करें आर जो अपराधी है यहा उनकी कोई भी प्रक्रिया 1 इंच भी आगे नहीं बड़ने दे, तब तो हम पुलिस का सम्मान करेंगे और यहा जो भी विरोध के लिये आये है और आपके साथी जो भी विरोध कर रहे है उन सभी को बुलाये यहा अभी धरना चालु होगा गांधीवादी अहिंसक आंदोलन आज इस मंच से शुरू होगा और जब तक ये कार्यवाही का समापन नहीं करेंगे, स्थगित नहीं करेंगे तब तक हम यही बैठेंगे। मान्नीय एस.डी.एम. साहब यहा पर उपस्थित है, पुलिस प्रशासन यहा पर उपस्थित है, जनता को यहा गुमराह किया जाता है कि शांति व्यवस्था के लिये पुलिस प्रशासन है, यहा प्रशासनिक अधिकारी है, कानुन के उल्लंघन के लिये भी यहा पुलिस प्रशासन है और प्रशासनिक अधिकारी है, कहा है एस.डी.एम. महोदय, मान्नीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय कहा है आप, कैसे आप कानुन का उल्लंघन रोकेंगे और आप किस अधिकार से आये है या तो त्याग पत्र दीजिये घर जाईये या इन दोषियों को गिरफतार कीजिये। आप आपको इस मंच को खाली करके जाना है और जनसुनवाई को यही स्थगित करना है और मैं मान्नीय एस.डी.एम. साहब से निवेदन करूंगा वो भी कानुन पढ़े है, संविधान पढ़े है ये दो अपराधी कैसे जनसुनवाई करवा रहे है वो भी गलत जगह पर। मान्नीय एस.डी.एम. साहब आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप मेरे सामने आये और इन अपराधियों को गिरफतार करने का आदेश दे, पुलिस को आप देते है आदेश, जो भी हल्ला करता है तो शांति व्यवस्था के लिये पुलिस है ऐसा नहीं है, प्रशासन शांति व्यवस्था के लिये तो है ही, पुलिस शांति व्यवस्था के लिये है लेकिन कानुन के उल्लंघन के लिये भी पुलिस और प्रशासन है, दण्डाधिकारी का बिल्ला टांगकर घुमने वाले सभी सम्मानित दण्डाधिकारी को मैं बोलता हूँ आप लोग रिजाईन करके घर में बैठो, अपनी दुकान चलाओ यहा एन.आर. उद्योग का दलाली बंद करो। आपको वापस जाना होगा, जनसुनवाई स्थगित करो और नहीं तो हमारे पास जो मार्ग है उसको अपना

रहे है देखते है पुलिस और यहा के दण्डाधिकारी क्या निर्णय लेते है, हमारे साथ अत्याचार करके इस कोविड काल में हमारी गिरफतारी करते है। अगर अपराध को बताने वाले को संवेधानिक अधिकारों के लिये लड़ने वाले नागरिकों की गिरफतारी होती है तो पुरा देश देखेगा। आपको जवाब लेने के लिये देश के लड़ने वाले कन्याकुमारी तक यहा आयेंगे। 26 साल मैं अपना जो समय गवाया हूँ तो मेरे गुरू है पुरे देश में है वो जो केन्द्र सरकार को घुटना टिकवाये है वो लोग भी मेरे गुरू है, किसान है लड़ते है यहा के किसान आप दो लोगो को कैसे नहीं सकेगी और ये उद्योगपति ऐसा कौन सा ताकत लेकर पैदा हो गया है जिसको हम नहीं सकेंगे। आज नहीं सकेंगे एक हप्ता बाद सकेंगे, एक महिना तक लड़ेंगे, एक साल तक लड़ेंगे, आखरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन आपके इस अत्याचार का हम पुरजोर विरोध करेंगे। आपकी इस गैर असंवेधानिक जनसुनवाई का, गैर कानुनी जनसुनवाई का हम विरोध करेंगे और आप तत्काल निर्णय ले, आप अपनी गलती के लिये इस क्षेत्र की जनता से क्षमा मांगे। अब आपको क्या परेशानी है, आप इस जनता को बता दीजिये कि जो गौरमुड़ी जो सराईपाली गांव पंचायत का अंतरग्रथि ग्राम है फिर यहा जनसुनवाई कैसे। एक अनुसुचित क्षेत्र जिसको संविधान ने भी विषेशाधिकार दिया है वो राष्ट्रप्रति के दत्तक पुत्र है। मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि सब कैमरे में दर्ज है, इस क्षेत्र की जनता, मैं पुलिस अधिकारी और पीठासीन अधिकारी से निवेदन करूंगा कि जो लोग पहले पंडाल में आये है उसके पश्चात उनकी जब पुरी हो जाये, वो अपनी बात पुरी कर ले या अपना काम पुरा कर ले उसके पश्चात जो आये है वो भी अपना दर्ज करवाये लेकिन अभी कानुनी मसला है पीठासीन अधिकारी अभी कानुन का उल्लंघन कर रहे है तो मैं पुलिस अधिकारियों से निवेदन करूंगा, कहा है एस.डी.एम. साहब, कहा चले गये इस जनसुनवाई को बीच में छोड़कर, कीधर है मैं आपकी शरण में हूँ, आप कानुन का पालन नहीं कर रहे है, आप परेशान नहीं कर रहे है। मैं अपनी बात पीठासीन अधिकारी महोदय के पास रखा पीठासीन अधिकारी महोदय आप कलेक्टर के रूप में बैठे है आप कानुन का पालन नहीं कर रहे है और जनता को मजबुर कर रहे है सड़को पर उतरने के लिये उनके संवेधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिये आप उन्हे मजबुर कर रहे है और एस.डी.एम. साहब अगर कोई पीठासीन अधिकारी कानुन का उल्लंघन करेगा तो उसके लिये आपका क्या आदेश है। कहा है एस.डी.एम. महोदय, कहा है तहसीलदार साहब। आप संविधान का शपथ लिये है और 02 प्रशासनिक अधिकारी कानुन का उल्लंघन करके इस जनसुनवाई को करवा रहे है उनको कौन गिरफतार करवायेगा। आप जिस चिज के लिये मुझे रोक रहे है, एस.डी.एम. साहब आ गये है अगर ये अनुसुचित क्षेत्र का मामला है और सामान्य क्षेत्र में जनसुनवाई हो रही है तो इस जनसुनवाई पर एस.डी.एम. साहब तत्काल रोक लगवाये और वो न्यायिक पद के साथ न्याय करें इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करें। मैं यहा घंटो, सालो रहने के लिये नहीं आया हूँ। लेकिन यहा से जो धुल–धुआं उड़ रहा है उससे पुरा

क्षेत्र तबाह है, मेरा पुरा परिवार, मेरा जिला, मेरा राज्य और मेरा पुरा देश प्रदूषित हो रहा है ये प्रदूषण फैलाने का और अवैधानिक तौर पर जनसुनवाई करवाने का अधिकार आपके पास नहीं है। डॉ. कमलप्रित सिंह, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र है वो एस.डी.एम. साहब के पास भी है क्या उस पत्र के बाद कोई दूसरा पत्र है जिससे सार्वजनिक स्थलों पर ऐस 5000–7000 लोगो का जमाव किया जाये अगर एस.डी.एम. साहब के पास पत्र है तो दिखाये अगर नहीं तो पीठासीन अधिकारी महोदय और पर्यावरण अधिकारी महोदय को गिरफतार करने के लिये अपराध पंजीबद्ध करवाये। मैं यही जनता के साथ हूँ, जनता जब तक यहा धरना प्रदर्शन करेगी शांति पूर्वक मैं उनके साथ में हूँ और आखरी सांस तक लड़ाई करके जाउंगा जब तक आप यहा ये मंच नहीं छोड़ देंगे। मैं इस क्षेत्र की जनता से जानना चाहुंगा कि क्या आप लोग संवेधानिक अधिकारों के लिये लड़ने के लिये तैयार है तो चलिये बैठते है और देखते है कि कितनी ताकत इनमें है और ये बोलते है कि आप कलेक्टर के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप मेरे खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाओ। मैं यहा पर हूँ और जनता के बीच में हूँ, आप इसे जब तक स्थगित नहीं करेंगे मैं जनता के साथ हूँ। आपकी प्रक्रिया हम पुरी नहीं करने देंगे।

458. बेणुधर, गौरमुड़ी – उठने से लेकर रात के सोते तक हम उसी प्रदूषण में हम जीवन यापन कर रहें हैं। जब सुबह सो के उठते हैं तो दतौन करते हैं साल पेड़ का दतौन आता है जिसको हम करते हैं लेकिन आज अगर तोड़ना भी चाहें तो भी तोड़ नहीं पायेंगे सर इतना वह प्रदूषित हो गया है। अगर जल का बात किया जाये तो जल इतना प्रदूषित हो गया है न उसमें नहा पाते हैं न उसको पी पाते हैं माननीय पीठासीन अधिकारी मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा खा भी नहीं पा रहें हैं खाले के लिये हम पत्तल का यूज करते हैं जो पत्तल यूज करते हैं उसमें भी डस्ट है तोड़ नहीं पा रहे हैं पत्तल नहीं बना पा रहे हैं पीठासीन अधिकारी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही किया जाये। मैं एन आर का विरोध करता हूं।

459. उपेन्द्र यादव, गौरमुड़ी– एन आर का विरोध करता हूं। उद्योग के आने से हमारा पूरा विकास खत्म हो गया। लेकिन शासन से उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। छोटे–छोटे बच्चे भी हैं आज जाओं रास्ते में भटक रहे हैं 2008 में भी एक जनसुनवाई हुआ था और उसी गांव को संजय अग्रवाल जी निरस्त करके छोड़ दिये हैं पूरा गौरमुड़ी का विकास को बर्बाद कर दिया है। मैं इसलिये इनका विरोध करता हूं।

460. निर्मल चौहान, गौरमुड़ी–कानून से विश्वास उठ गया है मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं।

461. विरू यादव, गौरमुड़ी–प्रदूषण फैला रहा इसलिये मैं एन आर इस्पात का विरोध करता हूं।

462. गोकूल गुप्ता, देलारी–एन आर इस्पात का विरोध करता हूं। मेरा धान मर गया है और मरने वाला है धान फसल भी बर्बाद हो गया है जिसे मंडी में नहीं लेता। प्रदूषण के कारण मेरा आधा धान मर गया हैं।

18 एकड़ जमीन में पूर फसल नहीं होता हैं धान पूरा काला होता है उसे मंडी में नहीं लेता है कितना नुकसान हो गया और मेरा जमीन उसी के पास कभी भी ऐसा नाप नहीं हुआ है एन आर इस्पात ने बढ़ाया देकर मेरा जमीन को नाप किया हैं परखों में ऐसा नाप नहीं हुआ है ऐसा नाप हुआ है बढ़ाकर चिन्ह् लगाया है। इसलिये मैं विरोध करता हूं।

463. समारू, गौरमुड़ी – मैं कंपनी का विरोध करने के लिये आया हूँ, मैं खेती में नहीं जा सकता रोड को जाम कर दिया गया है। हम लोगो को कोई भी प्रकार से फायदा नहीं होगा इसलिये मैं विरोध करता हूँ।

464. मुकेश कुमार पटेल, गौरमुड़ी – एन आर इस्पात का विरोध करते हुये हमारे ग्राम गौरमुड़ी से जो पुर्वजो से जो चलती आ रही है सड़क सुरक्षा के लिये जो मेन रोड से जो रस्ता था उसको बंद करके हमारे गांव वालों को आने जाने के लिये दिक्कत हो रहा है हम सब गये थे तो जबरजस्ती नहीं देंगे नहीं करेगें नहीं दे रहा तो इसलिये हम सब ग्रामवासी विरोध करने के लिये आये हैं आपसे भी हमें यह अनुरोध है।

465. राजकुमार, गौरमुड़ी -- हामन ला एन आर इस्पात से कोई दुशमनी नहीं है, हामन ला कमाये खाये बर थोड़ा सा जगह दे दे। हामन बार–बार गेहेन फिर भी हामर बात ला सुनीन आकरे बर हामन ला विरोध करे आये बर लोगिस।

466. तपन गड़तिया, लाखा – मैं इसके क्षमता विस्तार और जनसुनवाई दोनों का विरोध करता हूँ। पहले तो मैं विरोध के बारे में बोलता हूं की कल 04 जनवरी 2022 को जिला प्रशासन का गाईड लाईन आया कि कोई भी रैली, जुलूस भीड़ नहीं करना है स्कूलों को बंद करना है और ये जनसुनवाई कराया जा रहा है मैं पीठासीन अधिकारी से पूंछना चाह रहा हूं ये जो गाईड लाईन है वह आम जनता के लिये नहीं है। ये एन आर इस्पात 52 एकड़ में है क्षमता विस्तार के बाद 118 एकड़ और एक घना जंगल है जंगल का विनास हो रहा है इसमें कितने हजार पेड़ कट गये सर मेरे को जानना है। ये जो ईआईए रिपोट है फॉल्स है पूरा उसमें लिखा है मात्र 500 पेड़ 120 एकड़ में क्या सिर्फ 500 पेड़ होता है ना जाने कितने हजार पेड़ है उस 120 एकड़ में। लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये पर्यावरण करवता है ये जनसुनवाई जिलना पेड़ है उतना पेड़ लगायेंगे लेकिन क्या वृक्षारोपण करते हैं कहीं वृक्षारोपण होता है बिल्कुल भी नहीं होता वृक्षारोपण करते हैं तो सिर्फ नाम भर का जबकि कुछ है नहीं। जंगल की दृष्टि से देखें मानव की दृष्टि से जंगल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में में तीसरा है छत्तीसगढ़ में केवल रायगढ़ जिला ही दिखता है यह स्थान जहां सारे उद्योगों को बैठाया जा रहा है और कहीं पर जगह नहीं है उद्योगों को बैठाने क लिये इसका मतलब यह है कि रायगढ़ जिले वासी रायगढ़ को छोड़कर चले जायें। क्योंकि अधिकार है आम जनता का शुद्ध हवा और शुद्ध जल का आम आदमी के अधिकारों

का यहां पर हनन हो रहा है। अधिकार का हनन हो रहा है मध्यम वर्गीय आदमी मैं बाईक पे चलता हूं सर अगर मैं लाखा से गेरवानी मार्ग पर 500 मीटर का रास्ता तय कर लूं तो स्थिति तो ऐसा लगता है जैसे 150 किलोमीटर से आ रहा हूं ऐसा लगता है सर। यहां उद्योगों से आने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा मैं तो यहां 100 किलो की गाड़ी 50 किलो का मेरा वजन कंपनियों का दिन में कितने हजार ट्रक चलते हैं लेकिन क्या ये ट्रक ऐसा नहीं चलता तो क्या सड़क की स्थिति ऐसी होती तो ये प्रशासन उद्योगपतियों से सड़क क्यों नहीं बनाती है। उद्योग बनाने के लिये तो आप लोग पास कर दे रहें हैं तो यह सड़क कौन बनायेगा हम तो बाईक में चलते हैं आप तो फोरव्हिलर वाले हो। उद्योगपतियों का बड़े लोग है अमीर लोग है अपने कारों में चलते हैं हमको तो बाईक में चलना है जो गाड़ी दस साल तक चलता था आज वो पांच साल में खत्म हो जा रही है। जहां पेट्रोल डिजल इतना एवरेज देना था रोड इतना खराब है कि जिस रास्ते पर मैं पहले 15 मिनट 20 मिनट में तय करता था आज 45 मिनट 50 मिनट और कभी–कभी तो घंटो लग रहा है। क्या यह आम आदमी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। मेरा यह जानना सर आप लोग तो ईआईए रिपोर्ट तो जरूर पढ़े होंगे यहां जो एन आर इस्पात का क्षमता विस्तार हो रहा है उसमें कितना हजार पेड़ लग रहा है मेरे को पूछना था ये चीज। प्रदूषण यहां राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। इसके बावजूद भी क्या यहां प्लांट बैठाना चाहीये आज के डेट में क्या यह जगह प्लांट बैठाने लायक रह गया है जबकि प्रदूषण का स्तर यहां पर इतना ज्यादा हो चुका है। तालाब नदी यहां के पानी पर आप यहां अपना हांथ नहीं रख सकते हैं सर। यह तो हो गई नदी की बात तालाब के पास अब मैं आज फसल की बात कर लेता हूं मैं देलारी गांव में आज भी किसान लोग धान की खेती करते हैं सब्जी भाजी उगा रहे हैं यहां गांव के लोग ये जो एन आर इस्पात है इसके साथ और भी बहुत सारे उद्योग हैं। उद्योगों से फसल का कितना नुकसान हो रहा है सर यहां पर जब आप मार्केट में अपना फसल बेचने जाओ स्थिति यह है कि उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा। मेरे को तकलीफ है इसी लिये आया हूं सर मैं हर उद्योग के विरूद्ध में आउंगा मैं ये लोग जो समर्थन किये हैं इसी सड़क से आए हैं इनको नहीं दिखा प्रदूषण का स्तर ये गंदे रास्ते आप लोग भी तो फोर व्हिलर से आये हैं देखे होंगे आप तो यह किस हिसाब से प्लांट का क्षमता विस्तार का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। ये जनसुवाई किस चीज के लिये हो रही है जनसुनवाई इसलिये हो रही की जनता पूछे जाने कोई मतलब नहीं है यह पूरा बेकार है। जनसुनवाई होने से पहले प्लांट तो चालू हो गया है गौरमुड़ी वाले बोल रहे हैं हमारा रास्ता चला जायेगा उधर बाउंड्री बनना चालू हो जायेगा। ये जो इंवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है यह किस चीज के लिये है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लागू नहीं होता क्या। प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जुका है जिस खेत का फसल पूरा हरा भरा होना चाहीये ओ हरा कूछ नही दिख रहा है वो काला डस्ट धुंआ है सिर्फ सेठ मरवाड़ी इनके पास एकड़ एकड़ जमीन होता है

नौकर चाकर रखेंगे और वहां पर जैविक खेती करेंगे। इनको श्वास संबंधी समस्याऐं नहीं होंगी आप सोचिये ये सब जहरीले चीजों को अपने फसल में डाल रहे हैं उन फसलों के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा बहुत ही गंदा असर पड़ेगा जो विरोध किये हैं उनका तहे दिल से आभार करता हूं और जो लोग समर्थन करने आये हैं क्या उद्योग प्रबंधन उनके लिये अलग से वायु का प्रबंध करेगा क्या उनके फसलों खेतों में तिरपाल लगा देगा हर आदमी को गांव वाले लोगों को समझना चाहीये ये चीज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है समर्थन कर रहें हैं। आप लोग यह ध्यान रखिये की लाखा गेरवानी क्षेत्र में कम से कम दूसरे उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहीये क्यों कि यहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही खराब हो चुका है यहां कुछ हुआ नहीं है रोजगार मिला नहीं है। मैं लोगों को यह सिखाना चाहता हूं कि अपने हक के लिये आप सब लोग आइये और संभव प्रयास किजिये विरोध करने का गलत के खिलाफ आवाज उठाना अनिवार्य है।

467. हमारे क्षेत्र में लगातार बड़ते प्रदूषण के कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

468. योगेश, लाखा – मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं, ये जितने भी कंपनी का विस्तार हुआ है अच्छा काम क्या किया है अभी तक और क्या रोजगर दिया हैं स्थानीय निवासियों को। हम लोग 15 दिसंबर 2021 को सनील इस्पात के समक्ष कुछ मांग रखे थे बंजारी के सामने हमारा एक छोटा सा मांग था लेकिन अधिकारी पीछे के रास्ते से क्यों गये ऐसा क्या बात हो गई की वह लोगों का बात तक नहीं सुने और जहां तक काम की बात है किसी भी फैक्ट्री में अच्छा काम नहीं दिया जाता है स्थानियवासियों को वहां सिर्फ मजदूरी का काम दिया जाता है एक दम नीचे से नीचे वाला काम हमारे गावं के जो अमीर लोग हैं वो गांव छोड़कर जा रहे हैं लेकिन हम लोग गरीब है हम लोग जायें तो कहां जायें हम लोग क्या करें आपही कुछ बताईये आपके हाथ में सबकुछ है आज जो चाहे हो सकता है लेकिन आप इस तरह से चुप क्यों हैं। आपक आदेश के हिसाब से ही होगा आपको आदेश देना चाहीये। यहां पीने लायक पानी नहीं है आप खुद पीना चाहोगे आप भले ही मिनरल वाटर पीतें हैं मगर हम वहीं पानी पीते हैं।

469. राज यादव, गौरमुड़ी – एन आर इस्पात का विरोध करता हूं।

470. कृष्णा, गौरमुड़ी – एन आर इस्पात का विरोध करता हूं।

471. बाबुलाल – एन.आर. इस्पात के जितने भी अधिकारी–कर्मचारी है बंद कमरे एस.सी. में है। अधिकारी महोदय आज यह जो जनसुनवाई हो रहा है ये देलारी में हो रहा है जबकि इसको तमनार विकाखण्ड के सराईपाली या गौरमुड़ी में होना चाहिये था, ये रायगढ़ ब्लाक के देलारी गांव में हो रहा है ये देलारी गावं देलारी नहीं देवलारी है देवताओं की लारी है देलारी यहां जो पहले खेती होता था फुलगोभी पहले ईतवारी बाजार देलारी गांव का रायगढ़ में पहले जाता था। किसी भी किसान को पूछ लिजिये यहां कि कितना धुल व डस्ट ज्यादा है परेशापन हो गये हैं किसान और एन आर इस्पात के अधिकारी कर्मचारी

प्रबंधन एसी लगा के पंखा के नीचे बंद कमरे में जायजा लेते हैं। अगर देलारी गांव के किसी भी एक घर में चले जायें और झाडू लगाकर बता दें की धुल धुंआ डस्ट हो रहा है कि नहीं तो पता चलेगा। और इसके पहले बंजारी मंदिर तराईमाल में एस एस स्टील और अग्रोहा का जनसुनवाई हुआ था आप भी वहां मौजूद थे और अशोक अग्रवाल जी और सुरेश अग्रवाल जी रोड को ऐसा बनायेंगे वैसा बनायेंगे। जाते समय कुरूवंशी साहब पाली से देलारी होते हुये जाना की गढ्ढा सड़क में है कि सड़क गढ्ढा में हैं आज पर्यंत तक रोड नहीं बना कम से कम मुरूम मिट्टी तो डलवा सकते थे आज तक नहीं डला और जब हम किसान छोटे से जलाउ लकड़ी काटते हैं छोटा सा टूल्लू पम्प चलाते हैं तो जुर्म दर्ज होता है और ये प्लांट वाले लाखों करोड़ों का बिजली चोरी करते हैं उनको कुछ नहीं होता है। और बड़े बड़े पेड़ को रातों रात तोड़कर ढहा दिया जाता है कितना नुकसान करते हैं ये लोग और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं ओ बंद कमरे का जायजा रखते हैं मैं एन आर इस्पात का पूरजोर विरोध करता हूं।

472. त्रिलोचन सिदार, गौरमुड़ी – विरोध। हम लोगो को आने–जाने का रास्ता मिलना चाहिये ताकि हम सुविधा से जीवन यापन कर सके।
473. श्याम, गौरमुड़ी – हमे खेत तक जाने के लिये रास्ता चाहिये।
474. अनंत – विरोध करता हूं।
475. भुवन – विरोध करता हूं।
476. तुलाराम – विरोध करता हूं।
477. धन्नंजय पटेल – मैं मेसर्स एन.आर. इस्पात का विरोध करता हूं क्योंकि हमारा रास्ता बंद कर दिया है और खेती किसानी जाने के लिये भी रास्ता को बंद कर दिया है। उसके मामले से बहुत कुछ किये लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम प्रशासन के पास भी गये थे, मालिक के पास गये थे वे भी नहीं सुने तो सर हम लोग क्या करें सर हम किसान होते हुये भी अपना खेत नहीं जा पा रहें हैं तो बहुत परेशानी है सर उस समस्या कुछ समाधान है कि नही सर कि हम चोरी डकैती करना सीखें सर हमारे खेत तक जाने का रास्ता चाहिये कि नहीं बताईये इसलिये मैं मेसर्स एन.आर. इस्पात का विरोध करता हूं।
478. विरेन्द्र चौहान, देलारी – बहुत लोगों ने समर्थन विरोध किया। मैं दो मुद्दों पर बात करूंगा। जो लोग रायगढ़ से गेरवानी की सड़क की बात कर रहें हैं तो मैं जानकारी चाहूंगा यह गलती एन.आर. इस्पात कि है या जिला प्रशासन की है। हर कोई बोलता है कि देलारी में बहुत धूल एवं डस्ट उड़ता है हर उद्योग को यह बात समझनी होगी जहां उद्योग का विस्तार होता है वहां फायदा भी होता है वहां नुकसान भी होता है। यहां एन.आर. का विस्तार होने से हमारे कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। कई लोगों को यहां धूल डस्ट और प्लांट से प्रॉब्लम है। गौरमुड़ी के मेरे भाई लोग यहां बैठें है इसका

में विरोध नहीं करता हूं क्योंकि वे लोग अपनी समस्या के लिये यहां पर बैंठे हैं उनको रास्ते व डस्ट का प्रॉब्लम है सब अपने अपने मुद्दे लेकर बैंठें हैं तो हर चीज का जिम्मेंदार एन.आर. इस्पात है अगर रायगढ़ से गेरवानी तक रोड खराब है डस्ट उड़ता है तो इसका जिम्मेंदार क्या जिला प्रशासन नहीं है। अगर एन. आर. जिम्मेंदार है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको समझाना चाहिये। यहां उद्योगों को लेके रोड, डस्ट, पानी की प्रॉब्लम है हर गांव में और सभी लोग इससे वाकिफ हैं। मैं यह नहीं कहता कि विरोध वाले अपने जगह गलत हैं या समर्थन वाले अपने जगह सहीं हैं। समर्थन विरोध वाले डायरेक्टली एक दूसरे से प्रभावित है इसलिये वे समर्थन विरोध कर रहें हैं। देलारी, सराईपाली, गौरमुड़ी में बहुत से कार्य एन.आर. इस्पात पूर्व में करा चूका है। अर्जेन्ट जरूरत करने में पीछे नहीं हटती। प्लांट से समस्या है तो फायदा भी है आज 50 लोगों को नौकरी मिला है परिवार चला रहें हैं। हर चीज की जिम्मेंदारी एन.आर.इस्पात को नहीं देता इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी है। सराईपाली से रायगढ़ तक रोड खराब है तो इसकी एन.आर. इस्पात की नहीं जिला प्रशासन है। सराईपाली से पंजीपथरा तक गाड़ी चलती है इसका जिम्मेदार है जिला प्रशासन न कि एन.आर. इस्पात। मैं कंपनी का समर्थन इसलिये करता हूं कि एन.आर. इस्पात में काम करके लोग अपना परिवार चलाते हैं। आपसे आग्रह करूंगा सर की रोड की समस्या का निवारण करेंगे और मैं एन.आर. इस्पात का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

479. प्रेम यादव, ठरकपुर – कई लोग एन.आर. इस्पात का समर्थन विरोध कर रहें हैं। वहां से रोज 10 से 15 मजदूर वापस आ रहें है काम ज्यादा है नहीं 50 मजदूरों की आवश्यकता है और 70 मजदूर जाते हैं तो 20 वापस आ जाते हैं। एन.आर. इस्पात समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि वे हमारा रोजगार में पूर्ण समर्थन करता है। स्थानिय लोगों को रोजगार देती है जिससे हमें रोजगार मिलता है जिससे हम स्थाई रहते हैं और हमारा शेड्यूल बनता है। धार्मिक कार्यों के लिये जाकर कहते हैं सर 10000 रूपये की सहायता चाहिये तो वे कम से कम 8000 से 9000 रूपये देकर सहायता करते हैं। हमारे समस्या का हल करता है एन.आर. इस्पात। प्लांट का समर्थन है। हमें कभी नौकर है करके फील करने नहीं देते। एन.आर. इस्पात का समर्थन करता हूं।

480. करण सिंह अघरिया – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

481. सविता रथ, रायगढ़ – ई.आई.ए. ड्राफ्ट है पर्यावरणीय जनस्वीकृति के लिये एवं तकनीकी बिन्दु हैं जो इस पूरे क्षेत्र का यहां किसी से मेरा बैर नहीं है। तकनीकी बातों को रखुंगी। ई.आई.ए. को कॉपी पेस्ट करते हैं उसमें तकनीकी गलती करतें हैं ये तकनीकी चीजें स्थानीय व्यक्ति तक नहीं जाता है। जनसुनवाई पोस्टर अंग्रेजी में हैं जिसे यहां कि स्थानीय जनता पढ़ नहीं सकती तो कृपया जनसुनवाई पोस्टर को हिन्दी में बनवाये कि कितना इनका कैपिसिटी है कितना ईंट बनाने का युनिट लगायेंगे सारी तकनीकी बातें मैन्युफैक्चरिंग बाते ये अंधेरे में हैं यहां की साक्षरता दर के अनुसार हिन्दी में लिखना चाहिये न कि अंग्रेजी

में तो ये लोकाचार एवं व्यवहारिक पहलू नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2012 में पेरिस समझौता किया था उनका वादा है इस कार्बन डाईऑक्साईड को हमारे देश के अंदर 2033 तक बेहद कम कर देंगे तो हस्ताक्षर व रायगढ़ और छत्तीसगढ़ की क्या कैपेसिटी है कार्बन डाईऑक्साईड को कम कितना कंट्रोल कर पायेंगे। ऐसे जनसुनवाई करवाकर विस्तार करवायेंगे तो नहीं कर पायेंगे। प्रदूषण व डब्ल्यु.एच.ओ. के हिसाब से बहुत निचले स्तर पर चले जायेंगे। कोविड के तीसरे लहर के बाद बेरोजगारी की बात है खासकर महिलाओं के बेरोजगारी की बात है, बच्चों के स्वास्थ्य की बात है बेहत भयानक आंकड़े आ रहें हैं। ऐसे स्थिति जनसुनवाई एवं ऐसे बैनर जिसे लोग पढ़ नहीं सकते क्यूं कर रहें हैं। इनके पेज नंबर 80 में समरी में रक्षा प्रतिष्ठान इसमें निरंक डाला गया है। आपने जीपीएस लगाया होगा अगर 10 कि.मी. रेडियस में जीपीएस की बात करते हैं उर्दना पुलिस कैम्प, पूंजीपथरा थाना ये 02 महत्वपूर्ण रक्षित केन्द्र हैं जहां हथियार है। गृह मंत्रालय, छत्तीसगढ़ पुलिस का जो कैम्प है वहां के रक्षा प्रतिष्ठान से संबंधित वस्तुऐं हैं एस.पी साहब को पता है रक्षा प्रतिष्ठान केन्द्र में क्या क्या है। कंपनी के पास सशस्त्र निजी गार्ड हैं मुझे नहीं पता उनके पास कितने हथियार हैं। जनसुनवाई के ई.आई.ए. ड्रफ्ट केलो डैम को रखिये। केलो नदी रायगढ़ की लाईफ लाईन कहा जाता है जिसका संबंध रायगढ़ से उड़िसा हीराकुण्ड तक है। इसमें पॉवईंट नंबर 17 में लिखा है अंतर्राज्यी सीमा नहीं है लेकिन उड़िसा की सीमा लगती है हमीरपुर के बाद। आप कुछ भी ले आते हैं आपको लगता है यहां लोगों को नहीं मालूम है। आपके लिखे कागज से ही सरकार आपको अनुमति देती है चाहे विस्तार हो या नया हो। कॉपी पेस्ट ई.आई.ए. में हमें भी कॉपी पेस्ट जवाब देना पड़ता है। कच्चा माल क्रोमकोक लैमकोल के साथ क्वार्टज का नाम आया है। इस क्षेत्र में सिलिकोसिस लोग हैं यहां 02 क्वार्टज प्लांट को जिला पर्यावरण अधिकारी साहब ने बंद कराया है। क्वार्टज की मात्रा 3024 बताया गया है जो आंध्रप्रदेश छत्तीसगढ़ से ही लाया जायेगा। इसे लेकर ड्राफ्ट को देख लेंगे। जल की बिन्दु 1.5 है संयंत्र में जल चाहिये 260 केएलडी इसे भूजल से ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भूजल केवल पीने के लिये और कृषि के लिये है न कि औद्योगिक तो पानी कहां से लायेंगे ये जरूर सवाल है हमारा। प्रस्तावित विस्तार के लिये 2800 केएलडी पानी की आवश्यकता होगी और इसे गेरवानी शिवपुरी नाले से प्राप्त किया जायेगा। गेरवानी शिवपुरी जो 18 नाले हैं देलारी का पर्यटक स्थल बाबाकुटी है 18 नाले मिलकर केलो नदी में मिलते हैं केलो नदी का अस्तित्व नहीं नालों से है। गेरवानी शिवपुरी नाले से जल लेंगे तो आप शायद केलो डैम में पानी नहीं रख पायेंगे। कुल पानी की आवश्कता 260 से 3060 केएलडी हो जायेगी तो पानी की पूर्ति को लेकर संशय है कि पानी की आपूर्ति कहां से करेंगे। यहां के सामुदायिक वन अधिकार पट्टे ग्रामसभा से मिलता है। ड्राफ्ट.ई.आई. को सुधार लीजिये मैं लिखित में अपनी आपत्ति देती हूं। धन्यवाद।

482. लीलावती, गौरमुड़ी – विरोध करती हूं।

483. हरिचंद्र, गेरवानी – मेसर्स एन.आर.इस्पात का समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये करता हूं कि हमारे गांव के स्कूल का बाउण्ड्रीवॉल करवायें हैं पानी की आवश्यकता पूरी करतें हैं किसी के यहां शादी हो इत्यादि कार्य हो तो पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव के समलाई मंदिर में 02 कमरा बनाना है तो इसके लिये भी हां बोल दियें हैं। किसी काम के लिये मना नहीं करते हर लड़की के शादी के लिये 10000 रूपये दिया जाता है इसलिये एन.आर. इस्पात को समर्थन करता हूं।

484. अर्जुन भोय, देलारी – एन.आर. इस्पात का समर्थन करता हूं इसलिये समर्थन करता हूं कोई समस्या आता है तो इसे तुरंत सॉल्व किया जाता है। हमारे गांव या आस–पास के गांव के समस्या को एम.डी. के पास रखा जाता है तो तुरंत उसका निवारण किया जाता है। इस उद्योग के आने से हमें लाभ हुआ लाभ मतलब बेरोजगार को रोजगार मिला। अपने कार्य के हिसाब से सबको रोजगार दिया जायेगा। दूसरे प्लांट में जितने पॉल्युशन इक्विपमेंट लगाया जाता है उससे ज्यादा एन.आर. इस्पात द्वारा लगाया जाता है। यहां का इक्विपमेंट, मैनेजमेंट देखा हूं बाकी प्लांट में इतना मेंटनेंस किया जाता है। ई.एस.पी. को मेंटनेंस व क्लियरेंस किया जाता है। मैं एन.आर.इस्पात का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

485. अजय, देलारी – जितने भी बेरोजगार घुम रहे है उन्हे प्लांट में नौकरी मिले। मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

486. रामप्रसाद, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

487. लक्की, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

488. अमित, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

489. अमन, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

490. पटेल, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

491. सोमनाथ, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

492. विश्वजित – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

493. राजेश, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

494. राज कर्ष, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

495. करण, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

496. सुमित – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

497. शंकर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

498. विकास, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

499. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – आज कि जो जनसुनवाई हो रही हैं हमारे ई.आई.ए. बनाने वाले साथी भी हमारे साथ है। सबसे बुनयादी सवाल है कि जिन परिस्थियों में जनसुनवाई हो रही हैं क्या वो उचित है।

हम डब्ल्यू.डी.ओ., भारत के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते और कलेक्टर साहब से आदेश निकलते हैं तो हम अपने जीवन में किसी न किसी को आदर्श मानते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है बहु उपदेश कुशा बहुतेरे। कलेक्टर साहब अपने नियम को जब स्वयं उल्लंघन करते हैं तो जनता से कैसे उम्मीद करें कि लोग उनके नियम का पालन करेंगे। कुछ दिन पहले कहा गया कि टीकाकरण में हम भारत में पहले नंबर पर हैं उसकी भी सच्चाई जब सामने आई कि जो कोरोना से मर चुका है उसके घर भी दूसरे टीकाकरण का पत्र गया कि आपको दूसरा टीकाकरण लग गया। कोरोना की तीसरी लहर आई है जिसमें हम पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पर हैं और अगर विगत 04 दिनों की बात करें तो नवोदय विद्यालय में 26 दूसरे दिन 40 तीसरे दिन 103 और चौथे दिन 141 आंकड़े निकले। यहां मंच में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग तो जाति, धर्म, गरीबी, भूखमरी,ऊंच–नींच के आधार पर होता है। आज से 02 महीना पहले एमएसपी की जनसुनवाई को कलेक्टर साहब ने अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है कहा था कौन सा कारण था, उस समय न कोरोना था न कोरोना के मरीज थे। मुख्यमंत्री जी का टीवी पर एक बयान था जहा 4.5 प्रतिशत से ज्यादा करोना के मरीज हैं वहां मीटिंग, सभा, रैली, जूलूस, आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, मीडिल स्कूलें ये सब बंद कर दी गई। कोरोना के मरीज वहां ज्यादा मिले है जहां से हमारी औद्योगिकरण अधिक है और जहां ट्रांर्पोटिंग अधिक होती है वहां। ई.आई.ए. रिपोर्ट का अध्ययन किया। 31 दिसम्बर को एक आंकड़ा आया कि रायगढ़ जिले में ऐसा एक दिन नहीं रहा जिसमें 02 आदमी एक्सीडेंट से न मरे हों। आप प्लांट लगाईये बस 02 काम कीजिये रायगढ़ की सड़क बनवा दीजिये और पर्यावरणीय मापदण्ड का पालन कर लीजिये। रायगढ़ जिले पर्यावरणीय मापदण्ड का पालन किस तरीके से हो रहा है वो तो शिवपाल भगत की एनजीटी की फाईल बता रही है। हमारे पर्यावरण अधिकारी बोलते हैं यहां कोई पर्यावरण का उल्लंघन नहीं है परन्तु जो कमिटी हाई कोर्ट के जज के मार्गदर्शन में बनीं उन्होने एनजीटी को पर्यावरण उल्लंघन के लिये 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया उसमें जिंदल, अंबुजा, हिण्डाल्को, टी.आर.एन भी है जिसका हमने शिकायत हजारों बार किया कि इसकी जांच हो व दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही की जाये। टीम जाती है अध्ययन करती है और बताती है इनमें से कोई दोषी नहीं है। यहां कहां जा रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है अभी 03 दिन पहले की न्यूज है कि सारंगढ़ में फंसे लोगों को पुलिस लेके आई यहां पर्याप्त रोजगार मिल रहा है तो दूसरे राज्य में लोगों को रोजगार के लिये नहीं जाना चाहिये ये दोहरा मापदण्ड किस लिये। जबकि 2021 में 23–24 जनसुनवाई हुई है अगर रायगढ़ में इन उद्योगों का जनसुनवाई होता है तो लगभग 25000 करोड़ रूपये का निवेश रायगढ़ में होगा। रायगढ़ में क्यू पूंजीनिवेश हो रहा है दूसरे जिले में क्यूं नहीं हो रहा है। कोयला है, केलो नदी का पानी, ग्राम तो हमारा ही है सरल स्वभाव के लोग है जिनको आसानी से बात मनवाया जा सकता है। इसी देलारी गांव

के 01 कि.मी. दूर एक बाबाधाम है वहां एक प्राकृतिक झरना है परन्तु ई.आई.ए. में यह बात नहीं है। उर्दना इस रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत आता है परन्तु ई.आई.ए. नगर निगम नहीं गई है। यहां रायगढ़ इस्पात प्लांट लगा है वहां का एक भी पेड़ का पत्ता हरा नहीं काला है। पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं इसके लिये उद्योग प्रबंधन को, प्रशासन का, स्थाई लोगों को, यहां के प्रतिनिधि को हम सब की भूमिका है अगर हम जिन्दा है तो ये विकास हमारे लिये मायने रखता है अगर हम नहीं हैं तो विकास किसके लिये होगा किस कीमत पर होगा। जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनसे अधिक से अधिक पर्यावरण नियमों का पालन करवाया जाये जो कि नही हो पा रहा है। सर बोल रहे थे यहां सड़क सेंशन पास हुआ है, एनजीटी ने आदेश किया कि आप 333 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाईये फिर गाड़ी चलाईये, रायगढ़ से पत्थलगांव तक 110 किमी व पूंजीपथरा से मिलूपारा तक 20 किमी की सड़क सेंशन हुई है। एनजीटी ने पीडब्ल्यूडी को 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना लगाया, स्वास्थ्य विभाग को 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना लगाया। उन्होने ने पाया कि जो पर्यावरणीय नियम का पालन करना था वो कंपनियों ने नहीं किया, कोल माईन्स से मिट्टी व पत्थर निकाला जाता है वो नहीं हुआ, टी.आर.एन. के ऊपर फ्लाई ऐश का निस्तारण विधिवत नहीं करने को लेकर उनके ऊपर भी 02 करोड़ का जुर्माना लगा। एनजीटी के आने के पहले जिला प्रशासन, कलेक्टर, पर्यावरण अधिकारी को नहीं बताया। 04 पर्यावरण अधिकारी और रायगढ़ कलेक्टर को मैने वीडियों बनाके दिया। क्या हर व्यक्ति एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और नही तो हम सबको यह गंभीरता पूर्वक सोचना होगा कि यहां टीबी, दमा, इस्रोपीडिया, कैंसर सिलकोसिस बीमारी फैल रही है तो इसके लिये आप और हम सब मिलकर क्या करेंगे नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल के भीतर तमनार ब्लॉक खतम हो चुका होगा। हर घर से टीबी, दमा, इस्रोपीडिया, कैंसर के मरीज निकलने वाले होंगे। लोगों ने यहां नौकरी, जंगह, सड़क का मुद्दा उठाया उन पर मैं नही जाना चाहता। आदर्शवाद सुनने में अच्छा लगता है आज जो यहां हो रहा था भारत के संविधान के 21 का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा था और लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसके लिये हमारे कलेक्टर साहब भी जिम्मेदार हैं। मेरी जानकारी के अनुसार कलेक्टर साहब का स्थानांतरण होने वाला है क्या यह स्थानांतरण के चक्कर में नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में ईआईए में नहीं लिखा है कि 10 किमी रेडियस के भीतर जो बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, जो शिशुवती महिलाऐं हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिये। स्थानीय लोगों और उद्योग में चोली दामन का साथ होना चाहिये, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सभी उद्योगों का प्राथमिकता के साथ रखना चाहिये। करोना भी मजाक है क्या। करोना का पूरा पैसा रायगढ़ जिला खा गया। 1 लाख 10 हजार की 11 मशीन खरीदी गई और बिल बनाई 26 लाख रूपये का जो कि 11 लाख बिल होता है। कोरोना का भय फैलाकर उनके नाम से बिल सकेलो। आदिवासी विभाग में

सूचना के अधिकार में निकाला करोना में भी 90 लाख रूपये की खरीदी हो गई बॉलीबॉल, फूटबॉल, क्रिकेट मैदान, ट्रैक सूट की, मैने कहा की स्कूल बंद थे तो बॉलीबॉल, फूटबॉल किसने खेली मुझे वेरिफिकेशन करके दो तो उन्होनें कहा कि वहां चोरी हो गई तो मैने पूछा कोई एफआईआर करवाया तो उन्होने कहा हमने नहीं करवाया। 03 टेन्ड रायगढ़ आदिवासी विभाग को दे दिया 90 लाख रूपये की खरीदी हो गई और वो चोरी भी हो गया। महिला बाल विकास में सूचना का अधिकार लगाया उन्होने जानकारी नहीं दिया हमने आपके यहां अपील किया आपने विधिवत आपने विभाग को आदेश दिया और मुझे कापी भी दिया। आपके आदेश के दो महीने बाद भी सुनने के लिये भी तैयार नहीं है। मैने ये पूछा था 2015 से कितने मद में पैसा आया था किस किस मद का जनहित में कितना कितना उपयोग किया। जब आपके अधीनस्त अधिकारी कार्मचारी आपकी बात नहीं सुन रहे तो हम कैसे यकीन करें कि जानकारी तथ्यात्मक और सही होगी और वहां भी कोरोना काल में 03 करोड़ का डीएमएफ मद से पैसा गया है और उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है इसलिये जानकारी देना नहीं चाहते। यही बात कहना चाहते थे। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

500. सुजित, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

501. सुखबिर सिंह, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

502. शहनबाज खान, रायगढ़ – लोगों ने समर्थन विरोध करके अपना मत रखा। जो लोग ने समर्थन विरोध किया मैं उनेस कहना चाहता हूं 356 दिन में 01 दिन निर्धारित होकर 11 बजे से 5 बजे तक समय निर्धारित होता है उसमें हम यहां खड़े होकर बखान करते हैं मुझे बताईये पर्यावरण को लेकर कितने लोगों ने पेड़ लगाये। एन इस्पात से हम प्रशन पूछते हैं आपने कितने पेड़ लगाये हम 365 दिन जिला प्रशासन से जवाल करें न कि 01 दिन। समर्थन विरोध वाले भी कलेक्ट्रेड जाकर पूछे के किस पार्टी ने कितने प्लांट लगाये। जिला प्रशासन से पूछें कि किस प्लांट ने कितने पेड़ लगायें कि नहीं लगायें। जो लोग सड़क की बात कर रहें थे मैं उनके साथ हूं लाईये माननीय विधायक महोदय एवं कलेक्टर महोदय पास जायेंगे और पूछेंगे कि सड़क सेंशन हुआ है वो अब तक क्यों बनना शुरू नहीं हुआ है। हम सब लोग खानापूर्ति के लिये सड़क, प्रदूषण, प्लान्टेशन के बारे में बोल रहे हैं। पानी, सड़क, प्रदूषण की बात हो हमारी पूरी टीम प्रशासन को जाकर अवगत कराती है। हम समर्थन कर रहे हैं तो क्यू समर्थन कर रहें हैं ये भी जरूरी है। गौरमुड़ी के मेरे भाई विरोध कर रहे थे सड़क को लेकर वो जायज है प्रशासन इसका उपाय निकालेगी, वहां स्ट्रीट लाईट लगाई गई इसके बारे में बोला इसलिये मेरा समर्थन है। स्कूल बाण्ड्रीलाईन का काम करवाया गया है, गौरमुड़ी में बोरवेल करावाया गया है, हॉस्पिटल बनावाया जा रहा है, ट्रामा सेंटर बनावाया है इसलिये समर्थन है। 20000 प्लानटेशन का आंकड़ा है एन.आर. इस्पात द्वारा। मैने संजय भैया से कहा ग्रामीण लोगों के लिये खेद कूद का आयोजन करवाईये उन्होने

भी हामी भरा इसलिये समर्थन है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते हुये जनसुनवाई का समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

503. नेत्रानंद पटेल, देलारी – प्रशासन का धन्यवाद की जहां प्लांट है वहां जनसुनवाई हो रहा है ताकि गांव वाले अपना पक्ष रख सकते हैं बंजारी मंदिर में जनसुनवाई होता था तो गांव वाले अपना पक्ष रखने नहीं जा सकते थे। एन.आर.इस्पात से हम लोग को हमेशा सभी सामाजिक कार्यों के लिये सहयोग मिला है। एन.आर. इस्पात ने स्कूल का बाउण्ड्रीवॉल करवाया है। गौरमुड़ी वालों के मांग पर ध्यान दिया जाये उनका भी सहयोग किया जाये।

504. मुन्ना – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

505. गोपी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

506. नवीन, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

507. राजेन्द्र, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

508. दशरथ, पाली – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

509. चतुरसिंह, – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

510. जलंधर – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

511. भुजालाल – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

512. राजेन्द्र, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

513. राजेश गुप्ता, सराईपाली – मेरा क्षेत्र पेशा कानून क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोई परियोजना लगने के लिये ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. या सहमति होना आवश्यक है। ग्रामसभा का सहमति नहीं लिया गया है, ग्राम गौरमुड़ी वालों को भी पता नहीं है इसके लिये ग्रामसभा आयोजित नहीं की गई। इसके आधार पर यह जनसुनवाई इललीगल है। पेशा क्षेत्र में ग्रामसभा के बिना सहमति के कोई कार्यवाही होती है तो वह गलत है तो इसलिये मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं। हमारे गांव सराईपाली में क्वार्टज माईन के कारण लगभग दर्जनों महिलाओं का सिलकोसिस के कारण मौत हो चुका है और वहां के लोग लगातार बिमार पड़ रहें है और जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच किया। जो सिलकोसिस के ग्रसित हैं उनको दमा, टीबी कहकर डॉट्स की दवा दी गई हमारे गांव के रिखीलाल को डॉट्स की दवा दी गई थी जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। उसके साथ ही शांति बाई साहू की भी मृत्यु अभी सिलकोसिस की वजह से हुई है। वर्तमान में नीलाबाई किसान अभी सिलकोसिस से पीड़ित है, जिनका ईलाज रायपुर में होना था। प्रशासन द्वारा बार–बार उनको रायपुर भेजा गया, जिसकी वजह से वह अभी और बीमार हो गयी। पता नहीं वह अब कितने दिन और जीवित रहेगी। उनके पति भी नहीं है और तीन बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी भी उन पर है। अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप अगर इस प्रकार उद्योग विस्तार करते रहे तो उनसे होने वाली मृत्यु और अनाथ होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। जिला प्रशासन इस पर विचार करें और ये जो अनाथ बच्चें हैं उनकी तत्काल व्यवस्था करें। जिसके लिए मैं 2012 से प्रयास

कर रहा हूँ। प्रशासन द्वारा कुछ लोंगो को मुआवजें के तौर पर 3–3 लाख रूपये तो दिया गया है, किन्तु उनके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का जाँच नहीं कराया गया है। मेरी दूसरी बात यह है कि रायगढ़ से आए भाई ने कहा कि यहाँ अस्पताल और स्कूल खोले जायेंगे। तो मुझे ये कि क्या उन अस्पतालों में मुफ्त ईलाज होगा या स्कूल की फीस नहीं ली जायेगी। स्कूल और अस्पताल खोलने में तो उनका भी निजी स्वार्थ है। मेरी और एक बात उद्योगो द्वारा अखबार में आने के लिए स्वास्थ्य कैंप लगवाया जाता है, जिनमें लगभग एक्सपायर होने वाली दवाईया जिनकी अवधि 1–2 माह ही बची होती है वो दवाईया दी जाती है ग्रामीणों को , तो अगर उनसे किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना सराईपाली में आयोजित कैंप से हुई है। यहाँ उद्योगो द्वारा एम्बुलेंस की बात की जा रही है, किंतु उनके पास ऐसे वाहन भी नहीं हैं। जिनसे लोंगो को स्वास्थ्य केंद्र पहुचाया जा सके। कुछ दिन पहले एन.आर. कंपनी में 3 वर्कर चोटिल हुए थे उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की व्यवस्था नहीं थी तो वर्करस द्वारा 108 को फोन कर बुलाया गया जिसे कंपनी में घुसने का अनुमति नहीं दिया गया। कंपनी द्वारा वर्करस का PF जमा कराया जाता है जिसमें 12% वर्करस का मजदूरी तो 12% कंपनी द्वारा जमा कराया जाता है। किंतु यहाँ पूरे 24% वर्करस के मजदूरी से काटकर कंपनी द्वारा जमा कराया गया दर्शाया जा रहा है। इसकी जाँच करायी जाये एवं कंपनी पर कार्रवाही की जाए। भूमिगत जल जिनका उपयोग बोरवेल द्वारा पीने एवं खेती कार्य में होना चाहिए कंपनियों द्वारा उनका दोहन हो रहा है एवं वातावरण को दूषित किया जा रहा है। संविधान में भी हमें जीने का अधिकार प्राप्त है जिनका कंपनिया प्रदूषण फैलाकर दोहन कर रही हैं। मेरा सक्षम पर्यावरण अधिकारी से अनुरोध है कि आप इन कंपनियों पर लगाम लगाइए। कुछ दिन पहले मरोदा कंपनी में एक हादसा हुआ था जिसमें 1 व्यक्ति जलकर तुरंत तो 3 बाद में मर गए। उसकी जाँच में आए अधिकारियों का भी कहना था कि बहुत हुआ अब ये सब बंद किया जाए। आप तो 2–3 साल में यहा से चले जाएंगे किंतु यहा रह रहे ग्रामीणों को यहा सदैव रहना है। इसलिए मैं एन.आर. ही नहीं यहाँ स्थापित सभी कंपनियों का पूरजोर विरोध करता हूँ।

514. उत्तम, गौरमुड़ी – जितना भी बाउड्री के किनारे खेत है उसको कब्जा कर लिया गया है। कार्यवाही करने की कृपा करे।

515. अजय गुप्ता, देलारी – मैं एन.आर. ही नहीं आस–पास स्थापित सभी कंपनियों का विरोध करता हूँ। हमारा आम का बगीचा है जिससे कुछ साल पहले 20–30 हजार के आम बिक्री होती थी। किंतु कंपनिया खुलने के बाद आम लगना तो दूर फूल भी नहीं बचते एवं कंपनियो द्वारा भूमिगत जल का भी दोहन किया जा रहा है। जिससे पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। एवं कंपनी खुलने से बाहरी मजदूरो द्वारा दारू बनाया जा रहा है जिससे गाँव का माहौल भी खराब हो रहा है। इस समस्या पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए। मैं इसका विरोध करता हूँ।

516. मानीकराम, देलारी – मैं इसका विरोध करता हूँ। पहले मेरे जमीन में साल हुआ करता था लेकिन यह बंजर हो गया है।

517. गोविंदराम, गौरमुड़ी – हम ग्रामीण लोग वनोपज पर आधारित हैं। तेंदू पत्ता संग्रहण करते थे , उसी के पत्तल में खाते थे और तालाब में नहाते थे। किंतु कंपनियों के आ जाने से तेंदू पत्ता इतना प्रदूषित हो चुका है कि उन्हें खरीदा नहीं जा रहा तथा तालाब इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि उनमें उतरने का मन नहीं करता। पहले साग–सब्जी का उत्पादन प्रचूर मात्रा में होता था। जो कंपनियो के आ जाने से जमीन भी बंजर हो चुकी है। इसलिए इसके विस्तार का मै फुल विरोध करता हूँ।

518. उत्तम प्रधान – एन आर इस्पात का विरोध करता हूं।

519. दीपक, गौरमुड़ी – विरोध करता हूं।

520. अनिल कुमार, पाली – हम बचपन में साइकिल से रायगढ़ जाते थे और अब सड़कों की स्थिति ऐसी है कि बाइक से जाना भी मुश्किल है। हम गोभी का उत्पादन करते हैं किंतु हमारे गोभी को यह बोलकर नहीं खरीदा जाता कि काला है। गोभी तो गोभी जो सौर पैनल लगा है उसमें भी इतना डस्ट जम चुका है कि वह भी ठीक से काम नहीं करता है। कहीं जाने से गेरवानी चौक पहुचते तक काला हो जाते हैं। मैं कंपनी प्रबंधन से अनुरोध करता हूँ कि ये सब चीज सुधारा जाए।

521. भगवती सिदार, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

522. अशोक – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

523. चेतराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

524. प्रकाश त्रिपाठी, लाखा – सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सर जब भी विकास होता है तो उसका कुछ न कुछ अंश उस क्षेत्र के लोगों को मिलता है। इस फैक्ट्री के प्रबंधन इस मिट्टी के लाल संजय अग्रवाल जैसे कर्मठ, मेहनत करने वाले और सरल देहाती स्वभाव के व्यक्ति हमारे इस स्थान में और सबसे बड़ी बात यही के इसी छत्तीसगढ़ के जन्में हुये वे भी हैं जो कि हमारे रायगढ़, देलारी, तराईमाल क्षेत्र में 02–03 फैक्ट्रियां लगाये हैं जिससें हमारे इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में नाम हो चुका है तो महोदय यहां तो विदेशों से आके फैक्ट्रियां लगाये हैं न जाने वो कहां के चारे हैं, कि क्या हैं, कि कैसे हैं जब उनकी फैक्ट्रियां इस क्षेत्र में चल रही हैं तो ये तो हमारे गांव का लड़का है हमारे सुख दुख के समस्या को इनके प्लांट में इनके ऑफिस में जाके समाधान को हल करवाने की क्षमता हमारे इस क्षेत्र के लोगों में होना चाहिये हम में एकता रहनी चाहिये व्यक्तिगत व्यवहार रहने से उनमें वो बहुत ही सरल व्यक्ति हैं और मैं तो यहीं चाहूंगा कि उनका पूरा भारतवर्ष में नाम हो और हजारों फैक्ट्रियां वो हर जिलें मे लगाये और इस तरह वो आम गरीब दुखियों को वो सहयोग कर रहे हैं वहीं सद्भावना उनके परिवार के हर व्यक्ति पर बने रहे और संजय भी हमारे ग्रामीण का और बेरोजगार युवाओं की मदद करते रहे और उनको रोजगार दें जब उनका रोजगार बढ़ेगा तभी लोगों को रोजगार दे पायेंगे या उनकी कंपनी बंद होगी तब हमको रोजगार दे पायेंगें। एक उनकी कंपनी बंद होने से डस्ट

बंद हो जायेगा तो हम कह सकते हैं कि संजय भाई आप विकास मत बढ़ाओ। जब हजारों कंपनियां लगी है तो एक को क्यों विकास न किया जाये। यहां बात यह है सर कि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो लोग विकास को देखते हैं या समर्थन चाहते हैं वो लोग समर्थन करते हैं जो विकास नहीं चाहते उनको तकलीफ हो सकती है। हर विकास के साथ विनाश भी छिपा है, दिन के बाद रात आता है, दुख के बाद सुख भी आता है तो ये समस्या लगीं रहेंगी और जिंदगी समस्याओं की ही जिंदगी है तो मेरा एन.आर.इस्पात प्रबंधन महोदय से मेरा निवेदन है कि वो विकास करें विनाश न करें। हमारे क्षेत्र में पर्यावरण का सुधार करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड की व्यवस्था करें और हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवक हैं जो कि यहां तो खेती खतम हो चुकी है, सभी जान भी रहे हैं कि ये वनोपज भी खतम हो चुकी है तो मात्र सहारा रोजगार ही बचा है। संजय जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगार को रोजगार प्रदान करें और हमारा क्षेत्र अशिक्षित क्षेत्र है, अशिक्षित क्षेत्र होने के कारण वो कंपनी में उस तरीके के पद पर उस तरीके के काम नहीं कर पातें हैं तो मेरा उद्योग प्रबंधन से निवेदन है कि वो यहां एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलें कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को अपनी कंपनी के माध्यम से कुछ दिनों के लिये प्रशिक्षण दें जिससे वो लड़के वहां पर अच्छे से काम कर सकें और स्वास्थ्य की व्यवस्था करें एम्बुलेंस तो बहुत ही आवश्यक है यहां 650 फैक्ट्रियां है उनमें गाड़ियों के आवाजाही में दुर्घटनाऐं होत है तो क्षेत्र मे एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें और फैक्ट्री का दिनों दिन विस्तार करें। धन्यवाद। जय श्रीराम।

525. गणेशराम, गौरमुड़ी – मूंगफल्ली उगाने के लिये मुझे पैसा खोजना पड़ता है आप किसान हो आपसे मांगूंगा वो किसान है उससे मांगूंगा लेकिन मेरे खेत जाने के लिये रास्ता नहीं मिलेगा। जनसुनवाई जन धन को देख के करते हैं। पढ़ा लिखा नहीं हूं मै आठवी फेल हो गया हूं। इस जनसुनवाई को सराईपाली ग्राम में होना था। कलेक्टर साहब के पास भी गये थे लेकिन कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोले वो सरकारी आदमी हैं उनको जनता का आवाज सुनना चाहिये। हमारे खेत जाने का रास्ता दिलवा देते तो उत्तम होता। मैं विरोध करता हूं। एन.आर. इस्पात में मैं 07 साल राज मिस्त्री का काम किया हूं। यहां गरीब दुखी लोगों का कोई जगह नहीं है।

526. भुपेन्द्र कुमार – एन आर इस्पात का विरोध करता हूँ।

527. बुंदसिंह सिदार – एन.आर. इस्पात को पूरा विरोध कर रहा हूं। गरीब जनता के लिये हमेशा मैं प्लांट का विरोध करता हूं। धूल डस्ट से आदमी बहुत पेरशान है, घर को 03–04 बोर झाड़ु लगाया पड़ जा रहा है उतना डस्ट है। सब घर के माता–पिता परेशान हो रहें हैं। गोबर से घर को लिपते थे 02 रूपया किलो में वो भी चल दे रहा है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 07.45 बजें कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि प्रदूषण कंट्रोल के लिये ई.एस.पी., बैग फिल्टर लगाया जायेगा, ई.एस.पी. बंद होने पर प्रोडक्शेन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जल का उपयोग से वृक्षारोपण किया जायेगा। फलाई ऐश का उपयोग ब्रिक प्लांट में किया जायेगा। स्वास्थ्य पर कोई प्रभावन नहीं पड़ेगी। लोकसुनवाई के लिये ग्रामपंचायत की एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं है। ग्राउण्ड वाटर के लिय सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनुमति लिया गया है, सिलिकासिस क्वार्टज माईनिंग में होता है इसमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। हाथी प्रभावित क्षेत्र के लिये 40 लाख का बजट करेंगे। स्थानिय लोगो को रोजगार दिया जायेगा। पार्टिकुलेट मेटर 2.5 स्टैंण्डर्ड से कम है। कोयला के उपयोग हेतु ई.एस.पी. की व्यवस्था की गई है। रामझरना 7.3 किलोमीटर की दुरी पर है जो भी वायु प्रदूषण होगा स्टैडर्ड से कम होगा जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 119 एकड़ का एडजस्टिंग लैड है जिसमें 2500 पौधा लगाया जायेगा। एक्जिस्टिंग प्लांट में जल की अनुमति के लिय एन.ओ.सी. लिया गया है। हमने उर्दना रिजर्व फारेस्ट के बारे में भी ई.आई.ए. में लिखा है।

सुनवाई के दौरान 87 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 08.15 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

03/01/2022
(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(आर.ए. कुरूवंशी)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)